

निक्षेप बीमा
और
प्रत्यय गारंटी निगम
DEPOSIT INSURANCE
AND
CREDIT GUARANTEE CORPORATION

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
1989-90



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

प्रधान कार्यालय : छठी मंज़िल, न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड, बंबई-400 039.

28 वीं वार्षिक रिपोर्ट
31 मार्च 1990 को समाप्त
वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट,
तुलन-पत्र और लेखे

विषय - सूची

	पृष्ठ संख्या
1. प्रेषण पत्र	iii
2. निदेशक बोर्ड	v
3. संगठन तालिका	vi
4. निगम के कार्यालय	vii
5. निगम के प्रमुख अधिकारी	viii
6. निगम का स्वरूप	ix
7. विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में	x
8. निदेशकों की रिपोर्ट	1
9. निदेशकों की रिपोर्ट के विषय में अनुबंध	12
10. तुलन-पत्र और लेखे	50
11. कार्यो और गतिविधियों की रूपरेखा	58

प्रेषण पत्र
(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई-400 039

डीआइसीजीसी/71/बी.एस.50(बी)/90-91

30 जून 1990
9 आषाढ 1912 (शक)

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केंद्रीय कार्यालय,
केंद्रीय कार्यालय भवन,
शहीद भगतसिंह मार्ग,
बम्बई-400 023.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1989-90 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है :

- (I) 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परीक्षित तुलन-पत्र और लेखे की एक हस्ताक्षरित प्रति, और
- (II) 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति ।

भवदीय,
ह/-
(पी. कृष्णमूर्ति)
महा प्रबंधक

प्रेषण पत्र
(भारत सरकार को)

निपेक्ष बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम,
न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076
बम्बई-400 039.

डीआइसीजीसी/70/बी.एस.50(सी)-90/91

30 जून 1990
9 आषाढ़ 1912 (शक)

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग),
जीवनदीप बिल्डिंग,
6, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001.

प्रिय महोदय,

वर्ष 1989-90 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

निपेक्ष बीमा और प्रत्यय गारंटी अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है :

- (I) 31 मार्च 1990 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेखे, और
- (II) 31 मार्च 1990 को समाप्त एक वर्ष के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

2. उक्त तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी है । उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भेजी जा रही हैं ।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदन (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें ।

भवदीय,
ह/-
(पी. कृष्णमूर्ति)
महा प्रबंधक

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(क) के अंतर्गत
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

डॉ. पी. डी. ओझा
(28 अप्रैल 1990 तक)

रा. जानकीरामन
उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई
(30 मई 1990 से)

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1) (ख) के अंतर्गत
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

यू. के. सरमा
(31 दिसंबर 1989 तक)

सुश्री आइ. टी. वाज़
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बंबई
(5 जनवरी 1990 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6(1)(ग) के अंतर्गत नामित

ए. के. अग्रवाल
(27 जून 1989 तक)

वल्लूरी नारायण
(28 जून से 29 नवंबर 1989 तक)

दिनेशचन्द्र

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नयी दिल्ली
(30 नवंबर 1989 से)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (घ) के अंतर्गत नामित

पी. ए. नायर
सनदी लेखाकार, बंबई
(31 मार्च 1990 तक)

बी. डी. शाह
प्रबंध निदेशक, भारतीय साधारण बीमा निगम, बंबई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 6 (1) (ङ) के अंतर्गत नामित

एस. एस. नाडकर्णी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, बंबई


एच. के. सामल
सहकर्मी, उड़िसा

वी. अटल
(19 अक्टूबर 1989 से 12 जनवरी 1990 तक)

जे. पी. कुन्दा
प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बंबई
(9 मार्च 1990 से)

आर. एल. वधवा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक, कलकत्ता
(19 अक्टूबर 1989 से)

संगठन तालिका



निगम के कार्यालय

प्रधान कार्यालय: न्यू इंडिया सेंटर,
4,5,6,7 और 8 वीं मंज़िल,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बंबई-400 039.

टेलीफोन संख्या

तार
"क्रेडिटगार्ड"

महा प्रबंधक	202-7323
बोर्ड अनुभाग	202-0299
(I) उप महा प्रबंधक	202-2408
प्रशासन विभाग	} 202-0299
लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग	
(II) उप महा प्रबंधक	204-4876
निक्षेप बीमा विभाग	} 202-0299
गैर-औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग	
लेखा विभाग	
कम्प्यूटर प्रभाग	

शाखाएँ:

1) नागपुर	भारतीय रिज़र्व बैंक अतिरिक्त भवन, हाइकोर्ट के समीप, नागपुर-440 001	32321 32357	"क्रेडिटगार्ड"
2) कलकत्ता	8, कौन्सिल हाउस स्ट्रीट, (पहली मंज़िल) पोस्ट बॉक्स सं. 17, कलकत्ता-700 001	281154 206029	डिसिनगर
3) मद्रास	कुरालगम बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल, एस्प्लेनेड, पोस्ट बॉक्स सं. 5021 मद्रास-600 108	560524 560239	"क्रेडिटगार्ड"
4) नयी दिल्ली	भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 123, नयी दिल्ली-110 001	3716487	"डिपॉज़िटिस्"

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक
श्री के. के. सक्सेना
(31 दिसंबर 1989 तक)
श्री पी. कृष्णमूर्ति
(9 जनवरी 1990 से)

उप महाप्रबंधक

श्री बी. ए. राव
श्री एम. डी. झा

मुख्य लेखाकार

श्री एच. जे. सोलोमन
श्री एन. आर. ईरानी
(कार्यभार ग्रहणाधीन)

अन्य अधिकारी

प्रबंधक
श्री वी. वी. हेरवाडकर
श्री ओ. पी. अरोड़ा
श्री पी. के. नन्दी
श्री के. पी. टेकचंदानी

सचिव
श्री आर. जी. तावडे

शाखा प्रबंधक

नागपुर

श्री एन. के. शाहा

मद्रास

श्री एस. कृष्णमूर्ति

कलकत्ता

श्री ए. के. सोहनी

दिल्ली

श्री एस. एस. सेठी

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

लेखाकार

मेसर्स एन. बी. शेटी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
बंबई-400 001

निगम का स्वरूप

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरू की गयी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे कि एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने और समाज के कमज़ोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं की कुछ श्रेणियों को प्रदान की गयी ऋण सुविधाओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदल कर उसे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना रद्द होने के बाद, निगम ने पहली अप्रैल 1981 से लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरू किया।

निगम के दो उद्देश्य हैं : जिन व्यक्तियों की जमाराशियाँ बैंकों में हैं, उनके लाभ के लिए किसी बैंक की सभी शाखाओं में रखी उनकी सभी जमाराशियाँ अथवा उनके किसी अंश के लिए अधिकतम 30,000/- रुपये तक की हानि के लिए बीमा प्रदान करना तथा सहभागी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा 31 मार्च 1989 तक प्राप्त गारंटी सुरक्षा (क) छोटे ऋणकर्ताओं (जैसे कृषक, परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यम, स्व-नियोजित व्यक्ति आदि) और (ख) लघु उद्योगों को दिये गये ऋण के लिए गारंटी सहायता प्रदान करना। रिज़र्व बैंक की परिभाषा के अनुसार "प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र" के सभी अग्रिमों को 1 अप्रैल 1989 से गारंटी रक्षा प्रदान की गयी है। इस समय, योजना में भाग लेने वाले वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा अन्य सावधि ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले

ऋण के लिए गारंटी सहायता दी जाती है। यह गारंटी सहायता मुख्यतः छोटे तथा कमज़ोर ऋणकर्ताओं और पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योग युनिटों के लिए है।

जमा बीमा और ऋण गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनायी हुई हैं, जो प्रीमियम तथा गारंटी शुल्क द्वारा जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल संबंधित दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम की पूंजी रखी गयी है और इस निधि से होने वाली निवेश आय से स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक व्यय किये जाते हैं।

निगम की प्राधिकृत पूंजी 50 करोड़ है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम को आय कर की अदायगी के संबंध में 31 दिसम्बर 1986 तक छूट दी गयी थी। स्थायी रूप से छूट प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है।

निगम के प्रबंध का भार निदेशक बोर्ड को दिया गया है जिसमें नौ सदस्य होते हैं। इनमें से भारतीय रिज़र्व बैंक का एक उप-गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष होता है। भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक की अध्यक्षता में एक दावा समिति बोर्ड की सहायता करती है। महा प्रबंधक निगम का मुख्य कार्यपालक होता है।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएं नागपुर, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

विशिष्टता-प्रगति एक दृष्टि में

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंत तक	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1989-90
1. पूँजी	1	1.5	10	15	50	50	50	50
2. निक्षेप बीमा								
i) निक्षेप बीमा निधि	1	25	76	154	219	@	@	@
ii) बीमाकृत बैंक	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,921
iii) निर्धारणीय जमाराशियाँ	,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,40,746
iv) बीमाकृत जमाराशियाँ	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,01,682
v) खातों (लाखों में)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,142
vi) पूर्णतः रक्षित खातों (लाखों में)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	3,059
vii) अदा किये गये दावे		1	2	3	3	44	69	100
3. ऋण गारंटी								
i) ऋण गारंटी निधि		-	27	89	118	@	@	@
ii) गारंटीकृत अभिम -								
(क) छोटे उधारकर्ता		208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	25,586
(ख) लघु उद्योग		-	-	3822	4891	7738	10,465	14,094
iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए)-								
(क) छोटे उधारकर्ता		-	9	25	62	255	364	356
(ख) लघु उद्योग		-	-	30	71	149	241	199
iv) निपटान किये गये दावे (वर्ष के लिए)								
(क) छोटे उधारकर्ता		-	3	15	32	225	281	347
(ख) लघु उद्योग		-	-	27	47	122	177	388

@ निगम की देयता के बीमांकिक मूल्यांकन किये जाने के कारण तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा के फार्म में संशोधन करने के उद्देश्य से ऋण गारंटी निधि का शुद्ध घाटा 31 दिसम्बर 1987 तक 264.72 करोड़ रुपये और 31 मार्च 1989 तक 148.99 करोड़ रुपये निकलता है जिसे निक्षेप बीमा निधि में उन तारीखों तक उपलब्ध क्रमशः 348.85 करोड़ रुपये और 220.85 करोड़ रुपयों के अधिशेष में से समायोजन किया गया। 31 मार्च 1990 को ऋण गारंटी निधि में 188.64 करोड़ रुपयों की अतिरिक्त राशि है जिसे जमा बीमा निधि में अंतरित कर दिया गया। इस के बाद भी जमा बीमा निधि में 225.07 रुपये करोड़ की राशि कम पड़ती है।

31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष की निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के कामकाज की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के अनुसार इसके साथ 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष की निगम की 28वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

परिणाम-एक विहंगम दृष्टि

2.1 वर्ष के दौरान, जमा बीमा योजना और गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी योजना (चार योजनाएँ) तथा लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋण गारंटी (एक योजना) के लिए निगम का कार्य जारी रहा।

2.2 जमा बीमा योजना के अंतर्गत बीमा सुरक्षा और बीमा किस्त क्रमशः रु. 30 हजार और प्रति 100 रु. प्रति वर्ष 0.04 रही। 31 मार्च 1990 को बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,921 थी और जून 1989 के अंत में योजना में पूर्णतः संरक्षित लेखे¹ 3,059 लाख थे, जो 3,142 लाख के कुल जमा लेखों का 97.4 प्रतिशत थे। रुपये 1,01,682 करोड़ की बीमाकृत जमा² बैंकों की कुल निर्धारण योग्य जमा³ रुपये 1,40,746 का 72.2 प्रतिशत है। निगम ने दो वाणिज्य बैंकों अर्थात् हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. और यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि., जिनका सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समामेलन कर दिया गया, के मामले में कुल रु. 31.42 करोड़ की राशि के दावों का निपटान किया। चार और वाणिज्य बैंकों को अगस्त 1989 में ऋण स्थगन वर्ग में रखा गया। इन चार बैंकों में से तीन बैंकों का फरवरी 1990 में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में समामेलन हो गया था। शेष एक बैंक के मामले में ऋण स्थगन अवधि 20 मई 1990 तक बढ़ा दी गई थी। इन बैंकों के मामले में निगम की देयता अभी ज्ञात की जानी है।

प्राथमिकता क्षेत्र को अग्रिम

2.3 जैसा कि पिछली वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया है कि निगम में भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों की परिभाषा को गारंटी सुरक्षा प्रदान करने और गारंटी शुल्क की वसूली के उद्देश्य से लागू किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के 28 बैंकों के कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम दिसंबर 1989 के अंत में कुल अग्रिमों के 40 प्रतिशत के लक्ष्य के बदले कुल मिलकर रु. 37,345.71 करोड़ (44.3 प्रतिशत) थे। प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उद्देश्यों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों) के लिये 31 दिसंबर 1989 को कुल अग्रिम रु. 15,421.30 करोड़ थे जो कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 41.3 प्रतिशत है अथवा दिसंबर 1989 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के कुल अग्रिमों रु. 84,332.43 करोड़ का 18.3 प्रतिशत है। कृषि उत्पादन वृद्धि के प्रयासों के रूप में बैंको को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 28 फरवरी 1989 को यह सूचित किया गया था कि वे कृषि के लिए सीधे वित्तपोषण (सहायक गतिविधियों सहित) उपलब्ध करायें ताकि मार्च 1990 के अंत तक उनके कुल बकाया ऋण पूर्व में निर्धारित मार्च 1989 तक के 17 प्रतिशत की शर्त की तुलना में कम-से-कम 18 प्रतिशत के स्तर तक पहुँच सकें। लघु उद्योगों को दिये गये रु. 14,281.40 करोड़ के अग्रिम कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 38.2 प्रतिशत है। प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम जिनमें लघु सड़क और जलपरिवहन चालक, व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति, लघु व्यवसाय, फुटकर व्यापारी शामिल हैं, रु. 7,643.01 करोड़ थे जो दिसंबर 1989 के अंत में कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का 20.5 प्रतिशत थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा "कमजोर वर्गों" ^{XX} के लिये, अग्रिम कुल 9,135.94 करोड़ थे जो कुल बकाया अग्रिमों का 10.8 प्रतिशत थे। जबकि इस वर्ग के लिए निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत था।

टिप्पणी: 1. पूर्णतः संरक्षित खातों का अर्थ है - वे खाते जिनमें प्रति बैंक शेष राशि 30,000/- रुपये से अधिक न हो।
2. बीमाकृत जमा राशियों का अर्थ है - वे जमा राशियाँ अथवा उनका कोई हिस्सा जिसकी अदायगी को प्रति बैंक, प्रति जमाकर्ता (उसी अधिकार तथा क्षमता में) 30,000/- रुपये तक निगम द्वारा बीमाकृत किया गया हो।

3. निर्धारण योग्य जमा राशियों का अर्थ है - जमाकर्ता (विदेशी सरकार, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा बैंक से इतर) द्वारा उसके सभी खातों से संबंधित कुल अदत्त देय राशियाँ।

XX प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत कमजोर वर्गों में छोटे तथा सीमांत कृषक, भूमिहीन मज़दूर, कार्तकार, बँटाईदार, कारीगर तथा ग्रामीण और कुटीर उद्योग, जहाँ व्यक्तिगत ऋण की आवश्यकता 25,000/- रुपये से अधिक नहीं होती, को दिये जाने वाले अग्रिम शामिल हैं।

निजी क्षेत्र के बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम जून 1988 के अंत में रु. 1,238 करोड़ थे जो इस तारीख को रु. 3,115 करोड़ के उनके कुल अग्रिमों का 39.8 प्रतिशत थे। उनके द्वारा कृषि और कमजोर वर्गों को दिये गये अग्रिम कुल अग्रिमों का क्रमशः 9.1 प्रतिशत और 5.2 प्रतिशत रहे। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को सूचित किया गया है कि उनके मार्च 1989 तक के अपने कुल अग्रिमों में प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिम 10 प्रतिशत होने चाहिए और इस लक्ष्य को बढ़ाकर 31 मार्च 1990 तक 12 प्रतिशत और 31 मार्च 1992 तक 15 प्रतिशत किया जाना चाहिए। उनके द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को दिये गये अग्रिम मार्च 1989 के अंत में कुल अग्रिमों का मात्र 7.7 प्रतिशत थे।

2.4 निगम की पाँच गारंटी सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिम मार्च 1989 के रु. 24,756.04 करोड़ से 60.3 प्रतिशत बढ़कर मार्च 1990 में रु. 39,680.26 करोड़ हो गये थे। गारंटीकृत अग्रिमों में इतनी अधिक बढ़ोतरी गारंटी सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा 1 अप्रैल 1989 से लागू करने के कारण हुई। छोटे उधारकर्ताओं को गैर औद्योगिक क्षेत्र (कृषि, लघु सड़क और जलपरिवहन चालक, फुटकर व्यवसाय, लघु व्यवसाय, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति और समाज के अन्य कमज़ोर वर्ग) के गारंटीकृत अग्रिम जो जून 1972 के अंत में मात्र रु. 208.39 करोड़ थे धीरे-धीरे बढ़कर जून 1988 के अंत में रु. 14,291.38 करोड़

और मार्च 1989 के अंत में, पिछले वर्ष से 79.0 प्रतिशत बढ़कर, (लघु उद्योगों से इतर प्राथमिकता क्षेत्र के मामले में) रु. 25,586.26 करोड़ हो गये। इसी प्रकार, लघु उद्योगों के गारंटीकृत अग्रिमों में काफी वृद्धि हुई और ये मार्च 1981 के अंत में रु. 3,716.43 करोड़ से बढ़कर मार्च 1989 के अंत में रु. 14,094.00 करोड़ हो गये। पिछले वर्ष की स्थिति (रु. 10,464.66 करोड़) से 34.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.5 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान निगम ने रु. 734.95 करोड़ के 17,04,712 ऋण गारंटी दावे निपटायें जबकि मार्च 1989 को समाप्त पन्द्रह माह के दौरान रु. 457.87 करोड़ के 13,80,482 दावे निपटायें गये थे। इनमें से रु. 714.66 करोड़ के 17,00,370 दावे निगम की योजनाओं से संबंधित थे जबकि मार्च 1989 में समाप्त 15 माह की अवधि में रु. 437.17 करोड़ के 13,72,296 दावे थे। वर्ष 1988-89 की तुलना में दावा निपटान की दर संख्या की दृष्टि से 54.9 प्रतिशत की तथा राशि की दृष्टि से 104.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। वर्ष के दौरान मासिक दावा निपटान दर वर्ष 1988-89 की 92,032 के बदले 1,42,059 रही जो अब तक सर्वाधिक है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान प्राप्त दावों की संख्या में 21.62 प्रतिशत और राशि की दृष्टि से 17.98 प्रतिशत रही। प्राप्त कुल दावे रु. 554.37 करोड़ की राशि के लिए 15,79,257 रहे जबकि मार्च 1989 को समाप्त 15 माह की अवधि में रु. 605.17 करोड़ के 16,32,927 दावे थे। 31 मार्च 1990 को समाप्त अवधि के दौरान प्राप्त योजनावार दावों का विवरण नीचे दिया जा रहा है :-

(राशि करोड़ रुपये में)

	वर्ष 1988-89 (15 माह)		वर्ष 1989-90 (12 माह)		X प्रतिशत वृद्धि/कमी	
	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि
I. प्राप्त दावे						
(क) निगम की योजनाएँ						
(i) छोटे उधारकर्ता	15,28,391	364.07	15,03,349	355.75	23.00	22.15
(ii) लघु उद्योग	93,716	216.90	74,894	192.58	(-)0.01	10.98
जोड़ :-	16,22,107	580.97	15,78,243	548.33	21.62	17.98
(ख) सरकार की योजना (अब निरस्त)	10,820	24.20	1,014	6.04	(-)88.29	68.80
कुल प्राप्त दावे	16,32,927	605.17	15,79,257	554.37	20.89	14.51
II. निपटायें गये दावे						
(क) निगम की योजनाएँ						
(i) छोटे उधारकर्ता	12,90,945	280.61	15,98,791	346.58	54.81	54.16
(ii) लघु उद्योग	81,351	156.56	1,01,579	368.08	56.08	193.88
जोड़ :-	13,72,296	437.17	17,00,370	714.66	54.88	104.34
(ख) सरकार की योजना (अब निरस्त)	8,186	20.70	4,342	20.29	(-)33.70	22.52
कुल निपटायें गये दावे	13,80,482	457.87	17,04,712	734.95	54.36	100.64

X अर्थात् वर्ष 1988-89 की औसत 12 माह की स्थिति की तुलना में वर्ष 1989-90 के दौरान हुई प्रतिशत वृद्धि/कमी

2.6 वर्ष 1982 से गारंटी दावों की प्राप्ति और गारंटी शुल्क प्राप्ति को नीचे दर्शाया गया है :

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	गारंटी शुल्क की प्राप्ति	गारंटी दावों की प्राप्ति	अन्तर
1	2	3	4
1982	57.67	34.11	+ 23.56
1983	71.17	60.42	+ 10.75
1984	87.91	115.69	- 27.78
1985	105.66	186.90	- 81.24
1986	127.25	245.86	- 118.61
1987	145.17	386.95	- 241.78
1988-89 (15 माह)	191.98	580.97	- 389.08
1989-90 (अप्रैल-मार्च)	593.83 ^x	548.33 ^x	+ 45.50

x योजनावार विवरण अनुबंध xiv में दिया गया है ।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि 1984 से पहली बार रिपोर्ट के अधीन वर्ष में गारंटी शुल्क प्राप्तियाँ गारंटी दावों की प्राप्तियों से अधिक रही हैं। कुछ ऋण संस्थाओं ने यह अनुरोध किया है कि गारंटी शुल्क की दर के बढ़ने के कारण हुए भार को कम करने की दृष्टि से उन अग्रिमों पर गारंटी शुल्क न लिया जाए जो गारंटी योजनाओं के अनुसार गारंटी के लिए पात्र नहीं हैं (जैसे सरकार/भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम द्वारा गारंटीकृत अग्रिम)। इस मामले में जाँच की गयी और यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल यथास्थिति बनाए रखी जाए। निगम की प्रायोजना के अनुसार गारंटी शुल्क प्राप्तियों में गारंटी दावा प्राप्तियों की तुलना में वर्तमान वर्ष (अर्थात् 1990-91) से फिर कमी आने की संभावना है।

2.7 लघु उद्योग और गैर औद्योगिक योजनाओं दोनों के मामले में दावा प्राप्तियों में तेजी से होती बढ़ोतरी यह दर्शाती है कि ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में गिरावट आएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली में कोई सुधार नहीं हुआ है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कृषि ऋणों के मामले में वाणिज्य बैंकों की वसूली स्थिति सुधारने के लिए कई कदम उठाए गये हैं। सूखा बाढ़ आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित ऋण कर्ताओं के विभिन्न वर्गों को राहत/रियायत प्रदान करने की दृष्टि से समय-समय पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये गये हैं। बैंकों को सूचित किया

गया है कि वे अपनी ग्रामीण शाखाओं के लिए सप्ताह में एक दिन गैर बैंकिंग कार्य दिवस रखें जिसका उपयोग अन्य कार्यों के अलावा वसूली कार्यों के लिए किया जाए। शाखा प्रबंधक यह सुनिश्चित करें कि फसल आने के समय का उपयोग प्रभावी तरीके से वसूली के लिए किया जाए। अग्रणी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे जिला परामर्शदात्री समिति, राज्य स्तरीय समन्वय समिति, राज्यस्तरीय बैंकिंग समिति आदि के साथ उनकी बैठकों में वसूली/अति-देयों के मामले में चर्चा करें। बैंक इन मंचों का उपयोग जानबूझकर की गई चूक के मामलों में सरकार की सहायता लेने में भी कर सकते हैं।

2.8 लघु उद्योग क्षेत्र में, ऋण गारंटी दावों के बढ़ते प्रवाह से बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता भी परिलक्षित हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने रुग्ण लघु उद्योग इकाई की परिभाषा में संशोधन कर दिया है, जिसका प्रयोजन ऐसी इकाइयों को शामिल करना है, जिनकी संचित हानियाँ, पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में उनके उच्चतम निवल मूल्य (पीक नेट वर्थ) की 50 प्रतिशत या अधिक है। जून 1988 के अंत में 11,415 करोड़ रुपये के बैंक ऋण का उपयोग करने वाली 23.76 लाख उधारकर्ता लघु उद्योग इकाइयों में से बैंकों द्वारा 1980 करोड़ रुपये की बकाया राशि वाले 2.17 लाख लेखे रुग्ण पाये गये। इन रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों में लघु उद्योग क्षेत्र के बकाया कुल अग्रिमों की 17.3 प्रतिशत राशि फँसी पड़ी थी। जून 1988 के अंत में, रु. 336.25 करोड़ की बकाया वाली केवल 8,347 इकाइयों वित्तपोषक बैंकों के पोषण कार्यक्रम (नर्सिंग प्रोग्राम) के अंतर्गत थी। अव्यवहार्य इकाइयों की संख्या 1.99 लाख थी और इन पर बकाया बैंक ऋण रु. 1,390 करोड़ था।

2.9 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श के लिए जनवरी 1989 में "बैंक-बोरोअर मीट" का आयोजन किया गया :-

- लघु उद्योग इकाइयों की रुग्णता के वास्तविक कारण और समस्त संबंधितों अर्थात् राज्य सरकारों/बैंकों और ऋणादान इकाइयों द्वारा उन्हें अर्थ क्षम बनाने के लिए उठाये गये कदम,
- ऋणादान इकाइयों द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार से अपेक्षित सहायता का प्रकार
- राज्य वित्त निगमों और बैंकों के बीच समन्वय की समस्या।

राज्य सरकारों और अन्य संस्थाओं ने ऋणियों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर विचार करने के लिए अपनी सहमति दी।

2.10 वर्ष 1988 में रुग्ण/असफल लघु उद्योग इकाइयों के मामले में उच्च मूल्य दावों के अध्ययन के आधार पर निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक को उन इकाइयों के मामले सूचित किये जो ऋण संस्थाओं द्वारा आगे के कार्यों के लिए असामयिक और अपर्याप्त वित्त सुविधा उपलब्ध कराये जाने के कारण असफल रहीं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस मामले को संबंधित ऋण संस्थाओं के साथ उठाया और उनसे अनुरोध किया कि वे स्थिति की समीक्षा करें और ऐसी कमियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठायें।

2.11 सहभागी ऋण संस्थाओं से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि संपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का क्षेत्र बढ़ाकर इनमें उन सभी ऋण सुविधाओं को शामिल कर लिया जाए जिनकी स्थिति 31 मार्च 1989 को अशोध्य नहीं रही है। इस के अतिरिक्त बड़ी हुई/संशोधित मौद्रिक सीमाएँ 1 अप्रैल 1989 से पूर्व संवितरित पात्र ऋण सुविधाओं के मामले में भी लागू होंगी परन्तु शर्त यह है कि इन्हें 1 अप्रैल 1989 को नवीकृत/आशोधित किया गया हो। साख-पत्रों, सह-सकारों और वित्तीय गारंटियों जैसी गैर-निधि आधारित सीमाओं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल पुनर्भुनाई योजना के अंतर्गत पुनर्भुनाए गये बिलों के मामले में अब किसी गारंटी शुल्क की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का भाग नहीं हैं। किंतु ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा है कि वे अपनी गैर-निधि आधारित सीमाओं के मामले में सभी सावधानियाँ बरतें/प्रक्रियाएँ

अपनाएँ और जैसे ही तथा जब भी ये सीमाएँ निधि आधारित सुविधाओं में बदलती हैं, तो वे योजना के अंतर्गत आ जाएँगी।

2.12 निगम की दावा देयताओं के मामले में मौद्रिक सीमाएँ जैसा कि पिछले वर्ष सूचित किया जा चुका है 1 अप्रैल 1989 से बढ़ा/संशोधित कर दी गयी है। इन संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान लाभ की सीमा का संख्यावार और राशिवार पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया। वर्ष 1988 के दौरान लघु ऋण गारंटी योजना 1971 के अंतर्गत दायर किये गये 14.35 लाख दावों के विश्लेषण से निम्न बातें पता लगी हैं :-

(क) 97.7 प्रतिशत से अधिक दावे (संख्यावार) मौद्रिक सीमाओं के बिना किसी हस्तक्षेप के अदा किये गये।

(ख) निपटाये गये दावों की राशि दोष पूर्ण राशियों के प्रतिशत के हिसाब से दोष पूर्ण 60 प्रतिशत के बदले 49.6 प्रतिशत (कृषि-विकास गतिविधियाँ), और 59.6 प्रतिशत (फुटकर व्यापारी) रही जो कि योजना के अंतर्गत देय है।

इस प्रकार बढ़ायी गयी मौद्रिक सीमाएँ पर्याप्त समझी गयीं।

2.13 निगम ने 1986 से 1988-89 की अवधि का अपनी ऋण गारंटी योजनाओं के कार्यों का संस्था (समूह) वार विश्लेषण किया है। गारंटी शुल्क में इन संस्थाओं के अंशदान, प्रस्तुत दावे/अदाकृत दावे और विचाराधीन दावों की स्थिति निम्नानुसार थी :-


(राशि करोड़ रुपये में)

संस्था की श्रेणी	गारंटी शुल्क (गा.शु.)	प्रस्तुत दावे (प्र.दा.)	अनुपात (गा.शु. प्र.दा.)	अदाकृत दावे (अ.दा.)	अनुपात (गा.शु. अ.दा.)	विचाराधीन दावे ^x
भारतीय स्टेट बैंक समूह	153.71	426.20	1:2.77	240.03	1:1.56	101.26
सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक	280.23	617.43	1:2.20	391.00	1:1.40	162.51
विदेशी बैंक	1.21	0.25	1:0.21	0.19	1:0.16	0.12
निजी क्षेत्र के अन्य बैंक	17.93	38.15	1:2.13	18.37	1:1.02	11.25
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28.73	97.92	1:3.41	81.52	1:2.84	34.79
राज्य वित्तीय निगम	13.86	60.26	1:4.35	27.63	1:1.99	40.51
सहकारी बैंक	5.99	7.05	1:1.18	1.66	1:0.28	4.82
जोड़ :	501.66	1247.26	1:2.49	760.40	1:1.52	355.26

x इस में लघु ऋण गारंटी योजना १९७१ के वे दावे नहीं लिये गये हैं जिनके मामले में स्पष्टीकरण अपेक्षित हैं। उनके मामले में संस्थावार ब्योरा उपलब्ध नहीं है।


बीमाकृत खातों की संख्या
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
(लाख में)

तालिका I




बीमाकृत जमा राशियों की रकम
(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को)
(करोड़ रुपये)

तालिका II




वाणिज्य तथा सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा
(जून 1989 के अंतिम शुक्रवार को)

निर्धारीत जमाशियों की कुल रकम
1,40,745.95 करोड़ रुपये



खातों की कुल संख्या
3,141.68 लाख

अंशतः रक्षित खाते (2.6%)



उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि इन योजनाओं के अंतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य वित्त निगमों, भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों को लाभ प्राप्त हो रहा है। योजना में शामिल होने वाले निजी क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों की संख्या में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। तथापि सहकारी बैंकों ने लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना 1984 या लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 का या तो बहुत कम लाभ लिया है अथवा बिल्कुल लाभ नहीं लिया है।

जमा बीमा संबंधी कार्य

3.1 1 जनवरी 1988 से 31 मार्च 1990 की अवधि के दौरान निगम के पास पंजीकृत बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,903 से बढ़कर 1 अप्रैल 1989 तक 1,921 हो गई। इसमें 82 वाणिज्य बैंक, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 1,643 सहकारी बैंक शामिल हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान एक वाणिज्य बैंक और 18 सहकारी बैंकों को पंजीकृत किया गया तथा एक वाणिज्य बैंक पंजीकरण से बाहर किया गया जब कि योजना में सभी वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) शामिल हैं, सोलह राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी बैंक इसकी परिधि में लाये गये हैं (अनुबंध-I और II)। योजना को मणिपुर और सिक्किम राज्यों में लागू करने का मामला अभी भी विचाराधीन है। योजना को दूसरे राज्यों में लागू करने की स्थिति के मामले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देश में जिन बैंकों को बीमाकृत किया जाना है उनकी संख्या केवल 80 है।

3.2 वर्ष 1988, 1 जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989 तक की पंद्रह माह की अवधि और 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 के दौरान बीमा किस्त की वसूली का श्रेणीवार विवरण नीचे दिया जा रहा है:

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंकों की श्रेणी	नीचे दी गयी अवधि के दौरान प्राप्त किस्त		
	1.4.89 से 31.3.90 (12 माह)	1.1.88 से 31.3.89 (15 माह)	1988 (12 माह)
	रु.	रु.	रु.
1. वाणिज्य बैंक	58.79	68.30	50.39
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1.19	1.30	1.03
3. सहकारी बैंक	6.56	6.96	5.39
जोड़:-	66.54	76.56	56.81

3.3 जून 1988 तथा जून 1987 के अंत तक निगम द्वारा बीमाकृत जमा राशियाँ तथा जमाकर्ताओं को दिये गये संरक्षण की सीमा नीचे दी गई तालिका में दर्शायी गई है :-

(विस्तृत विवरण अनुबंध III और IV में दिया गया है।)

(राशि करोड़ रुपये में)

	जून 1989	जून 1988
	रु.	रु.
1. निर्धारण योग्य जमा राशियाँ	1,40,746	1,26,864
2. बीमाकृत जमा राशि	1,01,682	90,192
3. 2 के प्रति 1 का प्रतिशत	72.2	71.1
4. खातों की कुल संख्या (लाखों में)	3,142	2,781
5. पूर्णतः संरक्षित खाते (लाखों में)	3,059	2,705
6. 5 के प्रति 4 का प्रतिशत	97.4	97.3

पूर्णतः संरक्षित खातों और आंशिक रूप से संरक्षित खातों की जमा राशियाँ कुल निर्धारण योग्य जमा राशियों का क्रमशः 54.77 और 45.23 प्रतिशत थीं।

3.4 वर्ष के दौरान निगम द्वारा दो वाणिज्य बैंकों अर्थात् हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक लिमिटेड जिसका पंजाब नेशनल बैंक में समामेलन कर दिया गया (रु. 3.42 करोड़) और यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता जिसका इलाहाबाद बैंक में समामेलन कर दिया गया (रु. 28.00 करोड़) के कुल रुपये 31.42 करोड़ के दावों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त लेखों में निम्नानुसार रुपये 10.24 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया।

- (क) इलाहाबाद बैंक द्वारा प्रस्तुत दावों (रुपये 7.02 करोड़) का अंतिम भुगतान
- (ख) ट्रेडर्स बैंक लिमिटेड के अंतरिती बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा प्रस्तुत संशोधित दावों (रुपये 3.17 करोड़) का निपटान
- (ग) येलामंचिली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, येलामंचिली (आंध्र प्रदेश) को 28 दिसंबर 1988 को परिसमापन में लिया गया। इस बैंक के परिसमापक द्वारा प्रस्तुत रुपये 0.05 करोड़ की राशि के दावों का निपटान।

3.5 19 वाणिज्य बैंकों के मामले में 31 मार्च 1990 को दावे के रूप में अदा की गई कुल राशि रु. 97.55 करोड़ थी। रुपये 8.15 करोड़ (इसमें वर्ष के दौरान प्राप्त रुपये 2.82 करोड़ शामिल हैं और पांच वाणिज्य बैंकों के मामले में बट्टे खाते डाली गयी रुपये 0.10 करोड़ की चुकौतियों को हिसाब में लेने बाद बाकी बचे बैंकों के मामले में शेष रुपये 89.30 करोड़ था।

3.6 18 सहकारी बैंकों के संबंध में अदाकृत दावा राशि 31 मार्च 1990 को रुपये 2.74 करोड़ अपरिवर्तित रही। कुल रुपये 0.62 करोड़ (वर्ष के दौरान प्राप्त 0.05 करोड़ सहित) की चुकौतियों को हिसाब में लेने के बाद उनके द्वारा निगम को देय शेष रुपये 2.12 करोड़ था। 31 मार्च 1990 तक प्रदत्त दावे, प्राप्त चुकौतियों आदि का ब्यौरा अनुबंध V में दर्शाया गया है।

ऋण गारंटी संबंधी कार्य

(क) छोटे ऋणकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

4. छोटे ऋणकर्ताओं के लिये निगम की चार योजनाएँ हैं। उनमें से पहली तीन योजनाएँ 1971 से प्रारंभ की गई थीं और इन

में कृषि और तत्संबंधी कार्य, परिवहन चालकों, फुटकर व्यापार, छोटे कारोबार आदि के लिए वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित), सहकारी बैंकों और राज्य वित्त निगमों द्वारा प्रदान किये गये अग्रिमों को सुरक्षा की गयी है। चौथी योजना शहरी सहकारी बैंकों द्वारा गैर कृषि कार्यों के लिए दिये जाने वाले अग्रिमों की सुरक्षा हेतु 1984 से लागू की गयी। सहकारी क्षेत्र के लिए एक और योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना 1982 बनायी गयी और इसे 1 जनवरी 1983 से प्रायोगिक आधार पर लागू किया गया। यह योजना कतिपय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा कृषि और तत्संबंधी कार्यों के लिए स्वीकृत अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए लागू की गयी। परन्तु इस योजना के मामले में अभी तक कोई प्रतिक्रिया देखने में नहीं आयी। छोटे उधारकर्ताओं के संबंध में निगम की चार गारंटी योजनाओं का समग्र कार्य विवरण नीचे दिया जा रहा है :

(राशि करोड़ रुपये में)


उधारकर्ताओं की श्रेणी	31-3-1989 तक गारंटी कृत अग्रिम	प्राप्त हुए दावों की राशि				मार्च 1990 तक कुल (3 + 4 + 5)	6 के प्रति 2 का प्रतिशत
		1987 तक	1988-89 के दौरान	1989-90 के दौरान	मार्च 1990 तक कुल		
1	2	3	4	5	6	7	
कृषक और खेतिहर	10,542.04	362.88	180.86	182.81	726.55	6.89	
कमजोर वर्गों को विभेदक ब्याज दर पर अग्रिम	2,484.92	23.60	15.05	12.91	51.56	2.07	
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	12,559.10	296.81	168.17	160.03	625.01	4.98	
सेवा सहकारी समितियाँ	0.20	-	-	-	-	-	
जोड़:	25,586.26	683.29	364.08	355.75	1,403.12	5.48	

छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अधिमों में वृद्धि

(जून के अंत तक)

(करोड़ रुपये)


तालिका IV



छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में गारंटीकृत अधिमों के क्षेत्र-वार विश्लेषण

(मार्च 1989 के अंत की स्थिति)


तालिका V




छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित गांधी योजनाओं के संबंध में ढवों की प्राप्ति और निपटान

करोड़ रुपये

तालिका VII



तालिका VI



संख्या

अ) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

5.1 वर्ष के दौरान चार वाणिज्य बैंकों का सार्वजनिक क्षेत्र के चार अन्य वाणिज्य बैंकों में समामेलन किया गया। परिणामस्वरूप सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 1989 में 267 (अनुबंध VI) के बदले 31 मार्च 1990 को घटकर 263 (67 वाणिज्य बैंकों और 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) रह गई। इस योजना में छोटे उधारकर्ताओं को दिये जानेवाले अग्रिमों का मुख्य भाग आ जाता है जो कि गैर औद्योगिक क्षेत्र के कुल प्राथमिकता अग्रिमों का 99.91 प्रतिशत है। स्वीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही क्षेत्रवार ब्योरा अनुबंध VII में दिया गया है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों को निगम द्वारा गारंटी सुरक्षा का आधार बनाने के परिणामस्वरूप गारंटीकृत अग्रिमों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह इस तथ्य से भी पता लगता है कि गारंटीकृत अग्रिम जो कि 30 जून 1972 को रुपये 205.71 करोड़ के थे वे मार्च 1989 के अंत तक बढ़ कर रुपये 25,562.66 करोड़ हो गये। मार्च 1990 तक प्राप्त हुए दावों की तुलना में क्षेत्रवार ब्योरा नीचे दिया जा रहा है:

ऋणकर्ताओं की श्रेणी	प्रतिशत	
	गारंटीकृत अग्रिम	प्राप्त दावे
कृषक और खेतीहर विभेदक ब्याज दर के अग्रिम	41.28	51.78
कमजोर वर्गों को ऋण	1.96	3.60
अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	7.76	44.62
	49.00	
	100.00	100.00

5.2 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निगम को रुपये 354.87 करोड़ के 15,03,088 दावे प्राप्त हुए जब कि पिछले लेखा वर्ष में (जिसमें 15 माह थे) रुपये 363.29 करोड़ के 15,28,239 दावे प्राप्त हुए थे। इस प्रकार वार्षिक आधार पर दावों की संख्या में क्रमशः संख्या-वार वृद्धि 22.9 प्रतिशत और राशि-वार वृद्धि 22.1 प्रतिशत हुई। योजना के अंतर्गत मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान दावों की राशि कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि रुपये 25,562.66 करोड़ का 1.4 प्रतिशत रही। मार्च 1990 तक प्राप्त क्षेत्र-वार दावों का ब्योरा अनुबंध VIII में दर्शाया गया है।

5.3 निगम ने रुपये 346.40 करोड़ के 15,98,622 दावों की जाँच और निपटान किया जब कि गत वर्ष में रुपये 280.52 करोड़ के 12,90,917 दावों का निपटान किया गया था। इस प्रकार वार्षिक आधार पर कुल मिलाकर संख्या-वार 54.8 प्रतिशत और राशि-वार 54.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दावों के निपटान की मासिक दर जनवरी 1988 से मार्च 1989 की अवधि के दौरान 86,061 रही जब कि इस वर्ष यह काफी बढ़ कर 1,33,218 हो गयी है। इस के अलावा रुपये 166.23 करोड़ के 3,18,638 दावे संसाधित किये जा चुके हैं परन्तु उनका बैंकों से अपेक्षित स्पष्टीकरण के अभाव में निपटान नहीं किया जा सका।

5.4 प्रस्थापन अधिकारों के आधार पर रिपोर्ट की अवधि के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त वसूलियाँ मार्च 1989 को समाप्त 15 माह की अवधि के दौरान प्राप्त वसूलियों के रुपये 30.03 करोड़ की तुलना में रुपये 34.88 करोड़ रही। योजना के प्रारम्भ से कुल रुपये 109.33 करोड़ की राशि वसूल की गयी जो अदा किये गये दावों की राशि का 10.9 प्रतिशत है।

आ) लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971

6.1 योजना के सहभागी वित्त निगमों की संख्या 20 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ (अनुबंध VI)। तथापि इनमें से 17 राज्य वित्त निगमों ने अपने गारंटीकृत अग्रिमों का विवरण नहीं भेजा है और गारंटी शुल्क भी नहीं भेजा है। शेष तीन राज्य वित्त निगमों के कुल गारंटीकृत अग्रिम मार्च 1989 के अंत में रुपये 2.70 करोड़ रहे। गारंटीकृत अग्रिमों में परिवहन चालकों को स्वीकृत अग्रिम की राशियों का योग पूर्व की भांति सर्वाधिक (96.3 प्रतिशत) रहा।

6.2 गारंटी शुल्क भेजने और विवरणियाँ प्रस्तुत करने में नियमित रहे तीन राज्य वित्त निगमों से रुपये 0.82 करोड़ के 108 दावे प्राप्त हुए। इस योजना के अंतर्गत प्राप्त दावों की कुल राशि मार्च 1990 तक रुपये 3.04 करोड़ थी। रिपोर्ट के अधीन अवधि में निगम ने रुपये 0.14 करोड़ के 27 दावों का निपटान किया। शेष दावे स्पष्टीकरणों के अभाव में नहीं निपटाये जा सके। दावा अदाकृत खाते में वसूलियों से रुपये 0.02 करोड़ की राशि प्राप्त हुई जब कि मार्च 1989 को समाप्त वर्ष में रुपये 0.04 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

इ) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971

7. इस योजना में सहभागी ऋण संस्थाओं की संख्या 31 मार्च 1989 को 178 थी जो घट कर 175 (53 वाणिज्य बैंक, 84 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 38 सहकारी बैंक) रह गयी (अनुबंध VI)।

कमी का कारण 3 अक्षम वाणिज्य बैंकों का दूसरे बड़े बैंकों में समापन था। मार्च 1989 के अंत तक योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिम रुपये 0.20 करोड़ रहे और निगम को इस योजना के अंतर्गत अभी तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ।

ई) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

8. इस योजना में शामिल प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 31 मार्च 1990 को बढ़ कर 89 हो गयी (अनुबंध VI)। मार्च 1989 के अंत में योजना में शामिल गारंटीकृत अग्रिम रुपये 20.70 करोड़ थे (अनुबंध VII)। निगम को रिपोर्ट की अवधि के दौरान कुल रुपये 0.06 करोड़ के 153 दावे प्राप्त हुए। इन में से रुपये 0.04 करोड़ के 142 दावे निपटाये गये। रिपोर्ट की अवधि के दौरान कोई वसूलियाँ प्राप्त नहीं हुई।

उ) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982

9. यह योजना 1 जनवरी 1983 से आरंभिक तौर पर पात्र पायी गयी। 2476 प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, 159 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंकों की 200 शाखाओं के लिए लागू की गयी थी परन्तु 31 मार्च 1990 तक इन में से किसी भी ऋण संस्था ने योजना में शामिल होने में रुचि नहीं दिखायी।

(ख) लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाएँ

अ) लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)

10. लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना, जो मार्च 1981 में रद्द कर दी गयी थी, के अंतर्गत अवशिष्ट कार्यों को पूरा करने के लिए निगम भारत सरकार के एजेन्ट के रूप में कार्य कर रहा है। भारत सरकार द्वारा निगम को जारी निर्देशों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 1989 के बाद प्राप्त होने वाले किसी नये दावे को स्वीकार नहीं किया जाए। तथापि डाक से भेजने आदि में हुए विलम्ब के संबंध में वित्तीय संस्थाओं द्वारा किये गये अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा बाद में इसे इन विशिष्ट निर्देशों के साथ 31 मई 1989 तक के लिए बढ़ा दिया था कि इस मामले में आगे अवधि बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार निगम द्वारा उक्त तारीख के बाद नये दावे स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान निगम को अभ्यावेदनों/पुनःप्रस्तुत किये जाने के कारण रुपये 6.04 करोड़ के

1014 दावे प्राप्त हुए और रुपये 20.29 करोड़ के 4342 दावे निपटाये गये। 31 मार्च 1990 को रुपये 8.16 करोड़ के 608 दावे विचाराधीन थे (विवरण अनुबंध XI)। इस संबंध में शाखा-वार स्थिति निम्नानुसार है :

	शाखा	विचाराधीन दावों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	कलकत्ता	511	5.98
2.	मद्रास	7	0.67
3.	नागपुर	4	0.21
4.	नई दिल्ली	86	1.30
	जोड़:	608	8.16

इन में से रुपये 1.60 करोड़ के 136 दावे पहले ही संसाधित कर लिये गये हैं परन्तु कुछ स्पष्टीकरणों के अभाव में विचाराधीन हैं। सभी विचाराधीन दावों को शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे हैं। निगम द्वारा अदा किये गये और प्रतिपूर्ति प्राप्त दावे निम्नानुसार हैं :

अवधि	31 मार्च 1990 तक भारतसरकार की ओर से वास्तविक रूप में अदा की गयी राशि	(राशि करोड़ रुपये में) भारत सरकार से 31 मार्च 1990 तक प्राप्त प्रतिपूर्ति
अप्रैल 1981 से मार्च 1989	101.53	100.18
अप्रैल 1989 से मार्च 1990	4.76	5.00
जोड़:	106.29	105.18

भारत सरकार द्वारा किये गये रुपये 4.80 करोड़ के बजट प्रावधान के बदले निगम द्वारा वित्त वर्ष 1989-90 के दौरान रुपये 4.76 करोड़ की राशि अदा की गयी। 31 मार्च 1990 को प्रतिपूर्ति के रूप में निगम को भारत सरकार से रुपये 1.11 करोड़ की राशि लेनी थी।

आ) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना,
1981

11.1 31 मार्च 1990 को निगम की योजना में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 553 (31 मार्च 1989 को 544) थी जिसमें 65 वाणिज्य बैंक, 165 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 14 राज्य वित्त निगम, 8 अन्य राज्य विकास एजेंसियाँ और 301 सहकारी बैंक शामिल हैं (अनुबंध X)। भारतीय रिज़र्व बैंक की प्राथमिकता क्षेत्र परिभाषा के अंतर्गत आने वाले लघु उद्योग क्षेत्र अग्रिमों की राशि 31 मार्च 1989 को रुपये 14,094.00 करोड़ थी।

11.2 निगम को वर्ष 1989-90 के दौरान रुपये 192.58 करोड़ के 74,894 दावे प्राप्त हुए जब कि जनवरी 1988 से मार्च 1989 के बीच की 15 माह की अवधि में रुपये 216.90 करोड़ के 93,716 दावे प्राप्त हुए। आलोच्य अवधि में रुपये 368.08 करोड़ के 1,01,579 दावे निपटाये गये जब कि जनवरी 1988 से मार्च 1989 की पन्द्रह माह की अवधि के दौरान रुपये 156.56 करोड़ के 81,351 दावे निपटाये गये। 31 मार्च 1990 को रुपये 82.03 करोड़ के 5,857 दावे विचाराधीन थे जिनमें से रुपये 10.58 करोड़ के 1,483 दावों को पहले ही संवीक्षित/संसाधित किया जा चुका है और ये दावे ऋण संस्थाओं से कुछ अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन रखे गये। विचाराधीन दावों का राशि-वार/समय-वार स्पष्टीकरण और 1 अप्रैल 1981 से प्राप्त और निपटाये गये दावों का वर्ष-वार विवरण क्रमशः अनुबंध XII और XIII में दिया गया है। निगम के प्रस्थापन अधिकार के कारण वर्ष 1989-90 के दौरान प्राप्त वसूलियाँ कुल रुपये 5.26 करोड़ थी। 1981 से की गयी ऐसी वसूलियों का योग 31 मार्च 1990 को रुपये 17.31 करोड़ हो गया जो कुल अदाकृत रुपये 381.70 करोड़ का 4.5 प्रतिशत है।

11.3 31 मार्च 1990 तक लघु उद्योगों के लिए योजना के अंतर्गत प्राप्त दावे रुपये 815.77 करोड़ के थे ये दावे प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों के कुल गारंटीकृत अग्रिमों रुपये 14,094.00 करोड़ का 5.79 प्रतिशत हैं।

11.4 लघु औद्योगिक क्षेत्र के लिए इन ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत अधिक मूल्य के दावों की जाँच और निपटान का काम चार सदस्यों की दावा समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/बैंकों के मुख्य कार्यपालक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कार्यपालक निदेशक, एक प्रतिष्ठित सनदी लेखाकार और अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित

निदेशक होते हैं। वर्ष 1989-90 के दौरान समिति की 5 बैठकें हुईं और इन में रुपये 23.86 करोड़ के 216 दावे निपटाये गये।

लेखे

तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे

12.1 वर्ष अप्रैल 1989 से मार्च 1990 के आय-व्यय लेखे और 31 मार्च 1990 का तुलन पत्र जिनमें तीन निधियों अर्थात् जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि की स्थिति दर्शायी गयी है और उन पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है।

12.2 निगम ने 1987 से बीमांकिक आधार पर जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि की देयताओं की मूल्यांकन प्रणाली अपनायी है। तदनुसार तीनों निधियों में विचाराधीन दावों आदि के लिए प्रावधान सहित सभी प्रावधानों के पश्चात् शुद्ध अतिरिक्त के रूप में रुपये 195.31 करोड़ की राशि बचती है जबकि इसकी तुलना में पिछली अवधि में रुपये 9.54 करोड़ का निवल घाटा था। जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि रुपये 10.62 करोड़ अतिरिक्त दर्शाती हैं जबकि सामान्य निधि जिस में गत वर्ष अतिरिक्त राशि दर्शायी जाती थी जिसमें पहली बार रुपये 3.95 करोड़ का घाटा दर्शाया गया है। इसका मुख्य कारण सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश के मूल्य में मूल्यहास के लिए रुपये 3.39 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान करना और स्टाफ सदस्यों के वेतनमान में बढ़ोतरी और बकाया राशि के भुगतान के कारण स्थापना व्ययों में हुई वृद्धि है।

12.3 पिछले दो वर्षों में ऋण गारंटी निधि में हुए घाटे की पूर्ति के लिए उसमें जमा बीमा निधि से रुपये 413.71 करोड़ की राशि अंतरित की गयी। ऋण गारंटी निधि में अब उपलब्ध रुपये 188.64 करोड़ की अतिरिक्त राशि को जमा बीमा निधि में पुनः अंतरित किया गया है। इस के बावजूद भी जमा बीमा निधि में रु. 225.07 करोड़ की राशि कम पड़ रही है।

12.4 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार जो राशि तत्काल अपेक्षित नहीं होती है उसका निवेश भारत सरकार की प्रतिभूतियों में किया जाता है। इन निवेशों का ब्योरा अनुबंध xv में दर्शाया गया है। तीनों निधियों के अंतर्गत दिये गये निवेशों में मूल्य-हास के लिए पूर्णतः प्रावधान किया गया है।

अन्य गतिविधियां

कम्प्यूटरीकरण के मामले में प्रगति

13.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निगम में डेटा एन्ट्री क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से चार अतिरिक्त डेटा एन्ट्री टर्मिनल लगाये गये हैं और पुराने टर्मिनलोंको बदला गया है। बैंकों को अपने दावे मैगनेटिक टेप्स पर प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन हेतु कदम उठाये गये हैं ताकि दावों का निपटान तेजी से हो सके। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के अंतर्गत गारंटी शुल्क के लेखे का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है। लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के दावों के निपटान का कम्प्यूटरीकरण भी विचाराधीन है।

न्यू इंडिया सेंटर भवन में विभागों का अंतरण

13.2 ऋण गारंटी विभाग (गैर लघु उद्योग), प्रशासन विभाग, लेखा अनुभाग और जमा बीमा विभाग जो ग्रान्ट रोड, बम्बई-400 007 के नोवेल्टी चैम्बर्स परिसर में स्थित थे उन्हें न्यू इंडिया सेंटर, 17, कूपरेज रोड, बम्बई-400 039 में स्थानांतरित किया गया तथा इन विभागों ने 28 अप्रैल 1990 से परिवर्तित परिसर में कार्य प्रारंभ किया।

सामान्य

लेखा परीक्षक

14.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 29 (1) के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से 31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के लिए मैसर्स एन.बी.शेट्टी, सनदी लेखाकार, बम्बई को निगम का लेखा परीक्षक नियुक्त किया।

हिन्दी की प्रगति

14.2 दिन प्रतिदिन के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिये निगम ने कई कदम उठाये हैं। निगम द्वारा परिपत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाता है और निगम की वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित की जाती है। निगम के प्रधान कार्यालय में कार्यरत हिन्दी कक्ष के अलावा निगम के शाखा कार्यालयों में भी हिन्दी कक्षों की स्थापना का प्रस्ताव है। भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त हिन्दी संबंधी अनुदेशों के कार्यान्वयन और हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करने के लिए

गठित निगम की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दो बैठकों का आयोजन किया गया। स्टाफ को हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 33 अधिकारियों और 8 स्टाफ सदस्यों को विभिन्न हिन्दी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। प्रधान कार्यालय और शाखा कार्यालयों में हिन्दी पुस्तकालयों की स्थापना की गई है। हिन्दी समाचार पत्र और पत्रिकायें खरीदी जाती हैं तथा स्टाफ सदस्यों को पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।

प्रशिक्षण

14.3 बैंक ऑफ तंजानिया और सेंट्रल बैंक ऑफ जाम्बिया के पदाधिकारियों ने निगम में आकर निगम की कार्य प्रणाली का अध्ययन किया। निगम द्वारा भी अपने अनेक अधिकारियों को वाणिज्य बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में निगम की योजनाओं पर सत्र लेने के लिये प्रतिनियुक्त किया गया।

14.4 इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की संबंधित कार्य के सभी पहलुओं को पूर्णतया ठीक ठीक समझे बिना उत्पादकता तथा कार्यक्षमता बढ़ाई नहीं जा सकती निगम ने इस वर्ष भी अपने अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे में आयोजित उक्त कार्यक्रम में निगम के 25 अधिकारियों ने भाग लिया। निगम के अन्य श्रेणियों के स्टाफ सदस्यों ने भी भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाया। रिपोर्ट की अवधि के दौरान 33 अधिकारियों, 20 लिपिकीय स्टाफ सदस्यों और 61 अधीनस्थ स्टाफ सदस्यों को विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिये प्रतिनियुक्त किया गया।


प्रबंधन

15.1 रिपोर्ट की अवधि के दौरान निगम के निदेशक बोर्ड की चार तिमाही बैठकें डॉ.पी.डी. ओझा की अध्यक्षता में आयोजित की गयीं।


15.2 डॉ. पी.डी. ओझा अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भारतीय रिज़र्व बैंक के उप-गवर्नर के पद से कार्य मुक्त हुए और इसीके परिणाम स्वरूप 28 अप्रैल 1990 की कारोबार समाप्ति से वे निगम के बोर्ड के अध्यक्ष नहीं रहे। श्री. रा. जानकीरामन, उप-गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक को डॉ.पी.डी. ओझा के स्थान पर 30 मई 1990 से अध्यक्ष नामित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक

लघु उद्योगोंसे संबंधित गारंटी योजना के संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
(करोड़ रुपये)

तालिका प्रया




लघु उद्योगों के लिए निगम की गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान




लघु उद्योगों के लिए सरकार की गांटी योजना (अब रद्द) के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान

संख्या




तालिका XI

तालिका XII



करोड़ रुपये



निदेशक श्री यू. के. सरमा जो बोर्ड में भारतीय रिज़र्व बैंक के नामित निदेशक थे बैंक से सेवा निवृत्त हो गये हैं और परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 1989 से निगम के बोर्ड के निदेशक नहीं रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक सुश्री. आइ.टी.वाज़ को 5 जनवरी 1990 से श्री. सरमा के स्थान पर नामित किया गया है।

श्री. वल्लूरी नारायण, संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को श्री ए. के. अग्रवाल के स्थान पर 28 जून 1989 से निगम का निदेशक नामित किया गया। श्री वल्लूरी नारायण 30 नवंबर 1989 से बोर्ड के निदेशक नहीं रहे और इसी तारीख से श्री.दिनेशचन्द्र संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को उनके स्थान पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के बोर्ड का निदेशक नामित किया गया।

केंद्र सरकार ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ई) के अंतर्गत प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक तथा अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इलाहाबाद बैंक को 19 अक्टूबर 1989 से दो वर्ष के लिए निगम के बोर्ड का निदेशक नामित किया है। तदनुसार श्री वी. अटल, तत्कालीन प्रबंध निदेशक भारतीय स्टेट बैंक और श्री आर. एल. वधवा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इलाहाबाद बैंक 19 अक्टूबर 1989 से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के बोर्ड में निदेशक नामित हुए। श्री वी. अटल की भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदोन्नति के परिणामस्वरूप 13 जनवरी 1990 से निगम के निदेशक नहीं

रहे और भारतीय स्टेट बैंक के नये प्रबंध निदेशक श्री जे. पी. कुन्दा 9 मार्च 1990 से निगम के निदेशक हो गये। श्री एस. एस. नाडकर्णी, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 19 सितम्बर 1988 से दो वर्ष की अवधि के लिए निगम के निदेशक के रूप में पुनः नामित किए गये।

बोर्ड डॉ. पी. डी. ओझा द्वारा अध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष के दौरान दिये गये मार्गदर्शन और उनके बहुमूल्य योगदान के लिए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। बोर्ड पदमुक्त होने वाले निदेशकों सर्वश्री यू. के. सरमा, ए. के. अग्रवाल, वल्लूरी नारायण और वी. अटल के योगदान की भी सराहना करता है। बोर्ड नये निदेशकों का भी स्वागत करता है।

निगम के महाप्रबंधक श्री. के. के. सक्सेना 9 जनवरी 1990 से सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले गये हैं उनके स्थान पर श्री पी. कृष्णमूर्ति ने 9 जनवरी 1990 से महाप्रबंधक का कार्यभार संभाला है।

16. बोर्ड निगम के महाप्रबंधक और सभी स्टाफ सदस्यों की बढे हुए कार्यभार को निपटाने और परिचालनात्मक क्षमता को बरकरार रखने के प्रयासों की सराहना करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी निगम,
बंबई-400 039

निदेशक बोर्ड के लिये
और उनकी ओर से
(रा. जानकीरामन)
अध्यक्ष

दिनांक: 25 जून 1990

अनुबंध - I

31 मार्च 1990 को समाप्त वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत और विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शाने वाला विवरण

(क) पंजीकृत बैंकों के नाम

वाणिज्य बैंक
क्रेडिट ल्योनाइस बंबई
सहकारी बैंक
आंध्र प्रदेश

1. ए. पी. वर्धमान (महिला) को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हैदराबाद

कर्नाटक

1. आनन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंगलूर

मध्य प्रदेश

1. शुभलक्ष्मी महिला को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इन्दौर
2. सद्गुरु नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
3. नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग

महाराष्ट्र

1. उद्यम विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे
2. श्री. कन्यका नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, चन्द्रपुर
3. अजिंक्यतारा महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, सतारा
4. शिवाजी नगरी सहकारी अर्बन बैंक लिमिटेड, औरंगाबाद

उडीसा

1. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राऊरकेला

राजस्थान

1. बूंदी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बूंदी
2. जैसलमेर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जैसलमेर

उत्तर प्रदेश

1. गाजीपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गाजीपुर
2. इंडियन मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लखनऊ
3. न्यू अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रामपुर
4. रानी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, झाँसी

संघ शासित क्षेत्र

दिल्ली

1. इन्द्रप्रस्थ सहकारी बैंक लिमिटेड, दिल्ली
2. रामगढ़िया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नई दिल्ली

(ख) विपंजीकृत बैंकों के नाम

वाणिज्य बैंक

1. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड, कलकत्ता

बीमाकृत बैंकों की स्थिति का सार
(31 मार्च 1990 की स्थिति)

I	वाणिज्य बैंक	82
II	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	196
III	सहकारी बैंक (अलग-अलग विवरण नीचे लिखे अनुसार)	

राज्य	अपैक्स	सैंट्रल	प्राइमरी	जोड़
आंध्रप्रदेश	1	22	62	85
गोवा	1		5	6
गुजरात	1	21	290	312
हरियाणा	1	13	8	22
हिमाचल प्रदेश	1	2	4	7
जम्मू और कश्मीर	1	3	3	7
कर्नाटक	1	22	206	229
केरल	1	14	57	72
मध्य प्रदेश	1	45	41	87
महाराष्ट्र	1	31	378	410
उड़ीसा	1	17	13	31
राजस्थान	1	27	19	47
तमिलनाडू	1	18	133	152
त्रिपुरा	1		1	2
उत्तर प्रदेश	1	56	34	91
पश्चिमी बंगाल	1	17	48	66
संघ शासित क्षेत्र				
दिल्ली	1	-	14	15
दीव और दमण	-	-	-	-
पांडिचेरी	1	-	1	2
कुल सहकारी बैंक	18	308	1317	1643
जोड़: (I+II+III)				1921

अनुबंध - II

वर्ष 1962 से जमा बीमा योजना के अन्तर्गत समाविष्ट बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी)
की संख्या दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	वर्ष के प्रारंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम में देयता			वर्ष के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या
			आयी	नहीं आयी	जोड़	
				(4-5)	(2+3-6)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	-	2	9	11	276
1963	276	-	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	-	-	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	-	-	9	9	91
1968	91	-	-	3	3	88
1969	88	-	2	1	3	85
1970	85	-	1	1	2	83
1971	83	385	-	3	3	465
1972	465	16	-	5	5	476
1973	476	18	-	2	2	492
1974	492	37	-	3	3	526
1975	526	88	-	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	-	4	4	1,392
1980	1,392	191	-	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	-	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805
1985	1,805	41	5	4	9	1,837
1986	1,837	27	2	3	5	1,859
1987	1,859	42	3	-	3	1,898
1988-89	1,898	14	2	7	9	1,903
1989-90	1,903	19	1	-	1	1,921

वर्ष 1987, 1988-89 और 1989-90 के अंत में बीमाकृत बैंकों की स्थिति का अलग-अलग विवरण

वर्ष	बीमाकृत बैंकों की संख्या			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	जोड़
1987	83	196	1,619	1,898
1988-89	82	196	1,625	1,903
1989-90	82	196	1,643	1,921

अनुबंध - III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण
(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970, 1971, 1976 के प्रत्येक सितंबर के अंतिम शुक्रवार, 1 जुलाई 1980 और जून 1981 से जून 1989 के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

वर्ष	पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या ^X (लाखों में)	खातों की कुल संख्या (लाखों में)	(3) के प्रति (2) का प्रतिशत	बीमाकृत जमा राशियाँ ^{XX} (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2

X अर्थात् खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियाँ थीं।

XX अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमा राशियाँ।

अनुबंध - IV

वर्ष 1987, 1988 और 1989-90 के लिए बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी सुरक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

वर्ष	बैंकों का वर्ग	बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	(6) के प्रति (5) का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1987	वाणिज्य बैंक	83	72	67,236.46	92,184.45	72.9
	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	196	176	1,351.76	1,453.50	93.0
	सहकारी बैंक	1,619	1,236	6,922.97	9,406.21	73.6
जोड़ :		1,989	1,484	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988	वाणिज्य बैंक	82	66	81,028.38	1,14,482.94	70.8
	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	196	126	1,106.07	1,185.50	93.3
	सहकारी बैंक	1,625	1,076	8,057.24	11,195.75	71.9
जोड़ :		1,903	1,268	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989	वाणिज्य बैंक	82	66	89,232.95	1,23,542.06	72.2
	क्षेत्रीय प्रामीण बैंक	196	119	1,539.46	1,702.59	90.4
	सहकारी बैंक	1,643	1,184	10,909.55	15,501.30	70.4
जोड़ :		1,921	1,369	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2

अनुबंध - V

1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 की अवधि के दौरान अदा किये गये और
प्रावधान किये गये जमा बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ

क्रम संख्या	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटारे गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	कुल बीमाकृत जमाराशियाँ जो अदा की गयी या जिनके लिए प्रावधान किया गया	निगम द्वारा प्राप्त चुकौतियाँ	शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
	1) वाणिज्य बैंक			
	(I) उन बैंकों से संबंध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है			
\$	1. बैंक ऑफ चाइना, कलकत्ता (1963)	9.25	9.25	-
*	2. श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि. बीजापुर (1965)	0.12	0.12	-
*	3. बैंक ऑफ बिहार लि. पटना (1970)	46.32	46.32	-
	जोड़ :- "क":	<u>55.69</u>	<u>55.69</u>	<u>-</u>
	(II) उन बैंकों से संबंध ब्योरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति की गयी है और शेष देय राशि बढ़े खाते डाल दी गयी है			
*	4. यूनिटी बैंक लि. मद्रास (1963)	2.53	1.37	@@
*	5. उन्नाव कर्माशियल बैंक लि. उन्नाव (1964)	1.08	0.31	@@
*	6. चावला बैंक लि. देहरादून (1969)	0.18	0.14	@@
*	7. मेट्रोपोलिटन बैंक लि. कलकत्ता (1964)	8.80	4.41	@@
*	8. सदर्न बैंक लिमिटेड कलकत्ता (1964)	7.34	3.73	@@
	जोड़: "ख":	<u>19.93</u>	<u>9.96</u>	<u>@@</u>
	(III) उन बैंकों से संबंध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है			
*	9. बैंक ऑफ अलगपुरी लि. अलगपुरी (1963)	0.28	0.18	0.10
*	10. कोचीन नायर बैंक लि, त्रिचुर (1964)	7.10	4.15	2.95
*	11. लेटिन ख्रिस्तियन बैंक लि. एनार्कुलम (1964)	2.08	1.14	0.94

अनुबंध - V (जारी)

1	2	3	4	5
*	12. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
*	13. हबीब बैंक लि. बंबई (1966) (1.18)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
*	14. नेशनल बैंक ऑफ लाहोर लि. दिल्ली (1970)	9.69	-	9.69
*	15. बैंक ऑफ कोचीन लि. (1986)	1,162.78	231.25	931.53
*	16. मिरज स्टेट बैंक लि. मिरज (1987)	146.59	-	146.59
*	17. लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि. दिल्ली (1987)	3,340.62	494.91	2,845.71
*	18. हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. दिल्ली (1986)	2,191.67	-	2,191.67
*	19. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड (1989)	2,800.00	-	2,800.00
	जोड़:- "ग":	<u>9,679.06</u> (2.03)	<u>749.29</u>	<u>8,929.77</u> (2.03)
	जोड़:- "क" + "ख" + "ग":	<u>9,754.68</u> (2.03)	<u>8,14.94</u>	<u>8,929.77</u> (2.03)
	2) सहकारी बैंक			
	I) उन बैंकों से संबंध व्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है			
\$\$	20. मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि. मालवण (1977)	1.86	1.84	++
%	21. बंबई पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1978)	10.72	10.72	- +++
	जोड़: "घ"	<u>12.58</u>	<u>12.56</u>	-
	II) उन बैंकों से संबंध व्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है			
@	22. बंबई कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बंबई (1976)	5.73	-	5.73
@	23. घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लि. बंबई (1977)	2.76	-	2.76
@	24. अरे मिल्क कॉलोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1978)	0.60	-	0.60
*	25. रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. रत्नागिरी (1978)	46.43	11.88	34.55
*	26. विश्वकर्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि. (1979)	11.57	4.00	7.57
*	27. प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि. बंबई (1979)	4.22	-	4.22

अनुबंध - V (समाप्त)

1	2	3	4	5
*	28. कलाविहार को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंबई (1979)	13.17	3.31	9.86
*	29. रामदुर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि. रामदुर्ग (1981)	2.30	-	2.30
*	30. वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि. बंगलूर (1982)	91.31	12.95	78.36
@	31. दधीच सहकारी बैंक लि.बंबई (1984)	18.51	7.87	10.64
@	32. कोल्लुर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि. कोल्लुर (1985)	13.96	-	13.96
@	33. आर्दश को-ऑपरेटिव बैंक लि. मैसूर(1985)	2.74	0.61	2.13
*	34. कुर्दुवाडी मर्चेन्ट्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. कुर्दुवाडी (1986)	4.85	3.07	1.70
@	35. गदग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. गदग (1986)	22.85	6.00	16.85
@	36. मणिहाल अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि. मणिहाल (1987)	9.61	-	9.61
@	37. हिन्द अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि. लखनऊ (1987)	10.95	-	10.95
	जोड़ :- "ड"	<u>261.56</u>	<u>49.69</u>	<u>211.87</u>
	जोड़ :- "घ" + "ड"	<u>274.14</u>	<u>62.25</u>	<u>211.87</u>
	जोड़ :- "क" + "ख" + "ग" + "घ" + "ड"	<u>10,028.82</u>	<u>877.19</u>	<u>9,141.64</u>
		<u>(2.03)</u>		<u>(2.03)</u>

- \$ बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रद्द किया गया ।
- @@ कुल 9.97 लाख रुपयों की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी । इसमें 0.10 लाख रुपये की राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किन्तु यह अदा नहीं की गयी है ।
- * समामेलन योजना, @ परिसमापन + व्यवस्था योजना अंतर्गत लिये गये बैंक ।
- + + लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी ।
- + + + लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 2.07 लाख रुपये की राशि पुरांकित की गयी ।
- \$\$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरु किया गया और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. में इसका स्वैच्छिक समामेलन कर दिया गया ।
- % बैंक को स्वेच्छापूर्वक सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि. के साथ 1987 में समामेलित कर दिया गया ।

टिप्पणियाँ :

- (क) ऊपर दिये गये दावों के आंकड़े समायोजन करने के बाद के हैं ।
- (ख) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रियों के बारे में देयताओं को सूचित करते हैं ।

अनुबंध - VI

गैर औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1990 तक की स्थिति दर्शाने वाली सूची

I. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आंध्रा बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16. कॉर्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27. यूको बैंक
28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

29. एल्लिमिन बैंक निदरलैंड एन. वी.
30. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
31. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
32. बैंक ऑफ टोक्यो लि.
33. बैंक नेशनल दी पेरिस
34. ब्रिटिश बैंक ऑफ दी मिडिल ईस्ट
35. चार्टर्ड बैंक
36. सीटीबैंक एन. ए.
37. ए.एन. ज़ेड ग्रिण्डलेज़ बैंक पी. एल. सी
38. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
39. मित्सुई बैंक लि.
40. ओमन इन्टरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

41. बैंक ऑफ कराड लिमिटेड
42. बैंक ऑफ मदुराई लिमिटेड
43. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
44. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लिमिटेड
45. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
46. भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड
47. कैथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
48. धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
49. फेडरल बैंक लिमिटेड
50. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
51. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
52. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
53. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
54. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
55. लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
56. नैनीताल बैंक लिमिटेड
57. नेदुंगाडि बैंक लिमिटेड
58. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
59. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
60. रत्नाकर बैंक लिमिटेड

61. सांगली बैंक लिमिटेड
62. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
63. तमिलनाडू मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड
64. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड
65. वैश्य बैंक लिमिटेड

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

66. गणेश बैंक ऑफ कुरुदवाड लिमिटेड
67. काशिनाथ सेठ बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

68. अधियमान ग्राम बैंक
69. अकोला ग्रामीण बैंक
70. अलकनंदा ग्रामीण बैंक
71. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
72. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
73. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
74. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
75. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक
77. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
78. अवध ग्रामीण बैंक
79. बैतरणी ग्राम्य बैंक
80. बालसोर ग्राम्य बैंक
81. बालिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. बनासकांठा-महेसाणा ग्रामीण बैंक
83. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
84. वर्धमान ग्रामीण बैंक
85. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
86. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
87. बस्ती ग्रामीण बैंक
88. बेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
89. भागलपुर बांका ग्रामीण बैंक
90. भागीरथ ग्रामीण बैंक
91. भंडारा ग्रामीण बैंक
92. भीलवाडा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक

94. बीजापुर ग्रामीण बैंक
95. बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
96. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. बोलांगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
98. बुलढाना ग्रामीण बैंक
99. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
100. बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
101. कछार ग्रामीण बैंक
102. कावेरी ग्रामीण बैंक
103. चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. चंपारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. चैतन्य ग्रामीण बैंक
106. चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
107. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
108. छिन्दवाडा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. चिकमंगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक
110. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
111. कटक ग्राम्य बैंक
112. दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
113. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
114. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
115. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
116. डुंगरपुर-बांसवाडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
117. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
118. इलाकाई देहाती बैंक
119. एटा ग्रामीण बैंक
120. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
121. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. फरिदकोट-बटिन्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
123. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
124. फतेहपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
125. गंगा यमुना ग्रामीण बैंक
126. गौड़ ग्रामीण बैंक
127. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
128. गोदावरी ग्रामीण बैंक
129. गोलकुंडा ग्रामीण बैंक
130. गोमती ग्रामीण बैंक

अनुबंध VI (जारी)

- | | | |
|--|---|----|
| 131. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 169. मगध ग्रामीण बैंक | 20 |
| 132. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 170. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 21 |
| 133. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक | 171. मलप्रभा ग्रामीण बैंक | 21 |
| 134. गुड़गांव ग्रामीण बैंक | 172. मल्लभूम ग्रामीण बैंक | 21 |
| 135. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 173. मालवा ग्रामीण बैंक | 21 |
| 136. हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 174. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 21 |
| 137. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 175. मणिपुर रुरल बैंक | 21 |
| 138. हज़ारोबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 176. मंजिरा ग्रामीण बैंक | 21 |
| 139. हिमाचल ग्रामीण बैंक | 177. मराठवाडा ग्रामीण बैंक | 21 |
| 140. हिंडन ग्रामीण बैंक | 178. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 21 |
| 141. हिस्सार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 179. मारवाड़ ग्रामीण बैंक | 21 |
| 142. हावडा ग्रामीण बैंक | 180. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक | 22 |
| 143. इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 181. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक | 22 |
| 144. जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक | 182. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 22 |
| 145. जम्मू रुरल बैंक | 183. मिज़ोरम रुरल बैंक | 22 |
| 146. जामनगर ग्रामीण बैंक | 184. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 22 |
| 147. जमुना ग्रामीण बैंक | 185. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक | 22 |
| 148. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 186. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 22 |
| 149. जुनागढ़-अमरेली ग्रामीण बैंक | 187. नडिया ग्रामीण बैंक | 22 |
| 150. काकथिया ग्रामीण बैंक | 188. नागालैंड रुरल बैंक | 22 |
| 151. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक | 189. नागार्जुन ग्रामीण बैंक | 22 |
| 152. कल्पतरु ग्रामीण बैंक | 190. नैनीताल-अल्मोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 23 |
| 153. कामराज रुरल बैंक | 191. नालंदा ग्रामीण बैंक | 23 |
| 154. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 192. नेत्रवती ग्रामीण बैंक | 23 |
| 155. कपूरथला-फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 193. नीमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 23 |
| 156. काशी ग्रामीण बैंक | 194. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक | 23 |
| 157. खासी जैनतिया रुरल बैंक | 195. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 23 |
| 158. किसान ग्रामीण बैंक | 196. पंचमहल ग्रामीण बैंक | 23 |
| 159. कोलार ग्रामीण बैंक | 197. पर्वतीय ग्रामीण बैंक | 23 |
| 160. कोरपुट पंचवटी ग्राम्य बैंक | 198. पंड्यन ग्राम बैंक | 23 |
| 161. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 199. पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक | 24 |
| 162. कृष्णा ग्रामीण बैंक | 200. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक | 24 |
| 163. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 201. पिथोरगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 24 |
| 164. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक | 202. प्राग्यज्योतिष गांवलिया बैंक | 24 |
| 165. कच्छ ग्रामीण बैंक | 203. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 24 |
| 166. लखिमी गांवलिया बैंक | 204. प्रथमा बैंक | 24 |
| 167. लांगपी देहांगी रुरल बैंक | 205. पुरी ग्राम्य बैंक | 24 |
| 168. मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 206. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 24 |
| | 207. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 24 |
| | 208. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | 24 |

अनुबंध VI (जारी)

209. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
210. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
211. रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
212. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्राम्य बैंक
213. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
214. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
215. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
216. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
217. सागर ग्रामीण बैंक
218. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
219. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
220. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
221. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
222. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
223. सरन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
224. सरयू ग्रामीण बैंक
225. शारदा ग्रामीण बैंक
226. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
227. शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
228. शेखावटी ग्रामीण बैंक
229. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
230. शिवपुरी-गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
231. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
232. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
233. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
234. सोलापुर ग्रामीण बैंक
235. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
236. श्रावास्ती ग्रामीण बैंक
237. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
238. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
239. श्री कनक दुर्गा ग्रामीण बैंक
240. श्री राम ग्रामीण बैंक
241. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
242. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
243. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
244. सुवनसिरी गांवलिया बैंक
245. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
246. सूरत भरुच ग्रामीण बैंक
247. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
248. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

249. ठाणे ग्रामीण बैंक
250. थार-आंचलिक ग्रामीण बैंक
251. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
252. तुलसी ग्रामीण बैंक
253. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
254. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
255. वैशाखी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
256. वल्लालुर ग्राम बैंक
257. बलसाड डांगस ग्रामीण बैंक
258. वरदा ग्रामीण बैंक
259. विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
260. विदुर ग्रामीण बैंक
261. विध्यवासिनी ग्रामीण बैंक
262. विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक
263. यवतमाल ग्रामीण बैंक

II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

1. आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
2. असम फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
3. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
4. दिल्ली फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
5. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
6. हरियाणा फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
7. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
8. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
9. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
10. केरल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
11. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
12. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
13. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
15. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
16. पंजाब फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
17. राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
18. तमिलनाडू इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
20. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन

III. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्रा बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
15. कॉर्पोरेशन बैंक
16. देना बैंक
17. इंडियन बैंक
18. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
19. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
20. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
21. पंजाब नेशनल बैंक
22. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
23. सिडीकेट बैंक
24. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
25. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
26. यूको बैंक
27. विजया बैंक

विदेशी बैंक

28. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लिमिटेड
29. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
30. ब्रिटिश बैंक ऑफ दी मिडिल ईस्ट
31. सिटी बैंक एन. ए.
32. मित्सुई बैंक लिमिटेड

33. बैंक ऑफ कराड लिमिटेड
34. बैंक ऑफ मदुराई लिमिटेड
35. बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
36. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लिमिटेड
37. बनारस स्टेट बैंक लिमिटेड
38. भारत ओवरसीज़ बैंक लिमिटेड
39. केथलिक सीरियन बैंक लिमिटेड
40. फेडरल बैंक लिमिटेड
41. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लिमिटेड
42. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
43. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
44. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड
45. लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड
46. लार्ड कृष्णा बैंक लिमिटेड
47. नेदुंगाडि बैंक लिमिटेड
48. पूर्वांचल बैंक लिमिटेड
49. रत्नाकर बैंक लिमिटेड
50. सांगली बैंक लिमिटेड
51. साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
52. तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लिमिटेड
53. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

54. अधियमान ग्राम बैंक
55. अकोला ग्रामीण बैंक
56. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
57. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
58. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
59. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
60. बस्ती ग्रामीण बैंक
61. बेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
62. भंडारा ग्रामीण बैंक
63. भीलवाडा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
64. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
65. बीजापुर ग्रामीण बैंक
66. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
67. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
68. बुलढाना ग्रामीण बैंक

69. कछार ग्रामीण बैंक
70. कावेरी ग्रामीण बैंक
71. चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
72. कटक ग्राम्य बैंक
73. दुर्ग-राजनंदगाँव ग्रामीण बैंक
74. गंगा यमुना ग्रामीण बैंक
75. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
76. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
77. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
78. गुड़गाँव ग्रामीण बैंक
79. हाडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
81. हिमाचल ग्रामीण बैंक
82. हिंडन ग्रामीण बैंक
83. हावड़ा ग्रामीण बैंक
84. जयपुर-नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
85. जामनगर ग्रामीण बैंक
86. जमुना ग्रामीण बैंक
87. झाबुआ धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
88. काकथिया ग्रामीण बैंक
89. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
90. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
91. कपुरथला-फिरोज़पुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
92. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
94. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
95. लखिमी गांवलिया बैंक
96. मंडला-बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. मणिपुर रुरल बैंक
98. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
99. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
100. मेवाड़-आंचलिक ग्रामीण बैंक
101. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
102. मिज़ोरम रुरल बैंक
103. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
105. नैनीताल-अलमोडा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
106. नालंदा ग्रामीण बैंक
107. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
108. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

109. पंचमहल ग्रामीण बैंक
110. पंडुयन ग्राम बैंक
111. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
112. पुरी ग्राम्य बैंक
113. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
114. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
115. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
116. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
117. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
118. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
119. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
120. सरयू ग्रामीण बैंक
121. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
122. सिंहभूमि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
123. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
124. सोलापुर ग्रामीण बैंक
125. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
126. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
127. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
128. सुरेन्द्रनगर-भावनगर ग्रामीण बैंक
129. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
130. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
131. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
132. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
133. वल्लापुर ग्राम बैंक
134. वलसाड़-डांगज ग्रामीण बैंक
135. वरदा ग्रामीण बैंक
136. विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
137. विश्वेश्वरया ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

138. अदिलाबाद ज़िला केन्द्र सहकारी बैंक लिमिटेड
139. भोगिर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
140. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
141. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, नेल्लूर
142. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, विजयानगरम्
143. खम्मम् डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
144. कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड

गुजरात

145. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
146. कैरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
147. पंचमहाल्स डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

जम्मू और कश्मीर

148. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
149. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

कर्नाटक

150. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, बिदर
151. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

केरल

152. कोजीकोड़े डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

मध्य प्रदेश

153. बस्तर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
154. विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
155. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
156. मांडला डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
157. रायगढ़ को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
158. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड
159. शुजालपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

महाराष्ट्र

160. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
161. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
162. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
163. बुलढाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
164. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
165. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
166. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
167. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
168. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल बैंक लिमिटेड
169. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

170. सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड

राजस्थान

171. बाड़मेर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
172. भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
173. चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड

तमिलनाडु

174. तिरुनेलवेलि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

175. रुड़की को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
2. चारमिनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
3. वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड

गुजरात

4. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
5. बावला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
6. भरुच नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
7. कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
8. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
9. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
10. पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
11. सरदारगंज मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
12. श्री डीसा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
13. टेक्सटाईल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
14. वेरावल मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
15. सर्वोदय कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

कर्नाटक

16. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
17. ग्रेन मर्चन्टस् को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

18. जनता को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
19. नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
20. श्री विजय महान्तेश को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
21. श्री गुरुसिद्धेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
22. नवोदया सहकारी बैंक लिमिटेड
23. श्री सुब्रमन्येश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

केरल

24. कासारगोड को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
25. कोडुवायूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
26. मंजेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
27. पेरिन्तलमन्ना को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
28. तिरूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
29. सुल्तान्स बैटरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

महाराष्ट्र

30. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
31. अंजनगांव सुरजि नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
32. कॉसमॉस को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
33. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लिमिटेड
34. इचलकरंजी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
35. जयहिन्द को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
36. कलवा-बेलापुर सहकारी बैंक लिमिटेड
37. महाड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
38. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
39. नव जीवन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
40. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
41. नार्थ केनरा जी.एस.बी. को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
42. प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
43. रुपि को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
44. शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
45. श्री वारणा सहकारी बैंक लिमिटेड
46. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
47. वर्तकनगर-माजिवाडे नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड
48. यशवंत सहकारी बैंक लिमिटेड

तमिलनाडु

49. अम्बासमुद्रम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
50. अरंतांगी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
51. अरियालुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
52. अरकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
53. अरनी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
54. अत्तुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

55. बा. कोमारपालायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
56. भवानीकुडाल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
57. भूपतिराजु को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड
58. बिग कांचीपूरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
59. चेन्नीमलाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
60. दिन्डीगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
61. जॉर्ज टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
62. कल्लीडाईकुरुचि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
63. करूर टाउन को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
64. कोविलपट्टी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
65. मदुराई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
66. मयूरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
67. मुक्कुपेरी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
68. पत्तुकोट्टाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
69. पुडुकोट्टाई को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लिमिटेड
70. पुरुसावालकम को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
71. प्रकासपुरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
72. सिरकाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
73. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
74. श्री विल्लिपुत्तुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
75. श्री कमलाम्बिका को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
76. श्री लक्ष्मीनारायण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
77. त्यागरायानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
78. तिरुचिरापल्ली सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
79. तिरुमंगलम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड
80. तुतीकोरिन मेलुर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
81. उत्तमपलायम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

82. लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
83. यूनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
84. गाजीपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

जम्मू और कश्मीर

85. सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड
86. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

मध्य प्रदेश

87. नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
88. सेहोर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड
89. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक लिमिटेड

अनुबंध - VI (समाप्त)

छोटे उधारकर्ताओं के लिए निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1990 की वर्गवार स्थिति

गारंटी योजना का नाम	31 मार्च 1989 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएं				अप्रैल 1989-मार्च 1990 के दौरान शामिल (+)/अलग(-) होनेवाली ऋण संस्थाएं				भाग लेनेवालों की कुल संख्या 31 मार्च 1990 की स्थिति			
	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल	वाणिज्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी बैंक	कुल
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	71	196	-	267	(-) 4xx	-	-	(-) 4	67	196	-	263
2. लघु ऋण (द्वितीय निगम) गारंटी योजना, 1971 xxx	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	20
3. सेवा सहकारी समितियों गारंटी योजना, 1971	56	84	38	178	(-) 3x	-	-	(-) 3	53	84	38	175
4. लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना, 1982xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	-	-	86	86	-	-	(+) 3	(+) 3	-	-	89	89

xxx केवल राज्य वितीय निगम ही योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।

xxx योजना में शामिल होने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंक/राज्य भूमि विकास बैंक को शाखाओं जैसी ऋण संस्थाएं पात्र हैं। अब तक इस प्रकार की कोई भी ऋण संस्था योजना में शामिल नहीं हुई है।

xx निम्नलिखित बैंकों के समामेलन के कारण कमी:-

बैंक का नाम

x 1. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक

लिमिटेड

2. बैंक ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड

3. बैंक ऑफ तंजावुर लिमिटेड

4. परस्ट्रल बैंक लिमिटेड

निगम की गारंटी योजना के सहभागी निम्नलिखित बैंकों को ऋण स्थगन आदेशों के अंतर्गत रखा गया

बैंक का नाम

1. पूर्ववर्त बैंक लिमिटेड

2. वर्तकनगर भाजीवाड़े नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड

किस बैंक में समामेलन हुआ

इलाहाबाद बैंक

समामेलन की तारीख

31.10.1989

इन्डियन ओकसीज बैंक

इन्डियन बैंक

बैंक ऑफ इंडिया

योगन

लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

अनुबंध - VIII

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	उधारकर्ताओं की श्रेणी	31 मार्च 1989 तक प्राप्त कुल दावे		1989-90 के दौरान प्राप्त दावे		कॉलम 6 की कुल राशि का प्रतिशत	जोड़		कॉलम 9 की राशि का कुल प्रतिशत
		संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या (3+5)	राशि (4+6)	
		1	2	3	4		5	6	
I.	कृषक और काश्तकार	23,89,151	543.75	7,72,935	182.81	51.39	31,62,086	726.56	51.78
II.	परिवहन चालक	1,94,876	157.01	52,747	33.10	9.30	2,47,623	190.11	13.55
III.	फुटकर व्यापारी	7,89,885	192.39	2,98,583	78.37	22.03	10,88,468	278.76	19.29
IV.	व्यवसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति	4,04,449	70.76	1,37,434	29.12	8.19	5,41,883	99.88	7.12
V.	कारोबारी उद्यम	2,18,656	44.82	96,088	19.44	5.46	3,14,744	64.25	4.58
VI.	विभेदक ब्याज दर योजना के अंतर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी	5,06,744	37.77	1,44,110	12.70	3.57	6,50,854	50.47	3.60
VII.	उपभोग और मकान या आवास की खरीद या निर्माण हेतु ऋण सुविधाएँ	5,354	0.88	1,452	0.21	0.06	6,806	1.09	0.08
जोड़		45,09,115	1,047.37	15,03,349	355.75	100.00	60,12,464	1,403.12	100.00

अनुबंध - IX

निगम के छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

अवधि	कॉलम 4 और 5 के अनुसार निपटारे गये दावों में से										वर्ष के अंत तक	
	प्राप्त दावे		निपटारे गये दावे		अदा किये गये दावे		वापस लिये गये दावे		अस्वीकृत दावे		विचाराधीन दावे	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1977 के अंत तक	21,638	6.70	12,410	3.30	11,606	2.94	423	0.13	381	0.23		
1978 के दौरान	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24		
1979 के दौरान	39,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85		
1980 के दौरान	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62		
1981 के दौरान	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77		
1982 के दौरान	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43		
1983 के दौरान	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18		
1984 के दौरान	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88		
1985 के दौरान	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68		
1986 के दौरान	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35		
1987 के दौरान	10,71,221	255.27	7,67,080	148.41	7,42,061	141.92	25	0.07	24,994	6.42		
1988-89 के दौरान (15 माह)	15,28,391	364.07	12,90,945	280.61	12,60,266	272.29	515	0.11	30,164	8.21		
उप जोड़ "क"	45,09,115	1,047.37	38,12,861	818.02	34,44,484	661.53	2,74,162	131.63	94,215	24.86	6,96,254	229.34
1989-90 के दौरान												
I (नया फॉर्मेट)	15,03,088	354.87	15,98,622	346.40	15,72,258	338.52	1,201	0.26	25,163	7.62		
(एन आई-II)												
II लघु ऋण (वित्तीय निगम)												
गारंटी योजना 1971	108	0.82	27	0.14	9	0.03	8	0.04	10	0.07		
III लघु ऋण (सहकारी बैंक)												
गारंटी योजना 1984	153	0.06	142	0.04	122	0.03			20	0.01		
उप जोड़ "ख"	15,03,349	355.75	15,98,791	346.58	15,72,389	338.58	1,209	0.30	25,193	7.70		
(I) + (II) + (III)												
कुल जोड़												
("क" + "ख")	60,12,464	1,403.12	54,11,652	1,164.60	50,16,873	1,000.11	2,75,371	131.93	1,19,408	32.56	6,00,812	238.52
1971 से मार्च 1990												

विचाराधीन दावों का अलग-अलग विवरण

	संख्या	राशि
1. संसाधित किये जाने वाले	2,82,174	72.29
2. संसाधित परन्तु स्पष्टीकरण के अभाव में विचाराधीन	3,18,638	166.23
	6,00,812	238.52

अनुबंध X

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 की सहभागी ऋण संस्थाओं की सूची - 31 मार्च 1990

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ ब्रीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. इलाहबाद बैंक
2. आन्ध्र बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8. कापेरिशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
12. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
13. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
16. सिंडीकेट बैंक
17. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
18. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक

विदेशी बैंक

1. अबू धाबी कर्माशियल बैंक लि.
2. एल्लिजमिन बैंक नीदरलैंड एन. वी.

3. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.
4. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोशिएशन
5. बैंक ऑफ बेहरीन एण्ड कुवैत बी. एस. सी.
6. बैंक ऑफ टोक्यो लि.
7. बैंक नेशनल डी. पेरिस
8. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
9. सिटी बैंक एन.ए.
10. ए.एन.जेड.ग्रिण्डलेज़ बैंक लिमिटेड पी.एल.सी.
11. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कापेरिशन लिमिटेड
12. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ मदुराई लि.
2. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
3. बनारस स्टेट बैंक लि.
4. बरेली कापेरिशन बैंक लि.
5. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
6. कैथलिक सीरियन बैंक लि.
7. धनलक्ष्मी बैंक लि.
8. फ़ैडरल बैंक लि.
9. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
10. कर्नाटक बैंक लि.
11. करूर वैश्य बैंक लि.
12. कुम्भकोणम् सिटी यूनियन बैंक लि.
13. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
14. लार्ड कृष्ण बैंक लि.
15. नैनीताल बैंक लि.
16. नेदुंगाडि बैंक लि.
17. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. पूर्वांचल बैंक लि.
19. रत्नाकर बैंक लि.
20. सांगली बैंक लि.
21. साउथ इण्डियन बैंक लि.
22. तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लि.
23. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
24. वैश्य बैंक लि.

अनुबंध X (जारी)

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. काशीनाथ सेठ बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अधियमन ग्राम बैंक
2. अकोला ग्रामीण बैंक
3. अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
4. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
5. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
6. इलाहबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
10. बैतरणी ग्राम्य बैंक
11. बालासोर ग्राम्य बैंक
12. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
13. वर्धमान ग्रामीण बैंक
14. बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. बेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. भंडारा ग्रामीण बैंक
19. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. भोजपुर-रोहतास ग्रामीण बैंक
21. बीजापुर ग्रामीण बैंक
22. बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. बिलासपुर-रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
24. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
25. बुलढाना ग्रामीण बैंक
26. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
27. बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
28. कछार ग्रामीण बैंक
29. कावेरी ग्रामीण बैंक
30. चैतन्य ग्रामीण बैंक
31. चंबल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
32. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
33. छिदवाड़ा सिओनी ग्रामीण बैंक

34. चिकमगलुर-कोडगू ग्रामीण बैंक
35. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
36. कटक ग्राम्य बैंक
37. दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
40. धेनकनाल ग्राम्य बैंक
41. डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
42. दुर्ग रोजनंदगांव ग्रामीण बैंक
43. इल्लाकाई देहाती बैंक
44. एटा ग्रामीण बैंक
45. फरीदकोट भटिन्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
46. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
47. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक
48. गौड़ ग्रामीण बैंक
49. गोदावरी ग्रामीण बैंक
50. गोलकोडा ग्रामीण बैंक
51. गोमती ग्रामीण बैंक
52. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
53. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
54. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
55. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
56. हज़ारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
57. हिमाचल ग्रामीण बैंक
58. हिसार सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
59. हावड़ा ग्रामीण बैंक
60. इंदौर-उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
61. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
62. जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक
63. जमुना ग्रामीण बैंक
64. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
65. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक
66. काकथिया ग्रामीण बैंक
67. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
68. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
69. कामराज रुरल बैंक
70. कनकदुर्ग ग्रामीण बैंक

अनुबंध X (जारी)

71. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
72. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
73. खासी जयंतिया रुरल बैंक
74. काशी ग्रामीण बैंक
75. किसान ग्रामीण बैंक
76. कोलार ग्रामीण बैंक
77. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
78. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
79. कृष्णा ग्रामीण बैंक
80. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, होशंगाबाद
81. कच्छ ग्रामीण बैंक
82. लखिमी गांवलिया बैंक
83. लान्गपि देहान्गी रुरल बैंक
84. मगध ग्रामीण बैंक
85. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
86. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
87. मालवा ग्रामीण बैंक
88. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
89. मणिपुर रुरल बैंक
90. मंजीरा ग्रामीण बैंक
91. मराठवाडा ग्रामीण बैंक
92. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
93. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
94. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
95. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
96. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. मिज़ोरम रुरल बैंक
98. मूंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
99. मुर्शिदाबाद ग्रामीण बैंक
100. नडिया ग्रामीण बैंक
101. नागालैंड रुरल बैंक
102. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
103. नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. नालंदा ग्रामीण बैंक
105. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
106. निमाड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
107. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
108. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. पंचमहाल ग्रामीण बैंक
110. पंड्यन ग्राम्य बैंक
111. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
112. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक
113. पिथौरागढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
114. प्राग्जयोतिष गांवलिया बैंक
115. प्रथमा बैंक
116. पुरी ग्राम्य बैंक
117. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
119. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
120. राणी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
121. रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. रत्नागिरी-सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक
123. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
124. रेवा सिद्धि ग्रामीण बैंक
125. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
126. साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक
127. सागर ग्रामीण बैंक
128. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
129. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
130. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
131. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
132. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
133. सरयू ग्रामीण बैंक
134. शारदा ग्रामीण बैंक
135. शेखावटी ग्रामीण बैंक
136. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
137. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
138. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
139. सोलापुर ग्रामीण बैंक
140. साउथ मलबार ग्रामीण बैंक
141. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
142. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
143. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
144. श्री राम ग्रामीण बैंक
145. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
146. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
147. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
148. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
149. सुबनसीरी गांवलिया बैंक
150. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

अनुबंध X (जारी)

151. सुरेंद्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
152. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
153. ठाणे ग्रामीण बैंक
154. धार-आंचलिक ग्रामीण बैंक
155. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
156. तुलसी ग्रामीण बैंक
157. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
158. उत्तर बंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
159. वलसाड़ डांगजू ग्रामीण बैंक
160. वल्लार ग्राम बैंक
161. वरदा ग्रामीण बैंक
162. विदिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
163. विंध्यावासिनी ग्रामीण बैंक
164. विश्वेश्वराया ग्रामीण बैंक
165. यवतमाल ग्रामीण बैंक

राज्य वित्तीय निगम

1. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
2. दिल्ली फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
3. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
4. हरियाणा फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
5. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
6. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
7. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
8. केरल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
9. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
10. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
11. पंजाब फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
12. राजस्थान फाइनेन्शियल कार्पोरेशन
13. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
14. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कार्पोरेशन

मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएँ

1. अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कार्पोरेशन लि.
2. इकॉनोमिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन ऑफ गोवा, दमण एण्ड दीव लि.
3. मणिपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
4. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

5. नागालैण्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.
6. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
7. सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि.
8. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि.

सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक

1. आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक
3. केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
5. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. पांडिचेरी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
2. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. महबूबनगर
3. गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
4. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
5. प्रकाशम् डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
6. नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

बिहार

1. धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

गुजरात

1. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अमरेली जिला मध्यस्थ सहकारी बैंक लि.
3. बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. कोडिनार तालुका को-ऑपरेटिव बैंकिंग यूनियन लि.
9. पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

10. मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. साबरकाठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. बलसाड़ ज़िला सहकारी बैंक लि.

हरियाणा

1. ब्रायने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

1. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
2. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. मैसूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
4. शिमोगा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
5. साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. अल्लेप्पै डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कन्नूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. इडुक्की डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. कासारगोड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
6. कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. मलबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
8. मलप्युरुम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. पालघाट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
10. पथानामथित्ता डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. पेरियार सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. क्विलोन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. त्रिवेंद्रम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. वायनाड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

1. भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
2. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अंबिकापुर
3. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
4. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छत्तरपुर
5. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
6. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग
7. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
8. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खारगोन
9. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा
10. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मन्दसौर
11. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, पन्ना
12. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायगढ़
13. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रेवा
14. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, उज्जैन
15. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बुलढाना डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. धुळे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. लातूर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. पुणे ज़िला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित
21. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

22. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. सातारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
30. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि. कुम्भकोणम
2. कोयम्बतूर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. धर्मपुरी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कांचीपुरम् सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. कन्याकुमारी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. मद्रास सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. मदुराई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. नीलगिरीज् को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
9. पुडूकोट्टाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. रामनाथपुरम् डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. सालेम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. साउथ आरकाट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. तन्जौर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. त्रिरुचिरापल्ली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. तिरूनेलवेली सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. वेल्लोर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
2. भीमावरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
3. गुडिवाडा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
4. वसावी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

1. अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. आनंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. अन्योन्य सहकारी मंडली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बनासकांठा मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
9. भडोच नागरिक सहकारी बैंक लि.
10. चनासमा कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. चरोतर नागरिक सहकारी बैंक लि.
12. सिटीजन को-ऑपरेटिव बैंक लि. राजकोट
13. को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि.
14. कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. धिनोज नागरिक सहकारी बैंक लि.
16. दाहोद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अहमदाबाद
18. हिम्मतनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
19. झालोड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. कालुपुर कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. कुकरवाडा नागरिक सहकारी बैंक लि.
22. माधवपुर मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. मानेकचौक को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. नडियाड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. नाटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. नायक मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
29. पाटण नागरिक सहकारी बैंक लि.
30. प्रोग्रेसिव मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
32. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. सरदार भिलवाडा पारडी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. सरदारगंज मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. पाटण
35. सर्वोदय कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. सर्वोदय सहकारी बैंक लि. सूरत
37. श्री महालक्ष्मी मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. सुरेन्द्रनगर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

39. टेक्सटाईल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. उमा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
41. यूनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. नडियाड
42. उंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
43. वेरावल मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
44. वेरावल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
45. विजय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
46. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.

1. बसोड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक लि.
3. सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लि. दामोह
4. इंदौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक मर्यादित

महाराष्ट्र

जम्मू और कश्मीर

1. सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. जम्मू
2. अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. अनंतनाग

1. अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अलेन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अमळनेर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
5. अपना सहकारी बैंक लि.
6. आशिर्वाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
7. बारामती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. चोपड़ा पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
10. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
11. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
12. जयहिन्द को-ऑपरेटिव बैंक लि. अंबरनाथ
13. जालना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. जनकल्याण सहकारी बैंक लि.
15. जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि. अकोला
16. जनता सहकारी बैंक लि. नन्दुबार
17. जनता सहकारी बैंक लि. पुणे
18. कराड जनता सहकारी बैंक लि.
19. कोंकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. कोल्हापुर मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. कोपरगांव तालुका मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. महाड को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
23. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. मेनन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि. धुळे
26. मुर्गराजेन्द्र सहकारी बैंक लि.
27. मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. नागरिक सहकारी बैंक लि. एरंडोल

कर्नाटक

1. बीजापुर श्रीसिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि. मैसूर
3. होनावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. मैसूर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. नवोदय सहकारी बैंक लि.
7. श्री कन्यकापरमेश्वरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. श्री गुरुसिद्धेश्वर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. श्री विजय महान्तेश को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. तुमकुर वीरशैवा को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. अलवाये अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. काडुथुरुथी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. कासरगोड़ को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
4. मीनाचील को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. पालघाट को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
6. पयानगडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. पेरिन्तलमन्ना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
8. सुल्तान्स बैटरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
9. तिरूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

30. नन्दुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. नासिक मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. नार्थ केनरा गौड़ सारस्वत ब्राह्मण को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि. इचलकरंजी
35. पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. पारसिक जनता सहकारी बैंक लि.
37. प्रवरा सहकारी बैंक लि.
38. पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. रायगढ़ सहकारी बैंक लि.
40. रेण्डल सहकारी बैंक लि.
41. रूपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
42. सह्याद्री सहकारी बैंक लि.
43. संगमनेर मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
44. सांगली जनता सहकारी बैंक लि.
45. सांगली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
46. सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
47. शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
48. शिरपुर मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
49. श्री वारणा सहकारी बैंक लि.
50. श्री अरिहंत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
51. श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
52. श्री शिवनेरी सहकारी बैंक लि.
53. सोलापुर मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
54. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित
55. सोलापुर जनता सहकारी बैंक लि.
56. स्वस्तिक जनता सहकारी बैंक लि.
57. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि.
58. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
59. उद्यम विकास सहकारी बैंक लि.
60. वडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
61. वैद्यनाथ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
62. विटा मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
63. यशवंत सहकारी बैंक लि.
64. यवतमाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
65. प्रताप को-ऑपरेटिव बैंक लि.
66. देवगिरी नागरी सहकारी बैंक लि.

मणिपुर

1. इम्फाल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

राजस्थान

1. अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. अम्मापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अरकोनम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
3. अरणी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
4. अतुर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. भूपतिराजु को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
6. बिग कांचीपुरम् को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
7. चिंताद्रिपेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. कोयम्बतूर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. कून्नूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
10. धरमपुरी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
11. जार्ज टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. करुन्ताडानकुडी द्रविडियन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. कृष्णागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. मदुराई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. मन्नारगुडी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. मेत्तिपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
17. नामक्कल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
18. नजरेथ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. पलानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
20. परमकुडी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
21. पट्टुकोटाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
22. पोल्लाचि को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
23. पुरसावालकम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. रासीपुरम् को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
25. सालेम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. सांकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

अनुबंध X (जारी)

27. शिवापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
29. श्री विल्लीपुत्र को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
30. सुब्रमणिनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. त्यागरायनगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. तिन्नेवेली जक्शन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. तिरुकोईलुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
34. तिरुमंगलम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
35. तिरुप्पुत्र टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. तिरुप्पुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
37. तिरुचिरापल्ली सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. तिरुचिरापल्ली हिरुदयापुरम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.

39. तिरुवन्नमलै को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
40. वनियम्बाडी टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
41. विल्लुपुरम् को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
42. विरावनाल्लुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

1. युनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि, कानपुर
2. बिजनौर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. कोन्टाई को-ऑपरेटिव बैंक लि.

अनुबंध - X (समाप्त)

निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में भाग लेनेवाली
ऋण संस्थाओं की 31 मार्च 1990 तक की वर्गवार स्थिति

ऋण संस्थाओं का वर्ग	लघु उद्योग के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएँ 31 मार्च 1981 की स्थिति	निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में भाग लेनेवाली ऋण संस्थाएँ 31 दिसंबर 1989 की स्थिति	लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में 1989-90 के दौरान शामिल हुयी ऋण संस्थाएँ	ऐसी ऋण संस्थाएँ जो योजना से अलग हो गयी हैं या अन्य बैंकों के साथ मिल जाने पर/ अन्य कारणों से जिनके नाम 1989-90 के दौरान हटा दिये गये हैं	भाग लेनेवाली संस्थाओं की कुल संख्या 31 मार्च 1990 की स्थिति (3 + 4-5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंक	8	8	-	-	8
2. राष्ट्रीयकृत बैंक	20	20	-	-	20
3. अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक	44	40	-	4	36
4. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक	2	1	-	-	1
5. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34	163	2	-	165
6. राज्य वित्तीय निगम	18	14	-	-	14
7. अन्य राज्य विकास एजेन्सियां	5	8	-	-	8
8. सहकारी बैंक	197	290	11	-	301
जोड़ :-	328	544	13	4	553

राज्य सहकारी बैंक	-	6
मध्यवर्ती सहकारी बैंक	-	104
प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	-	191
जोड़	-	<u>301</u>

अनुबंध XI

लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत 1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान दावों की राशिवार प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रूपयों में)

दावों को राशि	31 मार्च 1989 तक अनिर्णीत		1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 तक की अवधि के दौरान प्राप्ति		उक्त अवधि के दौरान निपटान								31 मार्च 1990 तक अनिर्णीत	
					अदा किये गये		वापस लिये गये		रद्द किये गये		कुल निपटान			
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
(क) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981														
1. 25,000/- रूपये तक	20735	9.42	66089	36.37	72844	37.96	9941	5.28	752	0.77	83537	44.01	3287	1.78
2. 25,000/- रूपये से अधिक और 1 लाख रूपये तक	5967	26.03	4398	22.35	5670	25.74	3193	14.14	509	2.82	9372	42.70	993	5.67
3. 1 लाख रूपये से अधिक और 5 लाख रूपये तक	4362	99.74	3671	69.93	3044	67.72	3285	62.05	731	17.94	7060	147.71	973	21.96
4. 5 लाख रूपये से अधिक	1478	122.34	736	63.93	488	38.54	552	45.38	570	49.74	1610	133.66	604	52.62
जोड़ :-	32542	257.53	74894	192.58	82046	169.96	16971	126.85	2562	71.27	101579	368.08	5857	82.03
(ख) लघु उद्योग के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)														
1. 25,000/- रूपये तक	2669	0.97	668	0.36	2476	0.85	354	0.22	366	0.12	3196	1.19	141	0.14
2. 25,000/- रूपये से अधिक और 1 लाख रूपये तक	758	3.93	216	1.08	342	1.61	193	1.01	175	0.99	710	3.61	264	1.40
3. 1 लाख रूपये से अधिक और 5 लाख रूपये तक	415	9.65	104	2.51	112	2.56	94	2.29	138	3.15	344	8.00	175	4.16
4. 5 लाख रूपये से अधिक	94	7.86	26	2.09	26	1.94	22	2.24	44	3.31	92	7.49	28	2.46
जोड़ :-	3936	22.41	1014	6.04	2956	6.96	663	5.76	723	7.57	4342	20.29	608	8.16

अनुबंध XII

लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 1990 को अनिर्णित दावों का अवधि-वार और राशि-वार वर्गीकरण दर्शानेवाला विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

दावों की राशि	3 महिने तक		3 महिने से 6 महिने तक		6 महिने से 9 महिने तक		9 महिने से 12 महिने तक		1 वर्ष तक		2 वर्ष से 3 वर्ष तक		3 वर्ष से अधिक		जोड़	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(क) निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981																
1. 25,000/- रुपये तक	3,074	1.57	62	0.05	21	0.02	22	0.03	63	0.05	30	0.03	15	0.03	3,287	1.78
2. 25,000/- रुपये से अधिक और एक लाख रुपये तक	653	3.98	56	0.24	39	0.17	91	0.45	50	0.26	44	0.24	60	0.33	993	5.67
3. एक लाख रुपये से अधिक और तीन लाख रुपये तक	432	7.11	46	0.71	14	0.20	27	0.28	36	0.52	30	0.42	31	0.41	616	9.65
4. 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	151	5.76	18	0.84	14	0.57	35	1.10	42	1.28	54	1.60	43	1.36	357	12.31
5. 5 लाख रुपये से अधिक	190	17.71	78	6.67	49	4.03	95	6.95	73	6.76	62	4.97	57	5.53	604	52.62
जोड़ :-	4,500	36.13	260	8.31	137	4.99	270	8.81	264	8.87	220	7.26	206	7.65	5,857	82.03
लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब निरस्त)																
1. 25,000/- रुपये तक	2	-X	-	-	-	-	84-	0.08	22	0.02	-	-	33	0.04	141	0.14
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक	3	0.02	-	-	-	-	113	0.40	36	0.20	11	0.08	101	0.70	264	1.40
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 3 लाख रुपये तक	1	0.03	-	-	+1	0.01	27	0.45	26	0.46	3	0.07	42	0.62	100	1.64
4. 3 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक	1	0.04	-	-	-	-	18	0.58	4	0.16	7	0.23	45	1.51	75	2.52
5. 5 लाख रुपये से अधिक	3	0.26	2	0.20	-	-	4	0.30	8	0.64	3	0.26	8	0.80	28	2.46
जोड़ :	10	0.35	2	0.20	1	0.01	216	1.81	96	1.48	24	0.64	229	3.67	608	8.16

x 0.06 लाख रुपये तक

अनुबंध - XIII

लघु उद्योगों से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण (राशि करोड़ रुपयों में)

अवधि	प्राप्त दावे		अवधि के अंत तक निपटारे गये दावे				निपटारे गये दावों में से				अनिर्णीत दावे	
	संख्या	राशि	अदा किये		वापस लिये		रद्द किये		संख्या	राशि	संख्या	राशि
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भाग "अ" निगम की लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981												
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	1308	1.74	3105	2.13	1542	0.37	1537	1.72	26	0.04	1308	1.74
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	4013	9.40	7328	12.93	5184	3.43	2066	9.00	78	0.50	2216	9.01
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	9325	32.58	9522	13.73	7855	9.91	1610	2.92	57	0.90	4213	28.66
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	18300	53.98	22791	25.08	18264	12.06	4116	11.61	411	1.41	12991	68.91
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	22048	71.99	30299	67.07	19695	24.10	10261	40.30	343	2.67	12248	115.82
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	33723	104.92	40206	88.16	38099	69.09	1580	8.26	527	10.81	15672	153.67
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	44711	131.68	81351	156.56	67002	92.78	13542	48.54	807	15.24	20177	197.19
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989	93716	216.90	1,01,579	368.08	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	32542	257.53
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	74,894	192.58	793.74	2,39,687	381.70	51,683	24,920	4,811	102.84		5,857	82.03
जोड़	3,02,038	815.77	2,96,181	793.74	2,39,687	381.70	51,683	24,920	4,811	102.84		
भाग "आ" लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)												
पहली अप्रैल 1981 को अनिर्णीत दावे (भारतीय रिज़र्व बैंक से लिये गये)	30826	98.18	5447	10.69	4225	6.54	462	1.94	760	2.21	39290	108.05
पहली अप्रैल 1981 से 31 दिसंबर 1981	13911	20.56	20445	24.43	16936	14.62	2309	5.37	1200	4.24	29292	104.15
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसंबर 1982	10447	20.53	19469	26.78	16394	16.28	1734	7.23	1341	3.27	17701	97.45
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसंबर 1983	7878	20.08	18262	33.53	10214	21.32	5496	8.33	2552	3.88	7360	80.42
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसंबर 1984	7921	16.50	8597	31.96	5325	12.92	3085	17.24	187	1.80	4022	62.53
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसंबर 1985	5259	14.07	6903	42.10	3965	14.32	2480	22.07	458	5.71	2033	35.33
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसंबर 1986	4914	14.90	5601	33.81	4849	26.32	584	3.84	168	3.65	1302	18.91
पहली जनवरी 1987 से 31 दिसंबर 1987	4870	17.39	8186	20.70	6788	11.39	841	4.83	557	4.48	3936	22.41
पहली जनवरी 1988 से 31 मार्च 1989	10820	24.20	4342	20.29	2,956	6.96	663	5.76	723	7.57	608	8.16
पहली अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990	1,014	6.04	97,252	244.29	71,652	130.67	17,654	76.81	7,946	36.81		
उप-जोड़	67,034	154.27	97,252	244.29	71,652	130.67	17,654	76.81	7,946	36.81		
जोड़	97,860	252.45	97,252	244.29	71,652	130.67	17,654	76.81	7,946	36.81		

अनिर्णीत दावों का अलग-अलग विवरण

निगम की योजना		सरकार की योजना	
संख्या	राशि	संख्या	राशि
4374	71.45	472	6.56
1483	10.58	136	1.60
5857	82.03	608	8.16

प्रोसेस किये जाने वाले
अभाव में निपटारा जाने वाले

अनुबंध - XIV

1981 से 1989-90 वर्षों के दौरान प्राप्त गारंटी शुल्क का योजनावार विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

योजना	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988-89 (15 माह)	1989-90
1. लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32
2. लघु ऋण (वित्त निगम) गारंटी योजना, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12
3. सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	x	x	x	x	x	x	x	x	0.01
4. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	-	-	-	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31
5. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07
जोड़ :-	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.83

X	1981	-रु.39,000/-
	1982	-रु.73,000/-
	1983	-रु.14,000/-
	1984	-रु.25,000/-
	1985	-रु. 5,000/-
	1986	-रु. 1,000/-
	1987	-रु. 7,000/-
	1988-89	-रु.58,000/-

अनुबंध - XV

31 मार्च 1990 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि का निवेश

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	विवरण	बाजार दर प्रतिशत			जमा बीमानिधि			ऋण गारंटी निधि			सामान्य निधि			
		अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
(क) जिन प्रतिभूतियों में मूल्यहास हुआ है														
1.	5 3/4 % ऋण 2002	54.00	3.00	1.86	1.62	87.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	6 1/2 % ऋण 2002	69.75	-	-	-	-	3.37	3.38	2.35	69.53	-	-	-	-
3.	6 1/2 % ऋण 2003	68.75	-	-	-	-	2.66	2.66	1.83	68.80	-	-	-	-
4.	6 1/2 % ऋण 2004	64.00	15.96	13.91	10.22	73.47	2.30	2.81	1.79	63.70	-	-	-	-
5.	6 1/2 % ऋण 2005	57.00	5.95	5.98	3.39	56.69	3.00	3.02	1.71	56.62	-	-	-	-
6.	6 3/4 % ऋण 2006	62.00	14.29	14.28	8.86	62.04	2.42	2.43	1.50	61.73	2.15	2.15	1.33	61.86
7.	6 3/4 % ऋण 2007	64.00	9.41	9.36	6.02	64.32	4.00	4.01	2.56	63.84	-	-	-	-
8.	7 % ऋण 2009	62.00	34.63	34.66	21.47	61.94	6.00	6.01	3.72	61.90	0.05	00.5	0.03	60.00
9.	7 1/2 % ऋण 2010	66.00	41.29	39.50	27.25	68.99	11.28	11.13	7.45	66.94	5.88	5.84	3.88	66.44
10.	8 % ऋण 2011	66.00	69.12	60.44	45.62	75.48	59.91	59.35	39.54	66.62	6.80	6.24	4.49	71.96
11.	8 3/4 % ऋण	78.00	0.78	0.78	0.61	78.21	3.00	3.00	2.34	78.00	-	-	-	-
12.	9 % ऋण 2013	76.00	39.48	38.48	30.00	77.96	61.65	60.76	46.85	77.11	15.00	15.02	11.40	75.90
13.	9 1/2 % ऋण 2008	80.00	6.02	5.92	4.82	81.42	17.17	17.04	13.74	80.63	0.65	0.65	0.52	80.00
14.	10 % ऋण 2014	86.00	45.77	45.62	39.36	86.28	33.05	33.06	28.42	85.96	12.00	12.02	10.32	85.86
15.	10 1/4 % ऋण 2012	87.50	13.41	13.42	11.73	87.41	26.17	26.20	22.90	87.40	10.26	10.28	8.98	87.35
16.	10 1/2 % ऋण 1996	100.00*	9.11	9.16	9.11	99.45	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध XV (जारी)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3	14	15
17.	101/2 रुग 2014	91.75	21.52	21.51	19.75	91.82	34.45	34.45	34.45	31.61	91.76	7.39	7.38	6.78	91.87
18.	11 1/2% रुग 2008 (IV)	98.90	3.85	3.85	3.81	98.96	-	-	-	-	-	2.00	2.00	1.98	99.00
19.	11 1/2% रुग 2009 (II)	100.00	53.00	53.00	53.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	11 1/2% रुग 2009 (III)	100.00	22.00	22.00	22.00	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	11 1/2% रुग 2009 (IV)	100.00*	-	-	-	-	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	-	-	-
22.	11 1/2% रुग 2015	99.50	87.12	87.14	86.68	99.47	-	-	-	-	-	11.10	11.12	11.04	99.28
	जोड़ "क"	495.71	480.87	405.32	370.93	84.29	308.31	369.31	83.48	72.75	73.28	2.03	2.03	60.75	83.51
(ख) प्रतिभूतियां जिनके मूल्य में वृद्धि हुई है															
1.	6 1/2% रुग 2001	79.35	2.50	1.72	1.98	115.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	6 1/2% रुग 2002	69.75	10.20	6.84	7.11	103.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	6 1/2% रुग 1994	90.80	0.14	0.12	0.13	108.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	7 1/2 % रुग 2001	80.50	11.00	8.34	8.86	106.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	11 1/2% रुग 2006	101.75	85.28	86.47	86.77	100.35	20.57	20.57	20.93	101.75	2.00	2.00	2.00	2.04	102.00
6.	11 1/2% रुग 2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	100.00
7.	11 1/2% रुग 2009	100.95	17.00	17.00	17.16	100.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	जोड़ "ख"	126.12	120.49	122.01	101.26	20.57	20.93	101.75	20.93	101.75	2.03	2.03	2.03	2.07	101.97

(ग) "वापस खरीद" व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश @

1.	8 1/4% रुग 1995	92.70	0.13	0.12	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	8 1/4% रुग 1995	92.80	0.61	0.56	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	8 1/4% रुग 1995	92.95	9.74	9.05	9.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	8 1/4% रुग 2005	76.80	-	-	-	1.00	0.77	0.77	-	-	-	-	-	-	-
5.	9 1/4 % रुग 1992	99.30	0.16	0.16	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	9 1/4 % रुग 1992	99.35	0.44	0.44	0.44	-	-	-	8.94	8.94	-	-	-	-	-
7.	10 1/4% रुग 2012	90.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.22	0.22	-
8.	10 1/2% रुग 1997	101.15	-	-	-	3.00	3.04	3.04	-	-	-	-	-	-	-
9.	10 1/2% रुग 1998	101.60	-	-	-	50.00	50.80	50.80	-	-	-	-	-	-	-
10.	10 1/2 % रुग 2005	93.05	-	-	-	4.69	4.36	4.36	-	-	-	-	-	-	-

अनुबंध XV (समाप्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11.	11 1/2% ऋण 2002	101.20	-	-	-	-	0.55	0.56	0.56	-	-	-	-	-
12.	11.30% ऋण 2004	101.60	-	-	-	-	5.00	5.08	5.08	-	-	-	-	-
13.	11 1/2% ऋण 2006	101.95	-	-	-	-	0.17	0.17	0.17	-	-	-	-	-
14.	11 1/2% ऋण 2007	100.50	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.11	-
	जोड़ "ग"	11.08	10.33	10.33	10.33	-	73.41	73.72	73.72	-	0.36	0.33	0.33	-
	जोड़ "क" + "ख" + "ग"	632.91	611.69	537.66	87.90	464.91	463.60	402.96	86.92	75.67	75.11	63.15	84.08	

(राशि करोड़ रुपयों में)

	निवेशों के बाजार मूल्य में मूल्यहास	वर्तमान प्रावधान
जमा बीमानिधि	55.92	75.55
ऋण गारंटी निधि	44.00	61.00
सामान्य निधि	8.61	12.00

बाजार दरें 30 मार्च 1990 के शेयर बाजार भाव के अनुसार हैं और अंतिम कारोबार जिस दर पर किया गया था उसका सूचक हैं।

① " वापस खरीद " व्यवस्था, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निगम को एक विशेष मामले के तौर पर प्रदान की गयी है, के अंतर्गत रिज़र्व बैंक, निगम को, केन्द्रीय सरकार को प्रतिभूतियाँ बेचना है और जब भी निगम को दावों के भुगतान तथा अन्य अदायगियों के लिए नकद राशि की आवश्यकता होती है, वह उन प्रतिभूतियों को निगम से उन्ही दरों पर खरीदता है जिन दरों पर उन्हें बेचा गया था।

* निगम मूल्य, चूंकि प्रतिभूतियाँ जारी करने के पश्चात कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

तुलनपत्र,
आय - व्यय लेखा
और
लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के
(विनिमय 18
31 मार्च 1990 को कारोबार समाप्ति
। जमा बीमा निधि

पिछली अवधि		देयताएं	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये					
शून्य	26,047.00	1. निधि (वर्ष के अंत में शेष)		शून्य		40,549.00
7,185.49	-	2. अधिशेष (संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार शेष)		27,111.79		-
5,592.13	4,379.27	3. निवेश प्रारक्षित वर्ष के आरंभ में शेष जोड़िए; वर्ष के दौरान उपलब्ध करायी गयी राशि	5,592.13		4,400.27	
-	21.00	वर्ष के अंत में शेष	<u>1,962.48</u>		<u>1,699.97</u>	
5,592.13	4,400.27	4. ऐसे दावे जो प्राप्त हो गये हैं और स्वीकार कर लिये गये हैं परन्तु जिनका भुगतान नहीं हुआ है		7,554.61		6,100.24
	17.52	5. प्राप्त हो चुके दावों और स्वीकार न किये गये दावों के मामले में अनुमानित देयता				15.16
654.16	42,855.25	6. अदावाकृत बीमा राशियाँ		1,027.97		28,633.84
21.84	-	7. अन्य देयताएं		37.04		-
1,634.56	3,494.66	i) फुटकर लेनदार	1,982.25		685.42	
41,371.02	-	ii) ऋण गारंटी निधि को देय राशि	22,506.92		-	
-	-	iii) आयकर के लिए प्रावधान	<u>6,160.00</u>		-	
				<u>30,649.17</u>		<u>685.42</u>
<u>56,459.20</u>	<u>76,814.70</u>	जोड़:		<u>66,380.58</u>		<u>75,983.66</u>

टिप्पणियाँ: 1. तुलनपत्र की तारीख को जमाकर्ताओं को अदा किये गये दावों के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकारों के रूप में निगम को 9,141.67 लाख रुपये (पिछली अवधि 6,290.53 लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में वसूल होने वाली राशि निगम को पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।

उसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन.बी. शेड्डी फूड क.

सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेड्डी)

पार्टनर

बंबई:

दिनांक: 25 जून 1990

(आर. जानकीरामन)

अध्यक्ष

(पी. कृष्णमूर्ति)

महाप्रबंधक

(सुश्री आइ. टी. वाज़)

निदेशक

(एन. आर. ईरानी)

मुख्य लेखाकार

(दिनेशचन्द्र)

निदेशक

(बी. डी. शाह)

निदेशक

प्रत्यय गारंटी निगम
(अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)
- फार्म "क")
के समय का तुलनपत्र
और ऋण गारंटी निधि

पिछली अवधि		आस्तियाँ	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये					
25.35	274.10	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा		3.25		203.11
52,813.86	31,924.83	2. केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर)		61,169.36		46,359.87
		जमा ऋण बीमा गारंटी निधि				
		लाख रुपये				
		(अंकित मूल्य :	63290.97	46491.29)		
		बाजार मूल्य :	53767.06	40295.63		
1,894.88	1,102.17	3. निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		2,211.89		1,405.73
11.70	76.01	4. अन्य आस्तियाँ				
		i) बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य प्रीमियम, गारंटी शुल्क और अतिरिक्त दावों की बकाया राशि	32.15			326.31
0.57	3.35	ii) अतिदेय प्रीमियम और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज	2.30			44.09
0.06	-	iii) गैर संबितरित दावों के भुगतान के रूप में बैंक के परितमापक को दी गयी राशि	0.06			-
-	326.75	vi) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुपनी)	-			209.23
-	41,371.02	v) जमा बीमा निधि से प्राप्य राशि	-			22,506.92
1,712.72	1,736.47	vi) स्रोत पर आयकर की कटौती	2,961.57			4,928.40
0.03	-	vii) फुटकर देनदार	-			-
<u>56,459.20</u>	<u>76,814.70</u>	जोड़ :		<u>2,996.08</u>		<u>28,014.95</u>
				<u>66,380.58</u>		<u>75,983.66</u>

2. जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ पिछली अवधि के आँकड़े पुनः वर्गीकृत किये गये हैं।

(एस. एस. नाडकर्णी)
निदेशक

(जे. पी. कुन्द्रा)
निदेशक

(आर. एल. वधवा)
निदेशक

(एच. के. सामल)
निदेशक

निक्षेप बीमा और (फार्म

1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 तक
। जमा बीमा निधि और

पिछली अवधि		व्यय	जमा बीमा निधि		ऋण गारंटी निधि	
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये	लाख रुपये
लाख रुपये	लाख रुपये					
2,515.44	34,353.84	(क) वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	3,141.89		48,760.72	
	17.52	(ख) स्वीकृत किंतु अदा न किये गये दावे			15.16	
		जोड़िये:				
		वर्ष की समाप्ति पर ऐसे दावों के मामले में अनुमानित देयता जो प्राप्त तो हो गये हैं परन्तु स्वीकृत नहीं किये गये हैं।	1,027.97		28,633.84	
654.16	42,855.25		4,169.86		77,409.72	
3,169.60	77,226.61					
		घटाइए:				
		उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जो पिछले वर्ष के अंत तक प्राप्त हो चुके थे किंतु जो अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं।	654.16		42,855.25	
3,300.35	30,179.34		3,515.70		34,554.47	
(-)130.75	47,047.27					
		जोड़िये:				
130.75		पुनरांकित की गयी अतिरिक्त व्यवस्था (दुतरफा)				
	47,047.27	शुद्ध दावे		3,515.70		34,554.47
		निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए प्रावधान		1,962.48		1,699.97
शून्य	21.00	वर्ष के अंत तक में निधि शेष (बीमाकित मूल्यांकन के अनुसार)				40,549.00
शून्य	26,047.00	नीचे ले गया शुद्ध अधिशेष		7,222.20		18,864.10
13,671.94		आगे ले जाया गया		12,700.38		95,667.54
13,671.94	73,115.27	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा				
शून्य	14,899.38	ऋण गारंटी निधि में अंतरण (दुतरफा)				18,864.10
14,899.38		जमा निधि में अंतरण (दुतरफा)				
		आयकर के लिए प्रावधान		6,160.00		
		तुलन पत्र में लाया गया शेष		27,111.79		
7,185.49		जोड़		33,271.79		18,864.10
22,084.87	14,899.38					

- टिप्पणियाँ:-**
1. जो दावे प्राप्त हो चुके हैं परन्तु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लागते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/ वापस लिये जानेवाले दावों के संबंध में लघु ऋण (छोटे उधारकर्ता) गारंटी योजना, 1971 के मामले में ऐसे दावों के राशि में से 2.32 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के मामले में 34.82 प्रतिशत जितनी राशि (पिछले वर्ष क्रमशः 2.56 प्रतिशत और 10.97 प्रतिशत राशि) घटा दी गयी है।
 2. जिन मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रियों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय हिसाब में लिया गया है।
 3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियाँ जहाँ अपर्याप्त समझी गयी है वहाँ अपेक्षित राशि के लिए विवस्ता नहीं की गयी है।
 4. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश की मूल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन.पी.शेड्डी एन्ड क.
सनदी लेखाकार

(आर. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(सुश्री आय. टी. वाज़)
निदेशक

(दिनेशचन्द्र)
निदेशक

(बी. डी. शाह)
निदेशक

(एन. बी. शेड्डी)

पार्टनर

बंबई:

दिनांक: 25 जून 1990

(पी. कृष्णमूर्ति)
महाप्रबंधक

(एन. आर. ईरानी)
मुख्य लेखाकार

प्रत्यय गारंटी निगम

"ख")

के अवधि के लिए आय-व्यय लेखा

ऋण गारंटी निधि

पिछली अवधि		आय	जमा बीमा	ऋण गारंटी
जमा बीमा निधि	ऋण गारंटी निधि		निधि	निधि
लाख रुपये	लाख रुपये		लाख रुपये	लाख रुपये
शून्य	30,599.00	वर्ष के आरंभ पर निधि शेष	शून्य	26,047.00
7,656.07	-	जमा बीमा किस्तों से (अतिदेय किस्तों पर ब्याज सहित)	6,653.88	-
-	19,189.73	गारंटी शुल्क से (अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित)	-	59,382.73
450.82	3,698.56	जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियों से	287.14	4,270.02
130.75	-	जमा बीमा दावों के संबंध पुनरांकित की गई अतिरिक्त व्यवस्था (दुतरफा)	-	-
5,434.30	4,728.60	निवेश से प्राप्त आय (सकल)	5,759.36	5,967.79
		जमा बीमा ऋण गारंटी निधि निधि		
		लाख रुपये लाख रुपये		
		(स्रोत पर आयकर की कटौती पिछली अवधि)		
		1248.82 1366.93		
		966.03 915.67)		
	14,899.38	नीचे लाया गया शुद्ध घाटा	-	-
13,671.94	73,115.27	आगे ले जाया गया	12,700.38	95,667.54
13,671.94	-	नीचे लाया गया कुल अधिशेष	7,222.20	18,864.10
8,412.93	-	पिछले वर्ष का शेष आगे लाया गया	7,185.49	-
-	14,899.38	जमा बीमा निधि से अंतरण (दुतरफा)	-	-
-	-	ऋण गारंटी निधि से अंतरण (दुतरफा)	18,864.10	-
22,084.87	14,899.38	जोड़	33,271.79	18,864.10

5. निगम की पहले की प्रथा के अनुसार ऋण गारंटी ऋण निधि दावों के निपटान पर प्रतिस्थापन अधिकारों की वजह से की गयी वसूली जिसे अनुमानित नहीं किया जात, वर्ष के दौरान प्राप्त को हिसाब में ली जायेगी।
6. 31 मार्च 1990 को समाप्त वित्तीय वर्ष के कारोबार समाप्त तक निधि की शेष पर ऋण गारंटी निधि और जमा बीमा निधि की ओर की गयी अनुमोदित विभाक्तिके अनुसार निगम ने बीमाकित, देयता के लिए अवशक प्रावधान किया है।
7. इस अवधि के आँकड़े पिछले वर्ष के आँकड़ों के साथ असल में तुलनीय नहीं हैं क्योंकि इस अवधि के आकड़े पन्द्रह माह से संबंधित हैं।
8. चालू वर्ष के लिए आयकर प्रावधान हेतु निधिवार आबंटन संबंधित निधि लेखों में पिछले वर्ष के घाटे/अधिक को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

(एन.एस.नाडकर्णी)
निदेशक

(जे. पी. कुन्द्रा)
निदेशक

(आर. एल. वधवा)
निदेशक

(एच. के. सामल)
निदेशक

निक्षेप बीमा और
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
विनियम 18
31 मार्च 1990 को कारोबार समाप्त
II- सामान्य

पिछली अवधि	देयताएं	राशि	राशि	राशि
5,000.00	1. पूंजी निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी			5,000.00
1,941.96	2. प्रारक्षित निधियाँ (क) सामान्य प्रारक्षित निधि वर्ष के आरंभ में शेष	2,215.49		
273.53	जोड़िये: राजस्व लेखा से अंतरित अधिशेष			
	घटाइयें: राजस्व लेखा से अंतरित धारा	395.27		
2,215.49	वर्ष के अंत में शेष		1,820.22	
860.88	(ख) निवेश प्राकशित वर्ष के आरंभ में शेष	860.88		
	जोड़िये: वर्ष के दौरान उपलब्ध की गयी राशि	338.82		
860.88	वर्ष के अंत में शेष		1,199.70	
22.51	(ग) पूंजीगत प्रारक्षित		22.51	
3,098.88				3,042.43
174.25	3. चालू देयतायें और प्रावधान बकाया व्यय		267.64	
3.52	विविध लेनदार		4.36	
	आयकर के लिए प्रावधान		40.00	
177.77				312.00
8,276.65	जोड़			8,354.43

टिप्पणी सं. (1) पहले की प्रथा के अनुसार कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उसके बाजार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यहास को वैसे ही रखा है।
(2) जहां अपेक्षित हुआ वहां पिछली अवधि के आकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है।

इस तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट अनुसार

वास्ते एन.बी.शेड्डी एन्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेड्डी)
पार्टनर

(आर. जानकीरामन)
अध्यक्ष

(सुश्री आइ.टी.वाज)
निदेशक

(दिनेश चंद्र)
निदेशक

(बी.डी.शाह)
निदेशक

बंबई :
दिनांक : 25 जून 1990

(पी.कृष्णमूर्ति)
महाप्रबंधक

(एन.आर.ईरानी)
मुख्य लेखाकार

प्रत्यय गारंटी निगम
अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित)

- फार्म "क"

होने के समय का तुलन-पत्र

निधि (लाख रुपये)

पिछली अवधि	आस्तियाँ	राशि	राशि	राशि
0.08	1. नकद			
4.11	(I) हाथ में		0.13	
4.19	(II) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास		7.67	7.80
7,609.94	2. भारत सरकार की प्रतिभूतियों में			7,511.28
	निवेश (लागत पर)	लाख रुपये		
	अंकित मूल्य	7,566.49		
	बाज़ार मूल्य	6,315.09		
268.78	3. निवेश पर प्रोदभूत ब्याज			267.16
24.39	4. अन्य आस्तियाँ			
1.23	(क) मूल्यहास घटाकर फर्नीचर,		22.89	
2.83	जुड़नार और उपकरण		2.14	
	(ख) लेखन सामग्री का स्टॉक		0.27	
	(ग) पूर्वदत्त व्यय			
	(घ) व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय			
	रिज़र्व बैंक से आदि से वसूली योग्य			
	स्टाफ को दिये गये भत्ते और			
42.01	अन्य जमाराशियाँ		45.56	
323.28	(ड) स्रोत पर आयकर की कटौती		497.33	568.19
393.74				
<u>8,276.65</u>	जोड़			<u>8,354.43</u>

(एस. एस. नाडकर्णी)
निदेशक

(जे. पी. कुन्द्रा)
निदेशक

(आर. एल. वधवा)
निदेशक

(एच. के. सामल)
निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

फार्म "ख"

1 अप्रैल 1989 से 31 मार्च 1990 वर्ष का आय-व्यय लेखा

II- सामान्य निधि

		(राशि लाख रुपये में)			
पिछली अवधि	व्यय	राशि	पिछली अवधि	आय	राशि
556.83	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान	658.33	935.71	निवेशों से प्राप्त आय (सकल) स्रोत पर आयकर की कटौती) (174.05 लाख रु.)	753.31
12.45	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान	30.36		पिछले वर्ष - 167.45 लाख रुपये	
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क	0.01		लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ	0.05
0.29	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते	0.19	0.09	विविध प्राप्तियाँ	1.10
37.19	किराया कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि	25.85	0.87	सामान्य प्रारक्षित में अंतरित आय की तुलना में अधिक व्यय की शेष राशि	395.27
8.54	स्थापना - यात्रा और विराम भत्ते	7.29			
5.02	मुद्रण और लेखन सामग्री	6.16			
5.22	डाक, तार और टेलीफोन	4.79			
0.38	लेखा परीक्षकों की शुल्क	0.35			
0.73	विधि प्रभार	0.27			
29.55	विविध व्यय	32.45			
6.92	मूल्यहास	4.86			
-	निवेश पर मूल्यहास के लिये प्रावधान	338.82			
-	आयकर के लिए प्रावधान	40.00			
	सामान्य प्रारक्षित से अंतरित व्यय की तुलना में अधिक आय की शेष राशि				
273.53					
936.67	जोड़:	1,149.73	936.67	जोड़:	1,149.73

- टिप्पणी:** (1) भारत सरकार द्वारा निगम को लघु उद्योगों के लिये भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक प्राप्त/प्राप्य वसूलियाँ धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप 1 अप्रैल 1989 से मार्च 1990 तक के अवधि के दौरान प्राप्त 0.05 लाख रुपये की राशि को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन सामान्य निधि की आय - व्यय लेखों में अंतरित किया है।
- (2) वेतन, भत्ते, भविष्य निधि तथा उपदान निधि में अंशदान जैसे कर्मचारियों की लागत को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ की गयी व्यवस्था के अनुसार किया, जैसा कि निगम के स्टाफ भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से निगम की सेवा में कार्यरत हैं।
- (3) इस वर्ष के आँकड़े पन्द्रह माह की अवधि के हैं अतः ये पिछली अवधि से पूर्णतः तुलनीय नहीं हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते एन. बी. शेड्डी एंड कम्पनी सनदी लेखाकार	(आर. जानकीरामन) अध्यक्ष	(सुश्री आइ. टी. वाज़) निदेशक	(दिनेशचन्द्र) निदेशक	(बी. डी. शाह) निदेशक	(जे. पी. कुन्द्रा) निदेशक
(एन. बी. शेड्डी) पार्टनर	(आर. एल. वधवा) निदेशक	(एस. एस. नाडकर्णी) निदेशक	(एच. के. सामल) निदेशक	(पी. कृष्णमूर्ति) महाप्रबंधक	(एन. आर. ईरानी) मुख्य लेखाकार

बंबई:

दिनांक: 25 जून 1990

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के 31 मार्च 1990 तक के (I) जमा बीमा निधि तथा ऋण गारंटी और (II) सामान्य निधि के उपर्युक्त तारीख को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन पत्रों तथा उक्त निधियों के संलग्न आय, व्यय लेखों की भी लेखा परीक्षा की है। इस संबंध में हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है :-

- (I) लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार अपेक्षित सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण हमें उपलब्ध कराये गये;
- (II) उपर्युक्त तुलन पत्र और आय व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तैयार और घोषित किये गये हैं।

हमारी राय में और हमारी अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखों पर दी गयी टिप्पणियों के साथ पठित लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 द्वारा अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार सूचना प्रस्तुत करते हैं और इन में निम्नलिखित के संबंध में वास्तविक और सही स्थिति को दर्शाया गया है :-

- (क) तुलन पत्रों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि और (ii) उपर्युक्त निधियों की सामान्य निधि की 31 मार्च 1990 की स्थिति।
- (ख) आय व्यय लेखों के संबंध में (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि के अतिरिक्त, (ii) निगम की सामान्य निधि के घाटे की उपर्युक्त तारीखों की स्थिति।

वास्ते एन. बी. शेड्डी एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार

(एन. बी. शेड्डी)
पार्टनर

बंबई

दिनांक : 25 जून 1990

कार्यों और गतिविधियों की रूपरेखा

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य बैंक का दिवाला निकलने पर विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी बचतों की राशि की हानि के जोखिम से रक्षा प्रदान करना है। इस प्रकार की रक्षा से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता करना जिसके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए इन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। छठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं वे अब तक अपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की श्रृंखला के रूप में शुरू की गई थी। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहां बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ताओं को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहां दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाईयाँ भी थीं। ये कठिनाईयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में, विशेषकर आधारभूत स्तर पर, उनकी झिझक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय ऋण गारंटी निगम मर्यादित की कल्पना एक एजेसी के रूप में की गई थी जो उस प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों का विलयन किया गया तथा निगम को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना:

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमा राशियों के लिए स्वचालित सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों की जमाराशियों के लिए भी इस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गयी है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियाँ अधिनियमों से संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिये हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है तथा उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 80 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी आवश्यक विधान को पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की सीमा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन, अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता 30,000/- रुपयों की अधिकतम मुद्रा-सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसके द्वारा धारित जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा प्रीमियम

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 4 पैसे वार्षिक की दर से अदा की जानेवाली बीमा प्रीमियम के प्रतिफल में की जाती है। यह प्रीमियम छमाही अंतरा-वधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस प्रीमियम को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण मुफ्त में ही उपलब्ध हो सके।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 30,000/- रुपयों तक की जमा राशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमा राशियों का पूरा पैसा जमा करा सके, तब निगम प्रत्येक जमाकर्ताओं को उसकी पूरी जमा राशि तथा समामेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा 30,000/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिती बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/समामेलन किये जानेवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करे।

ऋण गारंटी योजनाएं

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड लघु उधारकर्ताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनाओं को चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा निगम ने ऋण गारंटी के उसके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनाएं तैयार की गई थीं उन्हें निगम द्वारा जारी रखा गया है जिनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया जाये ताकि वे (किसानों को अंतर्भूत) गैर औद्योगिक कार्यकलापों में लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई जो लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत किया जाए। तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 से एक ऐसी नई योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य

बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रह कर ही गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद्भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायता प्रदान करता आ रहा है। विशेषज्ञ समिति, 1987 की सिफारिशों के अनुसरण में ऋण गारंटी योजनाओं की सीमा को 1 अप्रैल 1989 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के संपूर्ण क्षेत्र को गारंटी रक्षा के लिए विस्तारित किया गया।

6.3 निगम ने कृषि और उससे संबंधित कार्यों के लिए प्राथमिक-कस्तर की कतिपय सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण और कृष्येतर अग्रिमों के लिए छोटे कृषकों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए चयनात्मक आधार पर गारंटी सहायता की सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है और यह सुविधा उन बैंकों को प्रदान की गयी है जिन्हें अब 1 अप्रैल 1989 से कृष्येतर गतिविधियों के परवर्ती अग्रिमों को भी रक्षा प्रदान की गयी है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7. निगम की विभिन्न ऋण गारंटी योजनाएँ हैं। उन्हें नीचे दर्शाया गया है:

- (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971
- (ii) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981
- (v) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

7.1 1 अप्रैल 1971 से लागू की गयी लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा परिभाषित प्राथमिकता क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा दी गयी ऋण सुविधाओं को रक्षा प्रदान करती है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कृषक और काश्तकर, परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यमी और व्यावसायी तथा स्व-नियोजित व्यक्ति शामिल हैं।

7.2 1 जुलाई 1971 को लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 शुरू हुई और उसके अंतर्गत बिजली या अन्य ऊर्जा के उत्पादन या वितरण अथवा किसी औद्योगिक बस्ती अथवा परिवहन उपक्रम के विकास में लगे परिवहन चालकों और होटल मालिकों तथा अन्य व्यवसायी उद्यमों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.3 1 अक्टूबर 1971 से सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971 लागू है और उसके अंतर्गत अपने सदस्यों को आर्डर दिलाने, कच्चा माल खरीदवाने, तैयार माल का और विपणन कराने जैसी सुविधाएँ प्रदान करने अथवा माल के निर्माण, प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण और अभिसंस्करण तथा ऐसे माल के विपणन से संबंधित इसी प्रकार की कोई अन्य सहायता प्रदान करने में लगी सेवा सहकारी समितियों को जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.4 पहली अप्रैल 1981 से लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 शुरू की गई थी और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग यूनितों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.5 लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 पहली जुलाई 1984 से छोटे उधारकर्ताओं को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये कृष्येतर अग्रिमों के लिए (अर्थात् परिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, छोटे कारोबारी उद्यमियों और व्यवसायी तथा स्व-नियोजित व्यक्तियों) गारंटी सहायता प्रदान करती है। समस्त लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और साथ-साथ जिन गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना के लिए सिफारिश की गई हैं वे 1 जुलाई 1984 से और उसके बाद इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

7.6 इसके अलावा, लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना, 1982 कुछ चुनिंदा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं द्वारा अपने कृषक/खेतिहर सदस्यों (फसल बटाईदार और भूमिहीन

श्रमिक को अंतर्भूत) को कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों और साथ ही खपत और आवास वित्त के लिए दी गई ऋण सुविधाओं को 1 जनवरी 1983 से या योजना में शामिल होने की तारीख जो भी पहले से हो, उन्हें गारंटी रक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कृषि और उससे संबंधित कार्यों में मौसमी कृषि कार्य, भूमि उद्धार और सुधार, सिंचाई के कुँओं के निर्माण और उन्हें गहरा करना, पंपसेट लगाना, पशुओं की खरीद अथवा अन्य पूंजीगत आस्तियाँ (उदाहरणार्थ फार्म हाऊस, मवेशी शेड, गोबर गैस संयंत्रों आदि) का अर्जन या इन आस्तियों की मरम्मत, रेशम उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, आवास वित्तपोषण, उपभोग वित्त तथा योजना में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार शामिल हैं।

7.7 1 अप्रैल 1989 से विभिन्न योजनाओं की प्रमुख विशेषताओं को अनुबंध में सारणीबद्ध किया गया है।

गारंटी शुल्क

8. ऋण संस्थाओं द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अधीन बकाया जमाराशियों पर निर्धारित दरों पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी करने पर ही गारंटी रक्षा प्रदान करने के लिए विचार करना है। गारंटी शुल्क की वार्षिक दर 1 अप्रैल 1989 से 1.50 रुपये प्रतिशत है। तथापि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में उनके शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक सामान्य दर से आधे (अर्थात् 0.75 रुपये प्रतिशत वार्षिक) गारंटी शुल्क अदा करने के लिए अनुमति दी गई है। गारंटी को बनाये रखने के उद्देश्य से वार्षिक आधार पर गारंटी शुल्क की अग्रिम अदायगी नियमित रूप से करें।

गारंटी सुरक्षा - प्रमुख विशेषताएं

(क) स्वचालित थोक सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की रक्षा केवल उन्ही संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में शामिल है तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से गारंटी शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्व-चालित थोक सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वचालित ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की कोई

आवश्यकता नहीं होती। अतः सहभागी ऋण संस्थाएं गारंटी रक्षा की परिधि से कोई भी पात्र ऋण सुविधाओं को अपवर्जित करने के लिए मुक्त नहीं है।

(ख) लाभ प्राथमिकता प्राप्त उधारकर्ताओं तक ही सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न हो जाएं, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं फुटकर व्यापारियों के मामले में कुल बिक्री की उच्चतम सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघुउद्योग के यूनितों के मामले में सयंत्र और मशीनों का मूल्य इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमाओं को निर्धारित किया है।

गारंटी को लागू करना

10. गारंटी के अधीन दावा प्रस्तुत करने से पहले ऋण संस्थाओं को पांच शर्तें पूरी करनी हैं वे शर्तें इस प्रकार हैं, i) पात्र अग्रिमों की प्राप्ति के बाद कम से कम 3 वर्षों की अवधि पूरी हो गयी हो ii) संपूर्ण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों की बकाया जमाराशियों पर देय गारंटी शुल्क की अदायगी जब कभी वे देय होंगे तब करनी होगी। iii) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने के लिए माँग नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक माह के भीतर गारंटी के अंतर्गत आनेवाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो, iv) ऋण संस्थाओं द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम

वसूली के लिए अशोध्य अथवा संदिग्ध है और v) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम को ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करनी होगी कि वे गारंटी लागू करने से पहले उधारकर्ताओं, जमानतों के विरुद्ध और जहां कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहां उसके लिए कारगर कार्रवाई करें। निगम योजनाओं में पात्र कार्यकलापों के विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थिति 'चूक की राशि' का 50 प्रतिशत या 60 प्रतिशत अदा करता है अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों की वसूली के लिए लगातार कारगर कार्रवाई करें और प्रतिस्थापन अधिकारों के फल-स्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूली हुई राशि में शेष घटाकर वसूली की राशि में निगम का अंश उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है प्रतिभूति/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना तथा अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में बकाया राशियों को बट्टे खाते डालना। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटायें गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

अनुबंध

ऋण गारंटी योजनाएं - प्रमुख विशेषताएं

1 अप्रैल 1989 से प्रदान की गई गारंटी रक्षा की मात्रा और निर्धारित शुल्क के दर

योजनाएं	सहभागी पात्र संस्थाएं	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी शुल्क	गारंटी सुरक्षा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(क) छोटे उधारकर्ता (i) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	(i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अधिमों पर 1.5 प्रतिशत की एकसमान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपये में से जो कम हो	
		(ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये में से जो कम हो	
		(iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्तियों तथा कारोबारी उद्यमों	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रुपये में से जो कम हो	
		(iv) कृषक तथा खेतिहर प्रत्यक्ष वित्त			
		1) फसल उगाही	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये में से जो कम हो	
		2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20,000/- रुपये में से जो कम हो	
		3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसल ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 30,000/- (अर्थात् 10,000 रु x 3) में से जो कम हो	
		4) सबद्ध कार्यकलापों के लिए			
		(i) मछली पालन	वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500/- रूपयों में से जो भी कम हो	
		(ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750/- रु. में से जो भी कम हो	
		(iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रु. में से जो भी कम हो	
		(iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500/- रु. में से जो भी कम हो	
		(v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रु. में से जो भी कम हो	

(एक से अधिक कार्यकलाप के लिए समय उच्चतम सीमा रूपये 60,000/- है)

1	2	2	4	5
	(vi) कृषि उद्योग के लिए अप्रत्यक्ष वित्त (शीतगार के निर्माण तथा चलाने और सीमा शुल्क सेवा इकाइयों को छोड़कर जो लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 में अंतर्भूत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार)		प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत के एकसमान दर से परिकलन पर प्रतिवर्ष जमा किया जायें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में गारंटी शुल्क की दर से आधे अर्थात् प्रतिवर्ष 0.75 प्रतिशत इस योजना में शामिल होने की तिथि से पहले पांच वर्ष तक।	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये जो प्रति उधार घटक संस्था जो कम है।
	(vii) शैक्षणिक वित्त पात्र ऋण संस्थाओं द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी विशेष योजना के अंतर्गत शैक्षिक प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा व्यक्तिगतों को दी गई ऋण सुविधाएँ।		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत
	(viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य द्वारा प्रायोजित संगठनों विशेष प्रयोजनों के लिए निवेश योग्य वस्तुओं की खरीद/आपूर्ति और/या लाभान्वितियों को उत्पादों के विपणन के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रवर्तित संगठनों को मंजूर किये गये अग्रिमों।		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
	(ix) आवास-प्रत्यक्ष वित्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों को आवास निर्माण के लिए रुपये 5,000 तक दिये गये ऋण।		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत
	(x) आवास - अप्रत्यक्ष वित्त			
	(i) विशेषकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और न्यूनतम आय समूहों के हितों के लिए और जहां ऋण घटक प्रति एकक 5,000 रुपये से अधिक नहीं है वहाँ आवास निर्माण के प्रयोजनार्थ किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गयी वित्तीय सहायता।		वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो भी कम हो उस तक प्रति उधारकर्ता घटक/संस्था
	(ii) विशेष रूप से उल्लिखित अन्य शर्तों के अधीन गंदी-बस्ती निर्मूलन और गंदी-बस्ती निवासियों के पुनर्वास के लिए किसी भी सरकारी एजेन्सी को दी गई वित्तीय सहायता		वही	वही

1	2	3	4	5
		(xi) उपभोग उपभोग ऋण योजना के अधीन दिये गये शुद्ध उपभोग ऋण	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत
(ii) लघु ऋण निगम गारंटी योजना, 1971	(वित्तीयराज्य वित्तीय निगम	(i) परिवहन चालक	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत की एकसमान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाये।	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपये में से जो कम हो
		(ii) कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रुपये में से जो भी कम हो
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) और राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंक	अपने सदस्यों को आदेश प्राप्त कराने कच्चा माल खरीदने और उत्पादों के विपणन जैसी सुविधायें प्रदान करने में लगी सहकारी समितियाँ	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 30,000/- रुपये में से जो भी कम हो
(iv) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक	(i) परिवहन चालक	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 1,50,000/- रुपये में से जो भी कम हो
		(ii) फुटकर व्यापारी	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 25,000/- रुपये में से जो भी कम हो
		(iii) व्यवसायी और स्व-नियोजित व्यक्ति तथा कारोबारी उद्यम	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 50,000/- रुपये में से जो भी कम हो
		(iv) शैक्षणिक ऋण	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत।
		(v) 500 रुपये तक व्यक्तिगत उपभोग ऋण	वही	वही
		(vi) निम्न के लिए आवास ऋण रुपये 25,000/- से अधिक नहीं:- (क) व्यक्तिगत (ख) सरकारी एजेन्सी	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत प्रति उधार घटक संस्था चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 60,000/- रुपये में से जो भी कम हो
		(vii) कृषि से संबंधित क्रियाकलाप (i) मछली पालन	वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 37,500/- रुपये में से जो भी कम हो
		(ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 18,750/- रुपये में से जो भी कम हो
		(iii) पशु पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो भी कम हो

1	2	3	4	5
		(iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 60 प्रतिशत अथवा 22,500/- रुपये में से जो भी कम हो
		(v) डेरी उद्योग	वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 15,000/- रुपये में से जो भी कम हो
		(vi) बैलगाड़ियों, ऊँटगाड़ियों, लदाईवाले जानवरों आदि की खरीद। (एक से अधिक कार्यकलाप के लिए समग्र उच्चतम सीमा रूपये 60,000/-)	वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 10,000/- रुपये में से जो भी कम हों
(ख) लघु उद्योग (V) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981	वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियाँ	(i) लघु औद्योगिक इकाईयों (गौण इकाईयों सहित) जिन्हें समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता घटक रु. 2 लाख से अनधिक ऋण सुविधाएं प्रदान की गयी हैं। (ii) बिना किसी सीमा के ऋण सुविधाओं सहित पिछड़े क्षेत्रों में लघु औद्योगिक इकाईयाँ (iii) 2.00 लाख रुपये से अधिक की ऋण सुविधाओं वाली पिछड़े क्षेत्रों के अलावा अन्य में स्थित लघु औद्योगिक इकाईयों (गौण इकाईयों सहित)	प्रतिवर्ष 31 मार्च तक के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के बकाया अग्रिमों पर 1.5 प्रतिशत के एकसमान दर से परिकलन कर प्रतिवर्ष जमा किया जाए। वही वही	चूक राशि का 60 प्रतिशत अथवा 20 लाख रूपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रूपये) जो भी कम हो वही कुल चूक राशि का 50 प्रतिशत या 20 लाख रूपये (अलग से या बराबर विभाजित अर्थात् मीयादी ऋण के लिए 10 लाख रुपये और कार्यगत पूंजी के लिए 10 लाख रूपये) जो भी कम हो
		लघु उद्योग क्षेत्र को अप्रत्यक्ष वित्त.		
		(i) कारीगरों, ग्रामीण और कुटीर उद्योगों की निवेश वस्तुओं की आपूर्ति और उत्पादन के विपणन में विकेन्द्रित क्षेत्र की सहायता में लगी एजेंसियाँ। (ii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में कमजोर वर्गों को निधि प्रदान करनेवाले सरकार द्वारा प्रायोजित निगम/संगठन (बशर्ते कि उन्हें सरकार या किसी अन्य गारंटी की रक्षा प्राप्त न हो)।	वही वही	(क) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रूपये से अनधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 60 प्रतिशत या 60,000/- रुपये जो भी कम है। (ख) समग्र रूप में प्रति उधारकर्ता 2 लाख रूपये से अधिक की ऋण सुविधाओं के संबंध में चूक की राशि का 50 प्रतिशत या 60,000/- रुपये जो भी कम हो। वही

1	2	3	4	5
		(iii) शीतागार के निर्माण और चलाने के लिए ऋण	वही	(ऊपर बताये अनुसार) चूक की राशि का 60 प्रतिशत/50 प्रतिशत या 20 लाख रुपये (कार्यगत पूंजी और मीयादी ऋणों प्रत्येक के लिए 10 लाख रुपये) जो भी कम हो।
		(iv) टैक्टरों, बुलडोजरों, कुआँ खोदने के उपकरणों, थ्रेशर्स, कंबाईन आदि के समूह का रखरखाव करनेवाले और सविदा आधार पर किसानों का कार्य करनेवाले व्यक्तिगत संस्थानों या संगठनों द्वारा प्रबंध की गयी ग्राहक सेवा इकाईयों को अग्रिम।	वही	वही
		(v) औद्योगिक संस्था औद्योगिक संपदा की स्थापना के लिए ऋण	वही	वही

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by an Act of Parliament)

**Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039.**

**28th Annual Report of the Directors,
Balance Sheet and Accounts
for the year ended
31 March 1990**

CONTENTS

	Page No.
1. Letters of Transmittal	iii & iv
2. Board of Directors	v
3. Organisation Chart	vi
4. Offices of the Corporation	vii
5. Principal Officers of the Corporation	viii
6. Corporate Profile	ix
7. Highlights - Progress at a glance	x
8. Directors' Report	1
9. Annexures to the Directors' Report	11
10. Balance Sheet & Accounts	44
11. An Outline of Functions & Activities	53

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076
Bombay 400 039.

DICGC/64/BS.50(B)/90-91

26 June, 1990
5 Asadha 1912 (Saka)

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
Central Office Building,
Shahid Bhagat Singh Road,
BOMBAY - 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for the year 1989-90

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to transmit herewith the following documents :

- (i) a signed copy of the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31 March 1990, together with signed copy of the Auditors' Report, and
- (ii) a signed copy of the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1990.

Yours faithfully
Sd/-

(P. Krishnamurthy)
General Manager

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076
Bombay 400 039.

26 June, 1990
5 Ásadha 1912 (Saka)

DICGC/65/BS.50(C)/90-91

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
6, Parliament Street,
New Delhi 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for the year 1989-90.

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and as directed by the Board of Directors, I forward herewith a signed copy each of :

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended 31. March 1990, together with the Auditors' Report and
 - (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year ended 31 March 1990.
2. Copies of the Balance Sheet and the Report of the Board of Directors have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.
 3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz. the Lok Sabha and Rajya Sabha) as required under Section 32(2) of the Act *ibid*.

Yours faithfully

Sd/-

(P. Krishnamurthy)
General Manager

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1) (a) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

Dr. P.D. OJHA
(Till 28 April 1990)

R. JANAKIRAMAN

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay
(From 30 May 1990)

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1) (b) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

U.K. SARMA
(Till 31 December 1989).

Ms. I.T. VAZ

Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay
(From 5 January 1990)

Nominated under Section 6(1) (c) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

A.K. AGARWAL
(Till 27 June 1989)

VALLURI NARAYAN

(From 28 June to 29 November 1989)

DINESH CHANDRA

Joint Secretary, Government of India
Ministry of Finance, Department of Economic Affairs,
(Banking Division), New Delhi
(From 30 November 1989)

Nominated under Section 6(1) (d) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

P.A. NAIR

Chartered Accountant, Bombay
(Till 31 March 1990)

B.D. SHAH

Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay.

Nominated under Section 6(1) (e) of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S.S. NADKARNI

Chairman & Managing Director
Industrial Development Bank of India, Bombay

H.K. SAMAL

Co-operator, Orissa.

V. ATAL

(From 19 October 1989 to 12 January 1990)


J.P. KUNDRA

Managing Director, State Bank of India, Bombay
(From 9 March 1990)

R.L. WADHWA

Chairman & Managing Director, Allahabad Bank,
Calcutta
(From 19 October 1989)

ORGANISATION CHART



OFFICES OF THE CORPORATION

		Tel. Nos.	Telegram
HEAD OFFICE	New India Centre, 4th, 5th, 6th, 7th & 8th Floors, 17, Cooperage Road, Post Box No. 1076, BOMBAY - 400 039.		'CREDITGARD'
	General Manager	202-7323	
	Board Section	202-0299	
	i) Dy. General Manager	202-2408	
	Administration Department		
	SSI Credit Guarantee Department	202-0299	
	ii) Dy. General Manager	204-4876	
	Deposit Insurance Department		
	Non-Industrial Credit Guarantee Department		
	Accounts Department	202-0299	
	Computer Division		
BRANCHES			
(1) NAGPUR	Reserve Bank of India Additional Building, Near High Court, NAGPUR - 440 001	32321 32357	'CREDITGARD'
(2) CALCUTTA	8, Council House Street, 1st Floor, Post Box No. 17, CALCUTTA - 700 001.	281154 206029	'DISINGUAR'
(3) MADRAS	Kuralagam Building, 3rd Floor, Esplanade, Post Box No. 5021 MADRAS - 600 108.	560524 560239	'CREDITGARD'
(4) NEW DELHI	Reserve Bank of India, 6, Sansad Marg, Post Box No. 123, NEW DELHI - 110 001.	3716487	'DEPOSITINS'

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

Shri K.K. Saksena
(Till 31 Dec. 1989)

Shri P. Krishnamurthy
(From 9 Jan. 1990)

DY. GENERAL MANAGERS

Shri B.A. Rao
Shri M.D. Jha

CHIEF ACCOUNTANT

Shri H.J. Solomon
Shri N.R. Irāhi
(Taking over)

OTHER OFFICERS

MANAGERS

Shri V.V. Herwadkar
Shri O.P. Arora
Shri P.K. Nandi
Shri K.P. Tekchandani

SECRETARY

Shri R.G. Tawde

BRANCH MANAGERS

NAGPUR

Shri N.K. Shaha

CALCUTTA

Shri A.K. Sohani

MADRAS

Shri S. Krishnamurthy

NEW DELHI

Shri S.S. Sethi

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

AUDITORS

M/s. N.B. Shetty & Co.
Chartered Accountants
BOMBAY - 400 001.

CORPORATE PROFILE

Objects and Purpose

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January, 1962. With effect from 15 July, 1978, it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited - a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January, 1971-with a view to integrating the twin and cognate functions of giving protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers belonging to the weaker sections of the society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April, 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small scale industries also, after cancellation of Government of India's Scheme in that behalf.

Its twin objectives are to provide for the benefit of persons having deposits in banks, insurance against the loss of all or part of their deposits in all branches of a bank to a maximum of Rs. 30,000/- and to provide guarantee support to credit extended by participating banks and other financial institutions commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions. Till 31 March 1989, the guarantee support covered (a) certain categories of small borrowers (such as farmers, transport operators, retail traders, small business enterprises, self-employed persons etc.) and (b) small scale industries. Effective from 1 April, 1989 guarantee cover is extended to all

priority sector' (as per Reserve Bank's definition) advances. The guarantee support is weighted in favour of smaller and weaker borrowers and small scale industrial units established in backward areas.

The Corporation maintains separate funds for Deposit Insurance and for Credit Guarantee which are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, another fund called General Fund is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment and administrative expenses are met from the investment income out of this fund.

The authorised capital of the Corporation is Rs. 50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The Corporation was granted exemption from payment of income tax till 31 December, 1986. Efforts are continuing to obtain permanent exemption.

The management of the Corporation vests in a Board of Directors comprising of nine members of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. It is assisted by a Claims Committee headed by the Nominee Director of Reserve Bank of India. The General Manager is the Chief Executive of the Corporation.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Nagpur, Calcutta, Madras and New Delhi. The Corporation has no subsidiaries or affiliates.

HIGHLIGHTS - PROGRESS AT A GLANCE

(Amount in crores of rupees)

At year-end	1962	1972	1978	1982	1984	1987	1988-89	1989-90
1. Capital	1	1.5	10	15	50	50	50	50
2. Deposit Insurance								
(i) Deposit Insurance Fund	1	25	76	154	219	@	@	@
(ii) Insured Banks	276	476	1,021	1,683	1,805	1,898	1,903	1,921
(iii) Assessable Deposits	1,895	7,458	21,660	42,360	61,880	1,03,044	1,26,864	1,40,746
(iv) Insured Deposits	448	4,656	15,369	31,774	46,340	75,511	90,192	1,01,682
(v) Accounts (Lakhs)	77	341	931	1,598	2,026	2,569	2,781	3,142
(vi) Fully Protected Accounts (Lakhs)	60	328	916	1,581	2,000	2,518	2,705	3,059
(vii) Claims paid	—	1	2	3	3	44	69	100
3. Credit Guarantee								
(i) Credit Guarantee Fund	—	—	27	89	118	@	@	@
(ii) Guaranteed Advances								
(a) Small Borrowers	—	208	1,715	4,840	7,104	11,116	14,291	25,586
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	3,822	4,891	7,738	10,465	14,094
(iii) Claims Received (For the year)								
(a) Small Borrowers	—	—	9	25	62	255	364	356
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	30	71	149	241	199
(iv) Claims Disposed (For the year)								
(a) Small Borrowers	—	—	3	15	32	225	281	347
(b) Small-Scale Industries	—	—	—	27	47	122	177	388

@ In view of the amendments to the Forms of Balance Sheet and Revenue Account on account of actuarial valuation of the Corporation's liabilities, the credit Guarantee Fund disclosed net deficit of Rs. 264.72 crores as on 31 December 1987 and Rs. 148.99 crores as on 31 March 1989 which have been adjusted against the surplus of Rs. 348.85 crores and Rs. 220.85 crores respectively available in the Deposit Insurance Fund as on these dates. As on 31 March 1990, the Credit Guarantee Fund however disclosed a net surplus of Rs. 188.64 crores and the same was transferred to Deposit Insurance Fund. Even after this transfer a sum of Rs. 225.07 crores is due to the Deposit Insurance Fund.

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 1990

In terms of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 28th Annual Report of the Corporation for the year ended 31 March 1990.

Results - An Overview

2.1 During the year, the Corporation continued to operate the Deposit Insurance Scheme and Credit Guarantee Schemes relating to non-industrial sector (4 schemes) and small scale industries sector (1 Scheme).

2.2 Under the Deposit Insurance Scheme, the insurance coverage and insurance premium continued to be Rs. 30,000/- and 4 paise per Rs. 100/- per annum respectively. The number of insured banks as on 31 March 1990 stood at 1,921. As at the end of June 1989 the Scheme covered 3,059 lakhs fully protected accounts¹ constituting 97.4 per cent of the total deposit accounts at 3,142 lakhs. The insured deposits² at Rs. 1,01,682 crores represented 72.2 per cent of the total assessable deposits³ at Rs. 1,40,746 crores in banks. The Corporation settled the claims for an aggregate amount of Rs. 31.42 crores in respect of deposits of two commercial banks viz., Hindustan Commercial Bank Ltd. and United Industrial Bank Ltd. which were amalgamated with public sector banks. Four more commercial banks were placed under moratorium in August 1989. Out of these four banks, three banks were amalgamated with three public sector banks in February 1990. The moratorium in respect of the remaining one bank was extended till 20 May 1990. The actual liability of the Corporation in respect of these banks is yet to be known.

Advances to Priority Sector

2.3 As reported in the last Annual Report, the Corporation has adopted the Reserve Bank of India definition of priority sector advances for the purpose of extending guarantee cover and levying guarantee fee. The total priority sector advances of 28 public sector banks aggregated Rs. 37,345.71 crores (44.3 per cent) as at the end of December 1989 as against the target of 40 per cent of total advances. Within the priority sectors, advances for agricultural purposes (both direct and in-

direct) aggregated Rs. 15,421.30 crores as on 31 December 1989 and formed 41.3 per cent of the total priority sector advances or 18.3 per cent of the total advances of public sector banks at Rs. 84,332.43 crores as on 31 December 1989. As a part of strategy for increasing agricultural production, the banks have been advised by the Reserve Bank of India on February 28, 1989 to step up direct finance to agriculture (including allied activities) so as to reach by March 1990 a level of at least 18 per cent of their total outstanding credit as compared with the earlier stipulation of 17 per cent to be achieved by March 1989. Advances to small scale industries at Rs. 14,281.40 crores constituted 38.2 per cent of the total priority sector advances. Advances to other priority sectors which include small road and water transport operators, professional & self employed persons, small business and retail trade rose to Rs. 7,643.01 crores forming 20.5 per cent of the total priority sector advances as at the end of December 1989. Public sector banks' advances to 'Weaker Sections'* aggregated Rs. 9,135.94 crores constituting 10.8 per cent of total outstanding advances as against the target of 10 per cent prescribed for this category. The priority sector advances of private sector banks amounted to Rs. 1,238 crores as at the end of June 1988 forming 39.8 per cent of their total advances at Rs. 3,115 crores as on that date. Their direct advances for agriculture and to weaker sections constituted 9.1 per cent and 5.2 per cent of the total advances respectively. The foreign banks operating in India had been advised that their priority sector advances should reach a level of 10 per cent of their total advances by March 1989 and the target would stand increased to 12% and 15% by 31 March 1990 and 31 March 1992 respectively. Their advances to the priority sector as at the end of March 1989 formed only 7.7 per cent of their total advances.

2.4 Total guaranteed advances covered under the Corporation's five credit guarantee schemes increased to Rs. 39,680.26 crores as at the end of March 1989 from Rs. 24,756.04 crores as at the end of June 1988

Notes : 1 Fully protected accounts means accounts with balances not exceeding Rs. 30,000/- per bank.

2 Insured deposits mean deposits or any portion thereof the repayment of which is insured by the Corporation upto Rs. 30,000/- per depositor (in the same right and capacity) per bank.

3 Assessable deposits mean the aggregate of unpaid balances due to a depositor (other than a Foreign Government, the Central Government, a State Government and a bank) in respect of all his accounts.

*Note : Weaker sections in priority sector include small and marginal farmers, landless labourers, tenant farmers, share croppers, artisans & village and cottage industries where individual credit requirements do not exceed Rs. 25,000/-.

recording a rise of 60.3 per cent. The sharp spurt in guaranteed advances is due to adoption of the 'priority sector' definition of Reserve Bank of India for the purpose of extending guarantee cover under the schemes from 1 April 1989. Guaranteed advances to the small borrowers in non-industrial sector (i.e. agriculture, small road and water transport operators, retail trade, small business, professional and self-employed persons and other weaker sections of the society) which were hardly Rs. 208.39 crores at the end of June 1972 steadily increased to Rs. 14,291.38 crores as at the end of June 1988 and stood at Rs. 25,586.26 crores as at the end of March 1989 (priority sector other than Small Scale Industries) showing an increase of 79.0 per cent over the previous year. Similarly, the guaranteed advances to small scale industries showed a significant increase from Rs. 3,716.43 crores as at the end of March 1981 to Rs. 14,094.00 crores as at the end of March 1989. A rise of 34.7 per cent was registered over the position of previous year (Rs. 10,464.66 crores).

2.5 During the year ended March 1990, the Corporation settled 17,04,712 credit guarantee claims for Rs. 734.95 crores as against 13,80,482 claims for Rs. 457.87 crores disposed of during the 15 month period ended March 1989. Of these, 17,00,370 claims for Rs. 714.66 crores related to Corporation's Schemes as against 13,72,296 claims for Rs. 437.17 crores during 15 month period ended March 1989. The claims disposal rate rose by nearly 54.9 per cent in number and 104.3 per cent in amount compared to 1988-89. The monthly claim disposal rate achieved during the year under report has been at an all time high at 1,42,059 as against 92,032 during 1988-89. The claims received by the Corporation during the year under report increased by 21.62 per cent in number and 17.98 per cent in amount. The claims received aggregated 15,79,257 for Rs. 554.37 crores as against 16,32,927 claims for Rs. 605.17 crores during 15 month period ended March 1989. The Scheme-wise break-up of the claims received and settled during the period ended 31 March 1990 is given below:

(Amount in crores of rupees)

	During 1988-89 (15 months)		During 1989-90 (12 months)		* Percentage increase/decrease	
	Number	Amount	Number	Amount	Number	Amount
I. Claims received						
A) Corporation's Schemes						
i) Small borrowers	15,28,391	364.07	15,03,349	355.75	23.00	22.15
ii) SSIs	93,716	216.90	74,894	192.58	(—)0.01	10.98
Total	16,22,107	580.97	15,78,243	548.33	21.62	17.98
B) Government's Scheme (since cancelled)	10,820	24.20	1,014	6.04	(—)88.29	68.80
Total claims received	16,32,927	605.17	15,79,257	554.37	20.89	14.51
	=====	=====	=====	=====		
II. Claims settled						
A) Corporation's Schemes						
i) Small borrowers	12,90,945	280.61	15,98,791	346.58	54.81	54.16
ii) SSIs	81,351	156.56	1,01,579	368.08	56.08	193.88
Total	13,72,296	437.17	17,00,370	714.66	54.88	104.34
B) Government's Scheme (since cancelled)	8,186	20.70	4,342	20.29	(—)33.70	22.52
Total claims disposed of	13,80,482	457.87	17,04,712	734.95	54.36	100.64
	=====	=====	=====	=====		

* i.e. percentage increase/decrease in 1989-90 position over the average 12 month position of 1988-89.

2.6 The amounts of claim receipts and guarantee fee receipts since 1982 are indicated below :

(Amount in crores of rupees)

Year	Guarantee fee receipts	Guarantee claims receipts	Gap
1	2	3	4
1982	57.67	34.11	+ 23.56
1983	71.17	60.42	+ 10.75
1984	87.91	115.69	- 27.78
1985	105.66	186.90	- 81.24
1986	127.25	245.86	- 118.61
1987	145.17	386.95	- 241.78
1988-89 (15 months)	191.89	580.97	- 389.08
1989-90 April-March	593.83*	548.33	+ 45.50

* Scheme-wise details are given in Annexure - XIV

It may be observed from the above that for the first time since 1984 the guarantee fee receipts have exceeded the guarantee claims received during the year under report. Some of the credit institutions requested that in order to reduce the burden of the increase in the guarantee fee rate, the guarantee fee should not be charged on advances which are not eligible for invocation in terms of the Guarantee Schemes (like advances guaranteed by Government/Export Credit Guarantee Corporation Ltd. etc.). The matter was examined and it has been decided that the status quo may be continued for the present. As per the projections made by the Corporation, the guarantee fee receipt is expected to again fall short of the guarantee claim receipt from the current year (i.e. 1990-91) onwards.

2.7 The sharply rising trend in claim receipts both under Small Scale Industries and Non-Industrial Schemes reflects a deterioration in the quality of the loan portfolio. The recovery performance in the public sector banks in respect of their direct agricultural advances has shown little improvement. A number of steps have been taken by the Reserve Bank of India to improve the recovery performance of commercial banks in respect of their agricultural advances. Guidelines have been issued from time to time for providing reliefs/relaxations to various categories of borrowers affected by natural calamities such as drought, floods etc. Banks have been advised to observe one day in a week as non-banking working day for their rural branches to be used inter alia for attending to recovery work. Branch managers have to ensure that harvesting seasons are effectively used for recovery of loans. Lead Banks have been advised to utilise the forums of District Consulta-

tive Committees, State Level Consultative Committees, State Level Bankers' Committees etc. for discussing problems of recovery/overdues at their meetings. These forums could also be utilised by banks for eliciting government support in dealing with cases of willful default.

2.8 In the Small Scale Industries sector, the increasing incidence of the industrial sickness has also been reflected in an increasing flow of credit guarantee claims. The definition of a sick SSI unit has been modified by the Reserve Bank of India in June 1989 to cover such units as have at the end of any accounting year, accumulated losses equal to or exceeding 50% of their peak net worth in the immediately preceding five years. Out of 23.76 lakhs borrowing SSI units availing themselves of bank credit amounting to Rs. 11,415 crores as at the end of June 1988, 2.17 lakhs accounts with outstanding bank credit of Rs. 1,980 crores have been identified by banks as sick. The amount locked up in these sick SSI units formed 17.3 per cent of the outstanding aggregate advances to the SSI sector. As at the end of June 1988, only 8,347 units with outstandings of Rs. 336.25 crores were reported to be under a nursing programme by the financing banks. The number of non-viable units was 1.99 lakhs with outstanding bank credit of Rs. 1,398 crores.

2.9 A 'Banker-Borrower Meet' was organised by the Reserve Bank of India in January 1989 to deliberate broadly on the following issues :

- precise reasons for sickness of the SSI units and the steps taken by all concerned i.e. State Governments, bankers and the borrowing units to make them viable;
- the nature of assistance which the borrowing SSI units would require from State/Central Government and
- the problem of co-ordination between State Financial Corporations and banks.

The State Governments and others agreed to look into the issues raised by the borrowers.

2.10 Following the study of high value claims in 1988 in respect of sick/failed small-scale industrial units, the Corporation reported to the Reserve Bank of India cases of units which had failed due to untimely as well as inadequate finance provided by the credit institutions for follow-up action. The Reserve Bank of India has since taken up the matter with the concerned credit institutions requesting them to review the position and take urgent steps to rectify such deficiencies.

2.11 In response to representations received from participating credit institutions, it has been decided and clarified to them that the new coverage of entire priority sector advances has been extended to all credit facilities

which were "good" as on 31 March 1989. Further, the enhanced/revised monetary ceilings have been made applicable to the eligible credit facilities disbursed prior to 1 April 1989 provided they have been renewed/modified on or after 1 April 1989. No guarantee fee is now required to be paid on non-fund based limits like letters of credit, co-acceptances and financial guarantees as well as bills rediscounted under Industrial Development Bank of India's bills rediscounting scheme since they do not form part of priority sector advances. The credit institutions are, however, required to observe all the safeguards/procedures in respect of their non-fund based limits and as and when such limits culminate into fund based facilities the same would be covered under the scheme.

2.12 The monetary ceilings on the Corporation's claim liabilities were enhanced/revised with effect from 1 April 1989 as reported last year. During the year, a study was carried out to ascertain the extent of benefit, number-

wise as also amount-wise consequent upon such revision. The analysis of the study in respect of 14.35 lakhs claims lodged under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 during the year 1988 revealed that :

- (a) Over 97.7 per cent of claims (number-wise) are paid without intervention of monetary ceilings.
- (b) The amount of claims settled as a percentage of amounts in default ranges between 49.6 per cent (agriculture - development activities), and 59.6 per cent (retail traders) as against 60 per cent of the amount in default which is the maximum payable under the Scheme.

The monetary ceilings as enhanced/revised are thus considered adequate.

2.13 The Corporation has made an Institution (Group) - wise analysis of the operations of all its credit guarantee schemes for the period 1986 to 1988-89. The share of these institutions in guarantee fee, claims lodged/paid and pending was as below :

Category of institution	(Rs. in crores)					
	Guarantee fee (GF)	Claims lodged (CL)	Ratio GF:CL	Claims paid (CP)	Ratio GF:CP	Claims pending*
State Bank of India Group	153.71	426.20	1:2.77	240.03	1:1.56	101.26
Other public sector banks	280.23	617.43	1:2.20	391.00	1:1.40	162.51
Foreign banks	1.21	0.25	1:0.21	0.19	1:0.16	0.12
Other private sector banks	17.93	38.15	1:2.13	18.37	1:1.02	11.25
Regional Rural Banks	28.73	97.92	1:3.41	81.52	1:2.84	34.79
State Financial Corporations	13.86	60.26	1:4.35	27.63	1:1.99	40.51
Co-operative Banks	5.99	7.05	1:1.18	1.66	1:0.28	4.82
Total :	501.66	1247.26	1:2.49	760.40	1:1.52	355.26

* Excludes claims under clarification in respect of Small Loans Guarantee Scheme, 1971 for which institution-wise break-up is not available.


It may be observed from the above that the Regional Rural Banks, State Financial Corporations, State Bank of India and its subsidiaries and other public sector banks have been beneficiaries under the schemes. The availment of the schemes by private sector commercial banks has been progressively rising every year. The Co-operative banks, however, have availed themselves of little or no benefit under the Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 or Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION

3.1 The number of insured banks registered with the Corporation increased from 1903 as on 1 April 1989 to 1921 as on 31 March 1990 comprising 82 commercial banks, 196 Regional Rural Banks and 1643 co-operative banks. One commercial bank and 18 co-operative banks were registered and one commercial bank was deregistered during the year 1989-90. While the Scheme covers all commercial banks (including Regional Rural Banks), the co-operative banks in sixteen


NUMBER OF INSURED ACCOUNTS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(IN LAKHS)

CHART I



AMOUNT OF INSURED DEPOSITS
(AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(CRORES OF RUPEES)

CHART II





INSURANCE COVERAGE IN
COMMERCIAL AND CO-OPERATIVE BANKS

(LAST FRIDAY OF JUNE 1989)

TOTAL NUMBER
OF ACCOUNTS
3,141.68 LAKHS

TOTAL AMOUNT OF
ASSESSABLE DEPOSITS
RUPEES 1,40,745.95 CRORES

PARTIALLY PROTECTED ACCOUNTS (2.6 %)



States and three Union Territories have so far been brought under its purview (Annexures I and II). The extension of the Scheme to Manipur and Sikkim States is still under consideration. The position regarding extension of the Scheme to other States remained unchanged. The number of banks which remain to be insured in the country is 80 only.

3.2 The category-wise break-up of the insurance premium collection during the year 1988, for the fifteen month period from 1 January 1988 to 31 March 1989 and 1 April 1989 to 31 March 1990 is indicated below :

(Amount in crores of rupees)

Category of banks	Insurance premium received during		
	1.4.89 to 31.3.90 (12 months)	1.1.88 to 31.3.89 (15 months)	1988 (12 months)
1. Commercial Banks	58.79	68.30	50.39
2. Regional Rural Banks	1.19	1.30	1.03
3. Co-operative Banks	6.56	6.96	5.39
	66.54	76.56	56.81

3.3 Deposits insured by the Corporation and the extent of protection afforded to depositors at the end of June 1988 and June 1989 are furnished in the following table:

(Details are given in Annexures III & IV)

(Amount in crores of rupees)

	June 1989	June 1988
1. Assessable deposits	1,40,746	1,26,864
2. Insured deposits	1,01,682	90,192
3. Percentage of 2 to 1	72.2	71.1
4. Total No. of accounts (in lakhs)	3,142	2,781
5. Fully protected accounts (in lakhs)	3,059	2,705
6. Percentage of 5 to 4	97.4	97.3

The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 54.77 per cent and 45.23 per cent respectively of the total assessable deposits.

3.4 During the year, the Corporation settled claims for an aggregate amount of Rs. 31.42 crores in respect of two commercial banks viz., Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi which was amalgamated with Punjab National Bank (Rs. 3.42 crores) and United Industrial Bank Ltd., Calcutta which was amalgamated with Allahabad

Bank (Rs. 28.00 crores) Further a provision of Rs. 10.24 crores has been made in the accounts towards the

- final payment of claims submitted by Allahabad Bank (Rs. 7.02 crores) ;
- settlement of revised claims submitted by Bank of Baroda, transferee bank of Traders Bank Ltd. (Rs. 3.17 crores) and
- settlement of claims amounting to Rs. 0.05 crore submitted by the Liquidator, Yellamanchili Co-operative Urban Bank Ltd., Yellamanchili (Andhra Pradesh) which was taken into liquidation on 28 December 1988.

3.5 As on 31 March 1990, the total amount of claims paid was Rs. 97.55 crores in respect of 19 commercial banks. Taking into account the total repayments of Rs. 8.15 crores (including Rs. 2.82 crores received during the year) and a sum of Rs. 0.10 crore written off in respect of 5 commercial banks, the balance in respect of the remaining banks stood at Rs. 89.30 crores.

3.6 The total claims paid in respect of 18 co-operative banks remained unchanged at Rs. 2.74 crores as on 31 March 1990. After taking into account the repayments aggregating to Rs. 0.62 crore (including Rs. 0.05 crore received during the year), the balance due from them to the Corporation stood at Rs. 2.12 crores. Details of claims paid, repayments received etc. till 31 March 1990 are given in Annexure V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers

4. The Corporation operates four schemes for small borrowers. The first three schemes operative since 1971 cover advances granted for agriculture and allied activities, transport operators, retail trade, small business etc. by commercial banks (including Regional Rural Banks), co-operative banks and State Financial Corporations. The fourth Scheme introduced in 1984 covers advances granted by urban co-operative banks for non-agricultural purposes. One more Scheme viz., Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 offered on pilot basis with effect from 1 January 1983 for covering the advances granted for agriculture and allied activities by certain select Primary Agricultural Credit Societies (PACSS) and Primary Land Development Banks (PLDBs)/branches of State Land Development Banks (SLDBs) has not evoked any response so far. The overall performance of four schemes operated by the Corporation for small borrowers is given overleaf :

97.55
8.15
89.40

97.55
2.74
100.29

8.15
0.62
8.77

(Amount in crores of rupees)

Category of borrowers	Guaranteed advances as on 31.3.1989	Amount of claims received				Percentage of 6 to 2 (3+4+5)
		Upto 1987	During 1988-89	During 1989-90	Aggregate upto March 1990	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Farmers and Agriculturists	10,542.04	362.88	180.86	182.81	726.55	6.89
DRI Advances/ Advances to Weaker Sections	2,484.92	23.60	15.05	12.91	51.56	2.07
Other Priority Sector Advances	12,559.10	296.81	168.17	160.03	625.01	4.98
Service Co-op. Societies	0.20	—	—	—	—	—
Total :	25,586.26	683.29	364.08	355.75	1403.12	5.48

a) Small Loans Guarantee Scheme, 1971

5.1 During the year four commercial banks were amalgamated with four public sector banks. Consequently as on 31 March 1990 the number of participating credit institutions decreased to 263 (comprising 67 commercial banks and 196 Regional Rural Banks) as against 267 as on 31 March 1989 (Annexure VI). The Scheme continues to account for the bulk of guaranteed advances to small borrowers forming 99.91 per cent of the total priority sector advances to non-SSI sector. The year-wise position of guaranteed advances as also the sector-wise break-up is given in Annexure VII. As a result of adoption of priority sector advances as the basis for extending the guarantee cover by the Corporation, there has been a phenomenal rise in the volume of guaranteed advances. This is evident from the fact that as against Rs. 205.71 crores as on 30 June 1972, the total guaranteed advances as at the end of March 1989 stood at Rs. 25,562.66 crores. The sector-wise break-up of guaranteed advances vis-a-vis claims received till March 1990 is given below :

Category of borrowers	Per cent	
	Guaranteed advances	Claims received
i) Farmers and agriculturists	41.28	51.78
ii) DRI Advances	1.96	3.60
iii) Advances to weaker sections	7.76	44.62
iv) Other priority sector advances	49.00	
	100.00	100.00

5.2 During the year under report the Corporation received 15,03,088 claims for Rs. 354.87 crores as against 15,28,239 claims for Rs. 363.29 crores received during the previous accounting year (comprising 15 months) registering a rise of 22.9 per cent and 22.1 per cent number-wise and amount-wise respectively on annualised basis. The amount of claims received during the year ended March 1990 formed 1.4 per cent of total guaranteed advances at Rs. 25,562.66 crores under the Scheme. The sector-wise break-up of claims received upto March 1990 is given in Annexure-VIII.

5.3 The Corporation scrutinised and disposed of 15,98,622 claims for Rs. 346.40 crores surpassing the previous year's record of 12,90,917 claims for Rs. 280.52 crores showing an overall increase of 54.8 per cent in number and 54.4 per cent in amount on annualised basis. The average monthly rate of disposal this year stood as high as at 1,33,218 claims as against 86,061 during the period January 1988-March 1989. In addition to above, 3,18,638 claims for Rs. 166.23 crores have already been processed and are awaiting settlement for want of requisite clarifications from banks.


5.4 Recoveries during the year under report by virtue of subrogation rights aggregated Rs. 34.88 crores compared to Rs. 30.03 crores received during the fifteen month period ended March 1989. The total amount of recoveries since inception of the Scheme aggregated Rs. 109.33 crores forming 10.9 per cent of claims paid.

b) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971

6.1 The number of participating financial corporations in the Scheme remained unchanged at 20 (Annexure

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF
 GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS
 (END OF JUNE)
 (CRORES OF RUPEES)


CHART IV



SECTOR-WISE ANALYSIS OF GUARANTEED ADVANCES
 IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

CHART V

(AS AT THE END OF MARCH 1989)



RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

NUMBERS

CHART VI





CHART VII



VI). However, of these, seventeen State Financial Corporations have not submitted their statements of guaranteed advances and not remitted the guarantee fee. The total guaranteed advances of the remaining three State Financial Corporations as at end March 1989 amounted to Rs. 2.70 crores. Advances granted to transport operators continued to form major portion of guaranteed advances (96.3 per cent).

6.2 The Corporation received 108 claims for Rs. 0.82 crore from three State Financial Corporations which were regular in remitting guarantee fee and submitting returns. The total amount of claims received under this Scheme till March 1990 worked out to Rs. 3.04 crores. During the period under report the Corporation disposed of 27 claims for Rs. 0.14 crore and remaining claims were awaiting settlement on receipt of requisite clarifications. A sum of Rs. 0.02 crore was received by way of recoveries in claims paid accounts as against Rs. 0.04 crore received during the year ended March 1989.

**c) Service Co-operative Societies
Guarantee Scheme, 1971**

7. The number of participating credit institutions in the Scheme which was 178 as on 31 March 1989 decreased to 175 (53 commercial banks, 84 Regional Rural Banks and 38 co-operative banks) - Annexure VI. The decline was due to amalgamation of 3 weak commercial banks with bigger commercial banks. The guaranteed advances as at the end of March 1989 covered by the Scheme stood at Rs. 0.20 crore and no claim has so far been received by the Corporation under this Scheme.

**d) Small Loans (Co-operative Banks)
Guarantee Scheme, 1984**

8. As on 31 March 1990 the number of participating primary urban co-operative banks in this Scheme increased to 89 against 86 as on 31 March 1989 (Annexure VI). The guaranteed advances as at the end of March 1989 covered by the Scheme worked out to Rs. 20.70 crores (Annexure VII). The Corporation in all received 153 claims for Rs. 0.06 crore during the period under report. Of these, 142 claims for Rs. 0.04 crore were disposed of. No recoveries were received during the year under report.

**e) Small Loans (Co-operative Credit
Societies) Guarantee Scheme, 1982**

9. The above Scheme offered on pilot basis from 1 January 1983 to 2,476 Primary Agricultural Credit Societies (PACs), 159 Primary Land Development Banks (PLDBs) and 200 branches of State Land Development Banks (SLDBs) which were found initially eligible has not evoked much interest and till 31 March 1990 none of these credit institutions had joined the Scheme.

**B) Credit Guarantee Schemes
for small-scale industries**

**(a) Government's Credit Guarantee Scheme for
small-scale industries (since cancelled)**

10. The Corporation acts as an agent of Government of India for discharge of residual functions under this Scheme which was cancelled as at the end of March 1981. Government of India issued instructions directing the Corporation not to accept fresh claims under the Scheme from the close of business on 31 March 1989. However, in view of the representations made by the credit institutions regarding postal delay, etc. the Government of India subsequently extended the date upto 31 May 1989 with specific instructions that no further extension would be considered. Accordingly, no fresh claims are being received by the Corporation from that date. During the year 1989-90, the Corporation received 1,014 claims for Rs. 6.04 crores due to representations/relodgement and disposed of 4,342 claims for Rs. 20.29 crores. As on 31 March 1990, 608 claims for Rs. 8.16 crores were pending (Details in Annexure XI). The branch-wise position in this regard is as under :

Branch	No. of claims pending	Amount (In crores Rs.)
1. Calcutta	511	5.98
2. Madras	7	0.67
3. Nagpur	4	0.21
4. New Delhi	86	1.30
Total :	608	8.16

Of this, 136 claims for Rs. 1.60 crores were already processed and kept pending for want of certain clarifications. Efforts are being made to dispose of all the pending claims at the earliest. The Corporation paid claims and received reimbursements as under :

Period	(Amount in crores of rupees)	
	Amount actually paid on behalf of Govt. of India till 31 March 1990	Reimbursement received from Govt. of India upto 31 March 1990
April 1981 to March 1989	101.53	100.18
April 1989 to March 1990	4.76	5.00
Total :	106.29	105.18

As against the budgetary provision of Rs. 4.80 crores made by Government of India, the Corporation has paid a sum of Rs. 4.76 crores during the financial year 1989-90. As on 31 March 1990, there was a balance of Rs. 1.11 crores yet to be reimbursed by Government of India.

**(b) Corporation's Small Loans
(Small Scale Industries)
Guarantee Scheme, 1981**

11.1 As on 31 March 1990, there were 553 credit institutions (544 as on 31 March 1989) participating in this Scheme comprising 65 commercial banks, 165 Regional Rural Banks, 14 State Financial Corporations, 8 other State Development Agencies and 301 co-operative banks (Annexure X). The advances to SSI sector coming under the priority sector as defined by Reserve Bank of India amounted to Rs. 14,094.00 crores as at the end of March 1989.

11.2 The Corporation received 74,894 claims for Rs. 192.58 crores during the year 1989-90 as against 93,716 claims for Rs. 216.90 crores received during the 15 months period January 1988 to March 1989 and disposed of 1,01,579 claims for Rs. 368.08 crores as against 81,351 claims for Rs. 156.56 crores during the 15 months period January 1988 to March 1989 (Amount-wise details in Annexure XI). As on 31 March 1990, 5,857 claims for Rs. 82.03 crores were pending; of this, 1,483 claims for Rs. 10.58 crores had already been scrutinised/processed but were kept pending for want of certain additional information/clarifications from the credit institutions. Amount-wise/age-wise classification of pending claims and details of claims received and disposed of year-wise from 1 April 1981 are given in Annexures XII and XIII respectively. The recoveries received during the year 1989-90 by virtue of the Corporation's right of subrogation aggregated Rs. 5.26 crores. Such recoveries since 1981 aggregated Rs. 17.31 crores as on 31 March 1990 and represent 4.5 per cent of the total claims paid at Rs. 381.70 crores.

11.3 The aggregate amount of claims received till 31 March 1990 under the Scheme in respect of small scale industries at Rs. 815.77 crores formed 5.79 per cent of the total guaranteed advances to the priority sector at Rs. 14,094.00 crores.

11.4 The scrutiny and settlement of high value claims under these credit guarantee schemes for small-scale industrial sector continue to be attended to by a Claims Committee comprising four members which includes Chief Executive/s of public sector bank/s, an Executive Director of Industrial Development Bank of India, an eminent Chartered Accountant and the Reserve Bank of India Nominee Director who acts as its Chairman. Dur-

ing the year 1989-90, the Claims Committee met 5 times and settled 216 claims for Rs. 23.86 crores.

Accounts

Balance Sheets and Revenue Accounts

12.1 Revenue Accounts for the year April 1989 to March 1990 and balance sheets as at the 31 March 1990 showing separately the position of three Funds viz. Deposit Insurance Fund, Credit Guarantee Fund and General Fund, together with the Auditor's Report thereon, are attached.

12.2 Since 1987 the Corporation has adopted the system of valuation of liabilities of the Deposit Insurance Fund and the Credit Guarantee Fund on an actuarial basis. Accordingly, the three Funds revealed a net surplus of Rs. 195.31 crores after making all the provisions including provision for pending claims etc. as against net deficit of Rs. 9.54 crores in the previous period. While the Deposit Insurance Fund and the Credit Guarantee Fund show surplus of Rs. 10.62 crores and Rs. 188.64 crores respectively, the General Fund discloses a deficit of Rs. 3.95 crores. It will be observed that the General Fund which was showing surplus till last year has for the first time disclosed a deficit of Rs. 3.95 crores. It is mainly because of additional provision of Rs. 3.39 crores for depreciation in the value of investments in government securities and increase in establishment expenses on account of upward revision of pay scales and payment of arrears to the staff.

12.3 A total amount of Rs. 413.71 crores was transferred to the Credit Guarantee Fund from the Deposit Insurance Fund to wipe off the deficits disclosed in the former Fund, during the last two accounting periods. The surplus of Rs. 188.64 crores now available in the Credit Guarantee Fund has been retransferred to the Deposit Insurance Fund. Even after this transfer, a sum of Rs. 225.07 crores is due to the Deposit Insurance Fund.

12.4 In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts which are not required for the time being are invested in Central Government Securities. Particulars of these investments are shown in Annexure XV. The depreciation in the investments under the three Funds has been fully provided for.


Other Developments

Progress in Computerisation

13.1 During the year the Corporation has augmented the data entry capacity by installing 4 additional data entry terminals and replacing those which had become obsolete. Steps were taken to encourage banks to sub-

GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF
GUARANTEE SCHEME RELATING TO SMALL-SCALE INDUSTRIES
(CRORES OF RUPEES)

CHART VIII




RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES



NUMBERS


CHART IX CHART X

CRORES OF RUPEES



RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
GOVERNMENT'S GUARANTEE SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED)





mit their claims on magnetic tapes for expeditious settlement. The computerisation of accounting of guarantee fee under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 has also been undertaken during the year under review. The computerisation of settlement of claims under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 is under consideration.

Shifting of departments to New India Centre

13.2 The Credit Guarantee Department (Non-SSI), Administration Department, Accounts Department and Deposit Insurance Department which were housed in Novelty Chambers premises at Grant Road, Bombay 400 007 were shifted to New India Centre, 17, Cooperage Road, Bombay 400 039 and started functioning there from 28 April 1990.

General

Auditors

14.1 In terms of Section 23(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 the Board of Directors appointed with the prior approval of the Reserve Bank of India, M/s. N.B. Shetty & Co., Chartered Accountants, Bombay, as Auditors of the Corporation for the year ended 31 March 1990.

Promotion of Hindi

14.2 The Corporation is taking several steps for promotion of Hindi in its day-to-day business. It issues circulars and brings out the Annual Report bilingually, in Hindi and English. In addition to the Hindi Cell at the Corporation's Head Office, it is proposed to set up Hindi Cells in the Corporation's branches. Two meetings of the Corporation's Official Languages Implementation Committee (OLIC) formed to implement various instructions received from the Government of India/Reserve Bank of India for ensuring and reviewing the progressive use of Hindi, were held during the year. The staff is encouraged to make greater use of Hindi and for the purpose, 33 officers and 8 staff members were deputed to attend various Hindi Training Programmes/workshops. Hindi libraries have been set up in the Head Office and branches. Hindi newspapers and magazines are being purchased and circulated.

Training

14.3 Officials from the Bank of Tanzania and Central Bank of Zambia visited the Corporation to study its working. The Corporation also deputed its officers to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India to take up sessions on the schemes of the Corporation.

14.4 Cognisant of the fact that productivity and efficiency cannot be increased without thorough appreciation and understanding of all aspects of the work involved, the Corporation organised a special training programme for its officers this year also. Twenty five officers of the Corporation participated in the aforesaid programme conducted at the College of Agricultural Banking, Pune. The staff of the Corporation at other levels were also exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank at its training centres. During the year under report 33 officers, 20 clerical staff and 61 subordinate staff were deputed for various training programmes.

Management

15.1 During the year under report four quarterly meetings of the Board of Directors of the Corporation were held under the Chairmanship of Dr. P.D. Ojha.

15.2 Dr. P.D. Ojha relinquished his office as Deputy Governor, Reserve Bank of India on the expiry of his term and consequently ceased to be the Chairman of the Board of the Corporation as from the close of business on 28 April 1990. Shri R. Janakiraman, Deputy Governor, Reserve Bank of India has been nominated as Chairman vice Dr. P.D. Ojha with effect from 30 May 1990. Also, Shri U.K. Sarma, Executive Director, Reserve Bank of India who was Reserve Bank of India Nominee Director on the Board, retired from the services of the Bank and consequently ceased to be Director on the Board of the Corporation with effect from 31 December 1989. Ms. I.T. Vaz, Executive Director of Reserve Bank of India has been nominated in place of Shri Sarma with effect from 5 January 1990.

Shri Valluri Narayan, Joint Secretary, Department of Economic Affairs (Banking Division), Ministry of Finance, Government of India was nominated as a Director of the Corporation in place of Shri A.K. Agarwal with effect from 28 June 1989. He ceased to be a Director on the Board of the Corporation from 30 November 1989 and Shri Dinesh Chandra, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India has been nominated as a Director on the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation in his place with effect from that date.

The Central Government nominated the Managing Director, State Bank of India and Chairman and Managing Director, Allahabad Bank as Directors on the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 for a period of two years with effect from 19 October 1989. Accordingly,

Shri V. Atal, the then Managing Director, State Bank of India and Shri R.L. Wadhwa, Chairman and Managing Director, Allahabad Bank became Directors on the Board of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation from 19 October 1989. Shri V. Atal, ceased to be a Director of the Corporation with effect from 13 January 1990 consequent on his elevation as Chairman of State Bank of India and Shri J.P. Kundra, the new Managing Director, State Bank of India became a Director of the Corporation with effect from 9 March 1990. Shri S.S. Nadkarni, Chairman and Managing Director, Industrial Development Bank of India, was renominated as a Director of the Corporation for a further period of two years with effect from 19 September 1988.

The Board places on record its deep appreciation of the able guidance and valuable contribution made by Dr. P.D. Ojha as Chairman for a period of five years. The Board also expresses appreciation of the contribution of directors viz., Sarvashri U.K. Sarma, A.K. Agarwal, Val-

luri Narayan and V. Atal. The Board also welcomes the new directors.

Shri K.K. Saxena, General Manager of the Corporation proceeded on leave preparatory to retirement with effect from 1 January 1990 and in his place Shri P. Krishnamurthy has assumed charge as General Manager with effect from 9 January 1990.

16. The Board records its appreciation of the efforts put in by the General Manager and staff of the Corporation at all levels in coping with the increased volume of work and maintaining the operational efficiency.

DEPOSIT INSURANCE AND
CREDIT GUARANTEE
CORPORATION,
BOMBAY 400 039.
DATED THE 25TH JUNE 1990.

For and on
behalf of the
Board of
Directors
(R. Janakiraman)
Chairman

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED 31 MARCH 1990.

(A) Names of banks registered

Commercial bank	Orissa
1. Credit Lyonnais Bombay.	1. Urban Co-operative Bank Ltd., Rourkela
Co-operative Banks	
Andhra Pradesh	Rajasthan
1. A.P. Vardhaman (Mahila) Co-operative Bank Ltd., Hyderabad.	1. Bundi Urban Co-operative Bank Ltd., Bundi
	2. Jaisalmer Central Co-operative Bank Ltd., Jaisalmer.
Karnataka	
1. Ananda Co-operative Bank Ltd., Bangalore.	Uttar Pradesh
Madhya Pradesh	1. Ghazipur Urban Co-operative Bank Ltd., Ghazipur.
1. Shubhalaxmi Mahila Co-operative Bank Ltd., Indore.	2. Indian Mercantile Co-operative Bank Ltd., Lucknow.
2. Sadguru Nagrik Sahakari Bank Maryadit, Bhopal.	3. New Urban Co-operative Bank Ltd., Rampur.
3. Nagrik Sahakari Bank Ltd., District, Durg.	4. Rani Laxmibai Urban Co-operative Bank Ltd., Jhansi
Maharashtra	
1. Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd., Pune.	Union Territory
2. Shri Kanyaka Nagrik Sahakari Bank Ltd., Chandrapur.	Delhi
3. Ajinkyatara Mahila Sahakari Bank Ltd., Satara.	1. Indraprastha Sahakari Bank Ltd., Delhi.
4. Shivaji Nagari Sahakari Urban bank Ltd., Dist.: Aurangabad.	2. Ramgarhia Co-operative Bank Ltd., New Delhi.

(B) Name of bank deregistered

Commercial Bank

1. United Industrial Bank Ltd., Calcutta.

SUMMARY OF INSURED BANKS

(As on 31 March 1990)

I. Commercial Banks	82
II Regional Rural Banks	196
III Co-operative Banks	
(Break-up as under)	

STATE	Apex	Central	Primary	Total
Andhra Pradesh	1	22	62	85
Goa	1	—	5	6
Gujarat	1	21	290	312
Haryana	1	13	8	22
Himachal Pradesh	1	2	4	7
Jammu & Kashmir	1	3	3	7
Karnataka	1	22	206	229
Kerala	1	14	57	72
Madhya Pradesh	1	45	41	87
Maharashtra	1	31	378	410
Orissa	1	17	13	31
Rajasthan	1	27	19	47
Tamil Nadu	1	18	133	152
Tripura	1	—	1	2
Uttar Pradesh	1	56	34	91
West Bengal	1	17	48	66
UNION TERRITORIES				
Delhi	1	—	14	15
Diu and Daman	—	—	—	—
Pondicherry	1	—	1	2
TOTAL Co-operative Banks	18	308	1317	1643
TOTAL (I + II + III)				1921

ANNEXURE — II

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS (COMMERCIAL, REGIONAL RURAL AND CO-OPERATIVE) COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME SINCE 1962

Year	No. of registered banks at the commencement of the year	No. of banks registered during the year	No. of banks deregistered where Corporation's liability			No. of registered banks at the close of the year (2 + 3 - 6)
			was attracted	was not attracted	Total (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
1962	287	—	2	9	11	276
1963	276	—	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	—	—	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	—	—	9	9	91
1968	91	—	—	3	3	88
1969	88	—	2	1	3	85
1970	85	—	1	1	2	83
1971	83	385	—	3	3	465
1972	465	16	—	5	5	476
1973	476	18	—	2	2	492
1974	492	37	—	3	3	526
1975	526	88	—	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	—	4	4	1,392
1980	1,392	191	—	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	—	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805
1985	1,805	41	5	4	9	1,837
1986	1,837	27	2	3	5	1,859
1987	1,859	42	3	—	3	1,898
1988/89	1,898	14	2	7	9	1,903
1989/90	1,903	19	1	—	1	1,921

Break-up of insured banks at the end of 1987, 1988/89 and 1989/90

Year	No. of insured banks			
	Commercial Banks	Regional Rural Banks	Co-operative Banks	Total
1987	83	196	1,619	1,898
1988/89	82	196	1,625	1,903
1989/90	82	196	1,643	1,921

ANNEXURE III

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(As on the last Friday of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976, 1 July 1980 and the last working day of June 1981 to June 1989)

Year	No. of fully protected accounts @ (in lakhs)	Total No. of accounts (in lakhs)	Percentage of (2) to (3)	Insured deposits £ (Rs. in crores)	Total assessable deposits (Rs. in crores)	Percentage of (5) to (6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9
1987	2,518.01	2,568.51	98.0	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988	2,704.87	2,780.88	97.3	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989	3,059.11	3,141.68	97.4	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2

@ i.e. number of accounts with balance not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000 till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

£ i.e. deposits upto Rs. 1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000 till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

ANNEXURE — IV

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1987, 1988/89 AND 1989/90

Year	Category of Banks	Total No. of Banks	No. of Reporting Banks	Insured Deposits (Rs. in crores)	Total assessable Deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1987	Commercial Banks	83	72	67,236.46	92,184.45	72.9
	Regional Rural Banks	196	176	1,351.76	1,453.50	93.0
	Co-operative Banks	1,619	1,236	6,922.97	9,406.21	73.6
	Total	1,898	1,484	75,511.19	1,03,044.16	73.3
1988/89	Commercial Banks	82	66	81,028.38	1,14,482.94	70.8
	Regional Rural Banks	196	126	1,106.07	1,125.50	93.0
	Co-operative Banks	1,625	1,076	8,057.24	11,195.75	71.9
	Total	1,903	1,268	90,191.69	1,26,864.19	71.1
1989/90	Commercial Banks	82	66	89,232.95	1,23,542.06	72.2
	Regional Rural Banks	196	119	1,539.46	1,702.59	90.4
	Co-operative Banks	1,643	1,184	10,909.55	15,501.30	70.4
	Total	1,921	1,369	1,01,681.96	1,40,745.95	72.2

ANNEXURE — V

DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENT RECEIVED DURING THE YEAR ENDED 31 March 1990

(Amount in lakhs of rupees)

Sr. No.	Name of the Bank (Indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3-4)
1.	2.	3.	4.	5.
I. COMMERCIAL BANKS				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full				
\$	1) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd., Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.32	—
	Total 'A':	55.69	55.69	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off				
*	4) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@@
*	5) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31	@@
*	6) Chawla Bank Ltd., Dehradun (1969)	0.18	0.14	@@
*	7) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	@@
*	8) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.73	@@
	Total 'B':	19.93	9.96	@@
iii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full				
*	9) Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963)	0.28	0.18	0.10
*	10) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
*	11) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	1.14	0.94
*	12) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99	0.88	0.11
*	13) Habib Bank Ltd. Bombay (1966)	(0.85)	—	(0.85)
		17.26	16.78	0.48
		(1.18)	—	(1.18)
*	14) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
*	15) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)	1,162.78	231.25	931.53
*	16) Miraj State Bank Ltd., Miraj (1987)	146.59	—	146.59
*	17) Lakshmi Commercial Bank Ltd., Delhi (1987)	3,340.62	494.91	2,845.71
*	18) Hindustan Commercial Bank Ltd., Delhi (1986)	2,191.67	—	2,191.67
*	19) United Industrial Bank Ltd., (1989)	2,800.00	—	2,800.00
	Total 'C':	9,679.06	749.29	8,929.77
		(2.03)		(2.03)
	Total 'A' + 'B' + 'C':	9,754.68	814.94	8,929.77
		(2.03)		(2.03)

ANNEXURE — V (Contd.)

1.	2.	3.	4.	5.
II. CO-OPERATIVE BANKS				
i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full				
\$\$	20) Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.84	++
%	21) Bombay Peoples Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	10.72	10.72 £	+++
	Total 'D':	12.58	12.56	—
ii) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full				
@	22. Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@	23. Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@	24. Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd., Bombay (1978)	0.60	—	0.60
*	25. Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd., Ratnagiri (1978)	46.43	11.88	34.55
*	26. Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	4.00	7.57
*	27. Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	4.22	—	4.22
*	28. Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	13.17	3.31	9.86
*	29. Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30
*	30. Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	12.95	78.36
@	31. Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.51	7.87	10.64
@	32. Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd., Kollur (1985)	13.96	—	13.96
@	33. Adarsha Co-op. Bank Ltd., Mysore (1985)	2.74	0.61	2.13
*	34. Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd., Kurduwadi (1986)	4.85	3.07	1.78
@	35. Gadag Urban Co-op. Bank Ltd., Gadag (1986)	22.85	6.00	16.85
@	36. Manihal Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Manihal (1987)	9.61	—	9.61
@	37. Hind Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Lucknow (1987)	10.95	—	10.95
	Total 'E':	261.56	49.69	211.87
	Total 'D' + 'E':	274.14	62.25	211.87
	Total 'A' + 'B' + 'C' + 'D' + 'E':	10,028.82 (2.03)	877.19	9141.64 (2.03)

\$ Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India

@@ Balances aggregating Rs. 9.97 lakhs have been written off. These include a sum of Rs. 0.10 lakh not paid but only provided for.

* Scheme of amalgamation.

@ Banks taken into liquidation + Scheme of arrangement.

++ Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.

+++ Provision of Rs. 2.07 lakhs made in respect of untraceable depositors written back.

\$\$ The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1984.

% The bank was voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-operative Bank Ltd., in 1987.

Notes: (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.

(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

ANNEXURE - VI

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR AS ON 31 MARCH 1990

I. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. UCO Bank
28. Vijaya Bank

Foreign Banks

29. Algemene Bank Nederland N.V.
30. American Express Bank Ltd.
31. Bank of America National Trust and Savings Association
32. Bank of Tokyo Ltd.
33. Banque Nationale De Paris
34. British Bank of the Middle East
35. Chartered Bank
36. Citibank N.A.
37. ANZ Grindlays Bank p.l.c.
38. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
39. Mitsui Bank Ltd.
40. Oman International Bank S.A.O.G.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

41. Bank of Karad Ltd.
42. Bank of Madura Ltd.
43. Bank of Rajasthan Ltd.
44. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
45. Benaras State Bank Ltd.
46. Bharat Overseas Bank Ltd.
47. Catholic Syrian Bank Ltd.
48. Dhanalakshmi Bank Ltd.
49. Federal Bank Ltd.
50. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
51. Karnataka Bank Ltd.
52. Karur Vysya Bank Ltd.
53. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
54. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
55. Lord Krishna Bank Ltd.
56. Naini Tal Bank Ltd.
57. Nedungadi Bank Ltd.
58. Punjab Co-operative Bank Ltd.
59. Purbanchal Bank Ltd.
60. Ratnakar Bank Ltd.
61. Sangli Bank Ltd.
62. South Indian Bank Ltd.
63. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
64. United Western Bank Ltd.
65. Vysya Bank Ltd.

Non-Scheduled Commercial Banks

66. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
67. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

Regional Rural Banks

68. Adhiyaman Grama Bank
69. Akola Gramin Bank
70. Alaknanda Gramin Bank
71. Aligarh Gramin Bank
72. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
73. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank
74. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
75. Aravali Kshetriya Gramin Bank
76. Arunachal Pradesh Rural Bank
77. Aurangabad-Jalna Gramin Bank
78. Avadh Grameena Bank
79. Baitarani Gramya Bank
80. Balasore Gramya Bank
81. Ballia Kshetriya Gramin Bank
82. Banaskantha-Mehsana Gramin Bank
83. Bara Banki Gramin Bank

ANNEXURE — VI (Contd.)

- | | |
|---|---|
| 84. Bardhaman Gramin Bank | 135. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank |
| 85. Bareilly Kshetriya Gramin Bank | 136. Hadoti Kshetriya Gramin Bank |
| 86. Bastar Kshetriya Gramin Bank | 137. Haryana Kshetriya Gramin Bank |
| 87. Basti Gramin Bank | 138. Hazaribag Kshetriya Gramin Bank |
| 88. Begusarai Kshetriya Gramin Bank | 139. Himachal Gramin Bank |
| 89. Bhagalpur-Banka Kshetriya Gramin Bank | 140. Hindon Gramin Bank |
| 90. Bhagirath Gramin Bank | 141. Hisar-Sirsa Kshetriya Gramin Bank |
| 91. Bhandara Gramin Bank | 142. Howrah Gramin Bank |
| 92. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank | 143. Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank |
| 93. Bhojpur Rohtas Gramin Bank | 144. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank |
| 94. Bijapur Gramin Bank | 145. Jammu Rural Bank |
| 95. Bikaner Kshetriya Gramin Bank | 146. Jamnagar Gramin Bank |
| 96. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank | 147. Jamuna Gramin Bank |
| 97. Bolangir Anchalik Gramya Bank | 148. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank |
| 98. Buldhana Gramin Bank | 149. Junagadh-Amreli Gramin Bank |
| 99. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank | 150. Kakathiya Grameena Bank |
| 100. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank | 151. Kalahandi Anchalik Gramya Bank |
| 101. Cachar Gramin Bank | 152. Kalpatharu Grameena Bank |
| 102. Cauvery Grameena Bank | 153. Kamraz Rural Bank |
| 103. Chambal Kshetriya Gramin Bank | 154. Kanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 104. Champaran Kshetriya Gramin Bank | 155. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank |
| 105. Chaitanya Grameena Bank | 156. Kashi Gramin Bank |
| 106. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank | 157. Khasi Jaintia Rural Bank |
| 107. Chhatrasal Gramin Bank | 158. Kisan Gramin Bank |
| 108. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank | 159. Kolar Gramin Bank |
| 109. Chickmagalur-Kodagu Gramin Bank | 160. Koraput Panchabati Gramya Bank |
| 110. Chitradurga Gramin Bank | 161. Kosi Kshetriya Gramin Bank |
| 111. Cuttack Gramya Bank | 162. Krishna Grameena Bank |
| 112. Damoh-Panna-Sagar Kshetriya Gramin Bank | 163. Kshetriya Gramin Bank |
| 113. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank | 164. Kshetriya Kisan Gramin Bank |
| 114. Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank | 165. Kutch Gramin Bank |
| 115. Dhenkanal Gramya Bank | 166. Lakhimi Gaonlia Bank |
| 116. Dungarpur-Banaswara Kshetriya Gramin Bank | 167. Langpi Dehangi Rural Bank |
| 117. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank | 168. Madhubani Kshetriya Gramin Bank |
| 118. Ellaquai Dehati Bank | 169. Magadh Gramin Bank |
| 119. Etah Gramin Bank | 170. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank |
| 120. Etawah Kshetriya Gramin Bank | 171. Malaprabha Grameena Bank |
| 121. Faizabad Kshetriya Gramin Bank | 172. Mallabhum Gramin Bank |
| 122. Faridkot-Bathinda Kshetriya Gramin Bank | 173. Malwa Gramin Bank |
| 123. Farrukhabad Gramin Bank | 174. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank |
| 124. Fatehpur Kshetriya Gramin Bank | 175. Manipur Rural Bank |
| 125. Ganga Yamuna Gramin Bank | 176. Manjira Grameena Bank |
| 126. Gaur Gramin Bank | 177. Marathwada Gramin Bank |
| 127. Giridih Kshetriya Gramin Bank | 178. Marudhar Kshetriya Gramin Bank |
| 128. Godavari Grameena Bank | 179. Marwar Gramin Bank |
| 129. Golconda Grameena Bank | 180. Mayurakshi Gramin Bank |
| 130. Gomati Gramin Bank | 181. Mewar Anchalik Gramin Bank |
| 131. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank | 182. Mithila Kshetriya Gramin Bank |
| 132. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank | 183. Mizoram Rural Bank |
| 133. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank | 184. Monghyr Kshetriya Gramin Bank |
| 134. Gurgaon Gramin Bank | 185. Murshidabad Gramin Bank |
| | 186. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank |

ANNEXURE — VI (Contd.)

- | | |
|---|---|
| 187. Nadia Gramin Bank | 239. Sri Kanaka Durga Grameena Bank |
| 188. Nagaland Rural Bank | 240. Shri Rama Grameena Bank |
| 189. Nagarjuna Grameena Bank | 241. Shri Saraswathi Grameena Bank |
| 190. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank | 242. Shri Sathavahana Grameena Bank |
| 191. Nalanda Gramin Bank | 243. Sri Visakha Gramin Bank |
| 192. Netravati Grameena Bank | 244. Subansiri Gaonlia Bank |
| 193. Nimar Kshetriya Gramin Bank | 245. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 194. North Malabar Gramin Bank | 246. Surat Bharuch Gramin Bank |
| 195. Palamau Kshetriya Gramin Bank | 247. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank |
| 196. Panchamahar Gramin Bank | 248. Surguja Kshetriya Gramin Bank |
| 197. Parvatiya Gramin Bank | 249. Thane Gramin Bank |
| 198. Pandyan Grama Bank | 250. Thar Anchalik Gramin Bank |
| 199. Patliputra Gramin Bank | 251. Tripura Gramin Bank |
| 200. Pinakini Grameena Bank | 252. Tulsi Gramin Bank |
| 201. Pithoragarh Kshetriya Gramin Bank | 253. Tungabhadra Gramin Bank |
| 202. Pragjyotish Gaonlia Bank | 254. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank |
| 203. Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank | 255. Vaishali Kshetriya Gramin Bank |
| 204. Prathama Bank | 256. Vallalur Grama Bank |
| 205. Puri Gramya Bank | 257. Valsad Dangs Gramin Bank |
| 206. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank | 258. Varada Grameena Bank |
| 207. Raigarh Kshetriya Gramin Bank | 259. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank |
| 208. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank | 260. Vidur Gramin Bank |
| 209. Ranchi Kshetriya Gramin Bank | 261. Vindhyavaslni Gramin Bank |
| 210. Rani Lakshmi Bai Kshetriya Gramin Bank | 262. Visveshvaraya Grameena Bank |
| 211. Ratlam Mandasaur Kshetriya Gramin Bank | 263. Yavatmal Gramin Bank |
| 212. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank | |
| 213. Rayalaseema Grameena Bank | |
| 214. Rewa Sidhi Gramin Bank | |
| 215. Rushikulya Gramya Bank | |
| 216. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank | |
| 217. Sagar Gramin Bank | |
| 218. Sahyadri Gramin Bank | |
| 219. Samastipur Kshetriya Gramin Bank | |
| 220. Samyut Kshetriya Gramin Bank | |
| 221. Sangameshwara Grameena Bank | |
| 222. Santhal Pargana Gramin Bank | |
| 223. Saran Kshetriya Gramin Bank | |
| 224. Saryu Gramin Bank | |
| 225. Sharda Gramin Bank | |
| 226. Shahdol Kshetriya Gramin Bank | |
| 227. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank | |
| 228. Shekhavati Gramin Bank | |
| 229. Shivalik Kshetriya Gramin Bank | |
| 230. Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank | |
| 231. Shri Venkateswara Grameena Bank | |
| 232. Singbhum Kshetriya Gramin Bank | |
| 233. Siwan Kshetriya Gramin Bank | |
| 234. Solapur Gramin Bank | |
| 235. South Malabar Gramin Bank | |
| 236. Sravasthi Grameena Bank | |
| 237. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank | |
| 238. Sree Anantha Grameena Bank | |

II SMALL LOANS (FINANCIAL CORPORATIONS) GUARANTEE SCHEME, 1971

1. Andhra Pradesh State Financial Corporation
2. Assam Financial Corporation
3. Bihar State Financial Corporation
4. Delhi Financial Corporation
5. Gujarat State Financial Corporation
6. Haryana Financial Corporation
7. Himachal Pradesh Financial Corporation
8. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
9. Karnataka State Financial Corporation
10. Kerala Financial Corporation
11. Madhya Pradesh Financial Corporation
12. Maharashtra State Financial Corporation
13. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
14. Orissa State Financial Corporation
15. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
16. Punjab Financial Corporation
17. Rajasthan Financial Corporation
18. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
19. Uttar Pradesh Financial Corporation
20. West Bengal Financial Corporation

ANNEXURE — VI (Contd.)

**III. SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETIES
GUARANTEE SCHEME, 1971**

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Central Bank of India
15. Corporation Bank
16. Dena Bank
17. Indian Bank
18. Indian Overseas Bank
19. New Bank of India
20. Oriental Bank of Commerce
21. Punjab National Bank
22. Punjab & Sind Bank
23. Syndicate Bank
24. Union Bank of India
25. United Bank of India
26. UCO Bank
27. Vijaya Bank

Foreign Banks

28. American Express Bank Ltd.
29. Bank of America National Trust & Savings Association.
30. British Bank of the Middle East
31. Citibank N.A.
32. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

33. Bank of Karad Ltd.
34. Bank of Madura Ltd.
35. Bank of Rajasthan Ltd.
36. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
37. Benares State Bank Ltd.

38. Bharat Overseas Bank Ltd.
39. Catholic Syrian Bank Ltd.
40. Federal Bank Ltd.
41. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
42. Karnataka Bank Ltd.
43. Karur Vysya Bank Ltd.
44. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
45. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
46. Lord Krishna Bank Ltd.
47. Nedungadi Bank Ltd.
48. Purbanchal Bank Ltd.
49. Ratnakar Bank Ltd.
50. Sangli Bank Ltd.
51. South Indian Bank Ltd.
52. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
53. United Western Bank Ltd.

Regional Rural Banks

54. Adhyanaman Grama Bank
55. Akola Gramin Bank
56. Aligarh Gramin Bank
57. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
58. Aravali Kshetriya Gramin Bank
59. Aurangabad - Jalna Gramin Bank
60. Basti Gramin Bank
61. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
62. Bhandara Gramin Bank
63. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank
64. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
65. Bijapur Grameena Bank
66. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
67. Bolangir Anchalik Gramya Bank
68. Buldhana Gramin Bank
69. Cachar Gramin Bank
70. Cauvery Grameena Bank
71. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
72. Cuttack Gramya Bank
73. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
74. Ganga Yamuna Gramin Bank
75. Giridih Kshetriya Gramin Bank
76. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
77. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
78. Gurgaon Gramin Bank
79. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
80. Haryana Kshetriya Gramin Bank
81. Himachal Gramin Bank
82. Hindon Gramin Bank
83. Howrah Gramin Bank
84. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
85. Jamnagar Gramin Bank

ANNEXURE — VI (Contd.)

86. Jamuna Gramin Bank
87. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
88. Kakathiya Grameena Bank
89. Kalpatharu Grameena Bank
90. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
91. Kapurthala - Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
92. Kosi Kshetriya Gramin Bank
93. Koraput Panchabati Gramya Bank
94. Kshetriya Gramin Bank
95. Lakhimi Gaonlia Bank
96. Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank
97. Manipur Rural Bank
98. Marathwada Gramin Bank
99. Mayurakshi Gramin Bank
100. Mewar Anchalik Gramin Bank
101. Mithila Kshetriya Gramin Bank
102. Mizoram Rural Bank
103. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
104. Nagarjuna Grameena Bank
105. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
106. Nalanda Gramin Bank
107. North Malabar Grameena Bank
108. Palamau Kshetriya Gramin Bank
109. Panchmahal Gramin Bank
110. Pandyan Grama Bank
111. Pragjyotish Gaonlia Bank
112. Puri Gramya Bank
113. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
114. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
115. Rayalaseema Grameena Bank
116. Rushikulya Gramya Bank
117. Sabarkantha-Gandhinagar Gramin Bank
118. Samasthipur Kshetriya Gramin Bank
119. Sangameshwara Grameena Bank
120. Saryu Gramin Bank
121. Shri Venkateswara Grameena Bank
122. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
123. Siwan Kshetriya Gramin Bank
124. Solapur Gramin Bank
125. Sree Anantha Grameena Bank
126. Sri Saraswathi Grameena Bank
127. Sri Sathavahana Grameena Bank
128. Surendranagar-Bhavnagar Gramin Bank
129. Surguja Kshetriya Gramin Bank
130. Thar Anchalik Gramin Bank
131. Tungabhadra Gramin Bank
132. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
133. Vallalur Grama Bank
134. Valsad Dangs Gramin Bank
135. Varada Grameena Bank
136. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank
137. Visveshvaraya Grameena Bank

Co-operative Banks

Andhra Pradesh

138. Adilabad Jila Kendra Sahakari Bank Ltd.
139. Bhongir Co-operative Central Bank Ltd.
140. Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd.
141. Co-operative Central Bank Ltd., Nellore
142. Co-operative Central Bank Ltd., Vizianagaram
143. Khammam District Co-operative Central Bank
144. Kurnool District Co-operative Central Bank Ltd.

Gujarat

145. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
146. Kaira District Central Co-operative Bank Ltd.
147. Panchmahals District Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

148. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.
149. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

150. District Co-operative Central Bank Ltd., Bidar.
151. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.

Kerala

152. Kozikode District Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

153. Bastar Central Co-operative Bank Ltd.
154. Bishnudatta Co-operative Central Bank Ltd.
155. Gwalior District Co-operative Central Bank Ltd.
156. Mandla District Co-operative Central Bank Ltd.
157. Raigarh Co-operative Central Bank Ltd.
158. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.
159. Shujalpur Central Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

160. Ahmednagar District Co-operative Bank Ltd.
161. Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.
162. Bhir District Central Co-operative Bank Ltd.
163. Buldhana District Central Co-operative Bank Ltd.
164. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
165. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
166. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
167. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
168. Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
169. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE — VI (Contd.)

Orissa

170. Sambalpur District Co-operative Bank Ltd.

Rajasthan

171. Barmer Central Co-operative Bank Ltd.
172. Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd.
173. Chittorgarh Kendriya Sahakari Bank Ltd.

Tamil Nadu

174. Tirunelveli Central Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

175. Roorkee Co-operative Bank Ltd.

**IV SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS)
GUARANTEE SCHEME, 1984**

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Charminar Co-operative Urban Bank Ltd.
3. Vasavi Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

4. Ankaleshwar Nagari Sahakari Bank Ltd.
5. Bavla Nagari Sahakari Bank Ltd.
6. Bharuch Nagari Sahakari Bank Ltd.
7. Commercial Co-operative Bank Ltd.
8. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
9. Nutan Nagari Sahakari Bank Ltd.
10. Porbandar Vibhagiya Nagari Sahakari Bank Ltd.
11. Shri Deesa Nagari Sahakari Bank Ltd.
12. Textile Traders' Co-operative Bank Ltd.
13. Veraval Mercantile Co-operative Bank Ltd.
14. Sardarganj Mercantile Co-operative Bank Ltd.
15. Sarvodaya Commercial Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

16. City Co-operative Bank Ltd.
17. Grain Merchants' Co-operative Bank Ltd.
18. Janatha Co-operative Bank Ltd.
19. National Co-operative Bank Ltd.
20. Shri Vijay Mahantesh Co-operative Bank Ltd.
21. Shri Gurusiddheshwara Co-operative Bank Ltd.
22. Navodaya Sahakari Bank Ltd.
23. Sree Subramanyeshwara Co-operative Bank Ltd.

Kerala

24. Kasaragod Co-operative Town Bank Ltd.
25. Koduvayur Co-operative Urban Bank Ltd.

26. Manjeri Co-operative Urban Bank Ltd.
27. Perintalmanna Co-operative Bank Ltd.
28. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.
29. Sultan's Battery Co-operative Urban Bank Ltd.

Maharashtra

30. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
31. Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd.
32. Cosmos Co-operative Bank Ltd.
33. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
34. Ichalkaranji Urban Co-operative Bank Ltd.
35. Jai Hind Co-operative Bank Ltd.
36. Kalwa-Belapur Sahakari Bank Ltd.
37. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd.
38. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
39. Nav-Jeevan Co-operative Bank Ltd.
40. New India Co-operative Bank Ltd.
41. North Kanara G.S.B. Co-operative Bank Ltd.
42. Pratap Co-operative Bank Ltd.
43. Rupee Co-operative Bank Ltd.
44. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
45. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
46. Thane People's Co-operative Bank Ltd.
47. Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd.
48. Yeshwant Sahakari Bank Ltd.

Tamil Nadu

49. Ambasamudram Co-operative Urban Bank Ltd.
50. Arantangi Co-operative Town Bank Ltd.
51. Ariyalur Co-operative Urban Bank Ltd.
52. Arkonam Co-operative Urban Bank Ltd.
53. Arni Co-operative Town Bank Ltd.
54. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
55. B. Komarapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
56. Bhavanikudal Co-operative Urban Bank Ltd.
57. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
58. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
59. Chennimalai Co-operative Urban Bank Ltd.
60. Dindigul Urban Co-operative Bank Ltd.
61. George Town Co-operative Bank Ltd.
62. Kallidaikuruchi Co-operative Urban Bank Ltd.
63. Karur Town Co-operative Bank Ltd.
64. Kovilpatti Co-operative Bank Ltd.
65. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
66. Mayuram Co-operative Urban Bank Ltd.
67. Mukkuperi Co-operative Bank Ltd.
68. Pattukkottai Co-operative Urban Bank Ltd.
69. Pudukkottai Co-operative Bank Ltd.
70. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd.
71. Prakasapuram Co-operative Urban Bank Ltd.

ANNEXURE — VI (Contd.)

- 72. Sirkali Co-operative Urban Bank Ltd.
- 73. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
- 74. Srivilliputtur Co-operative Urban Bank Ltd.
- 75. Sri Kamalambika Co-operative Urban Bank Ltd.
- 76. Sri Lakshminarayana Co-operative Urban Bank Ltd.
- 77. Thyagarayangar Co-operative Bank Ltd.
- 78. Tiruchirapalli City Co-operative Bank Ltd.
- 79. Tirumangalam Co-operative Urban Bank Ltd.
- 80. Tuticorin Melur Co-operative Bank Ltd.
- 81. Uthamapalayam Co-operative Urban Bank Ltd.

Uttar Pradesh

- 82. Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.

- 83. United Mercantile Co-operative Bank Ltd.
- 84. Ghazipur Urban Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

- 85. Citizens Co-operative Bank Ltd.
- 86. Urban Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

- 87. Nagarik Sahakari Bank Ltd.
- 88. Sehore Nagarik Sahakari Bank Ltd.
- 89. Ujjain Paraspar Sahakari Bank Ltd.

ANNEXURE — VI (Concluded)

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES FOR SMALL BORROWERS AS ON 31 MARCH 1990

Name of the guarantee scheme	Total number of participants as on 31 March 1989				Credit institutions joined (+)/withdrawn (-)/ceased (-) during the period April 1989-March 1990				Total number of participants as on 31 March 1990			
	Commercial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total	Commercial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Net position	Commercial Banks	RRBs	Co-op. Banks	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	71	196	—	267	(-)*4	—	—	(-)*4	67	196	—	263
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971£	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	20
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	56	84	38	178	(-)*3**	—	—	(-)*3	53	84	38	175
4. Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982@	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	86	86	—	—	(+)*3	(+)*3	—	—	89	89

£ Only State Financial Corporations are eligible for participating in the Scheme.

@ The credit institutions eligible for participation in the Scheme are Primary Agricultural Credit Societies and Primary Land Development Banks/Branches of State Land Development Banks. So far, no such credit institution has joined the Scheme.

* Reduced on account of amalgamation of the following banks.

Name of the Bank	With whom amalgamated	Date of amalgamation
1. United Industrial Bank Ltd.	Allahabad Bank	31 Oct. 1989
2. Bank of Tamilnad Ltd.	Indian Overseas Bank	20 Feb. 1990
3. Bank of Thanjavur Ltd.	Indian Bank	— do —
4. Parur Central Bank Ltd.	Bank of India	— do —

The following banks participating in the Corporation's guarantee schemes have been placed under the orders of moratorium:

Name of the Bank	Scheme
1. Purbanchal Bank Ltd.	Small Loans Guarantee Scheme, 1971
2. Vartaknagar Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd.	Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

ANNEXURE - VII

SECTOR-WISE DISTRIBUTION OF GUARANTEED ADVANCES UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES

(Amount in crores of rupees)

Scheme/Category of borrowers	As at the end of year										% to the total of March 1989 in Col. (12)	
	1972	1978	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) ₹	(13)
SMALL BORROWERS												
(A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR												
I. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	205.71	1,706.29	3,546.24	4,819.77	5,736.44	7,045.38	8,842.29	10,345.10	10,998.22	14,145.67	25,562.66	99.91
(i) Farmers & Agriculturists	134.67	1,057.04	2,267.52	3,041.59	3,594.84	4,181.98	5,057.75	6,020.34	6,428.29	8,504.48	10,542.04	41.20
(ii) Transport Operators	28.29	282.66	477.56	731.31	937.68	1,239.58	1,510.21	1,606.00	1,664.73	1,665.58		
(iii) Retail Traders	28.34	178.92	398.86	511.83	574.80	709.84	972.45	1,181.85	1,257.99	1,795.38		
(iv) Professional & Self-employed persons	9.14	87.96	165.66	199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	700.15	964.99	14,519.56	56.75
(v) Business Enterprises	5.27	68.07	150.08	209.70	239.62	322.51	473.42	609.51	694.64	923.18		
(vi) Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	31.64	86.56	126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	252.42	292.06	501.06	1.96
II. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	2.56	8.66	10.89	18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	92.28	108.68	2.70	0.01
(i) Transport Operators	2.35	7.97	10.33	18.35	35.40	52.28	68.93	84.88	91.97	108.36	2.70	0.01
(ii) Business Enterprises	0.21	0.69	0.56	0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	0.31	0.32	—	—
III. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	0.12	0.22	1.32	1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.72	1.84	0.20	—
IV. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	—	—	5.89*	10.76	14.86	25.00	35.19	20.70	0.08
(i) Transport Operators	—	—	—	—	—	1.84	3.63	5.49	8.54	13.31		
(ii) Retail Traders	—	—	—	—	—	2.64	4.51	5.53	7.67	8.51		
(iii) Professional & Self-employed persons	—	—	—	—	—	1.05	1.55	1.87	4.08	6.74	20.70	0.08
(iv) Business Enterprises	—	—	—	—	—	0.16	1.07	2.07	4.71	6.63		
TOTAL of I, II, III & IV	208.39	1,715.17	3,558.45	4,839.88	5,773.83	7,104.25	8,923.01	10,445.97	11,116.22	14,291.38	25,586.26	100.00
SSI BORROWERS												
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR												
V. Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	—	—	3,716.43 [Ⓐ]	3,822.13	4,153.73	4,890.86	5,843.69	7,497.46	7,738.03	10,464.66	14,094.00	
All SSI Units including cottage Industries etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Grant Total (A) + (B)	208.39	1,715.17	7,274.88	8,662.01	9,927.56	11,995.11	14,766.70	17,943.43	18,854.25	24,756.04	39,680.26	

Ⓐ As on 31 March 1981

* As on 31 December 1984

† Due to non-receipt of statements from several participating credit institutions the figures furnished in these columns have been estimated on the basis of (i) actual receipt of remittances towards guarantee fee during the year 1989-90 (ii) priority sector advances port-folio of Public Sector Banks, as reported to Reserve Bank of India.

‡ The sector-wise break-up of guaranteed advances is not available.

ANNEXURE — VIII

SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL BORROWERS

Sr. No.	Category of borrowers	Total claims received upto 31 March 1989		claims received during 1989-90		% to total amount in column (6)	Total		% to total amount in column (9)
		Number	Amount	Number	Amount		Number (3+5)	Amount (4+6)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	Farmers & Agriculturists	23,89,151	543.75	7,72,935	182.81	51.39	31,62,086	726.56	51.78
II	Transport Operators	1,94,876	157.01	52,747	33.10	9.30	2,47,623	190.11	13.55
III	Retail Traders	7,89,885	192.39	2,98,583	78.37	22.03	10,88,468	278.76	19.29
IV	Professional and Self-employed persons	4,04,449	70.76	1,37,434	29.12	8.19	5,41,883	99.88	7.12
V	Business Enterprises	2,18,656	44.82	96,088	19.44	5.46	3,14,744	64.25	4.58
VI	Residual category of borrowers under the DRI Scheme	5,06,744	37.77	1,44,110	12.70	3.57	6,50,854	50.47	3.60
VII	Credit facilities for consumption and for purchase or construction of house-or tenement	5,354	0.88	1,452	0.21	0.06	6,806	1.09	0.08
Total:		45,09,115	1047.37	15,03,349	355.75	100.00	60,12,464	1403.12	100.00

ANNEXURE — IX

**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S CREDIT
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS**

(Amount in crores of rupees)

Period	Claims received				Claims disposed of				Of the Claims disposed of vide Columns 4 & 5				Claims pending at the end of the year								
	(1)	No.	Amount	(3)	(4)	No.	Amount	(5)	Claims paid		Claims withdrawn		Claims rejected		(12)	(13)					
									No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount			No.	Amount			
Upto end of 1977	21,638		6.70		12,410		3.30		11,606		2.94		423		0.13		381		0.23		
During 1978	29,925		8.76		14,623		3.34		13,825		3.03		407		0.07		391		0.24		
During 1979	39,535		11.30		25,739		6.95		23,930		5.69		1,054		0.41		755		0.85		
During 1980	83,557		14.90		47,481		7.20		45,303		6.50		214		0.08		1,964		0.62		
During 1981	1,00,669		16.25		74,030		11.14		72,216		9.08		582		0.28		1,232		1.77		
During 1982	1,50,926		24.71		1,05,513		14.50		1,02,141		12.49		1,369		0.59		2,003		1.43		
During 1983	1,47,474		27.84		1,27,714		19.64		1,23,202		17.94		1,643		0.52		2,869		1.18		
During 1984	2,54,692		61.71		2,36,625		32.09		2,28,419		30.99		741		0.22		7,465		0.88		
During 1985	4,53,722		114.91		4,66,611		114.45		3,36,663		71.80		1,19,770		41.97		10,178		0.68		
During 1986	6,30,365		140.94		6,44,090		176.39		4,84,852		86.86		1,47,419		87.18		11,819		2.35		
During 1987	10,71,221		255.27		7,67,080		148.41		7,42,061		141.92		25		0.07		24,994		6.42		
During 1988-89 (15 months)	15,28,391		364.07		12,90,945		280.61		12,60,266		272.29		515		0.11		30,164		8.21		
Sub Total 'A'	45,09,115		1,047.37		3,12,861		818.02		34,44,484		661.53		2,74,162		131.63		94,215		24.86		
During 1989-90																					
i) New Format (NI-1)	15,03,088		354.87		15,98,622		346.40		15,72,258		338.52		1,201		0.26		25,163		7.62		
ii) S.L. (F.C.) G.S., 1971	108		0.82		27		0.14		9		0.03		8		0.04		10		0.07		
iii) S.L. (Co-op. Banks) G.S. 1984	153		0.06		142		0.04		122		0.03		—		—		20		0.01		
Sub Total 'B' (i + ii + iii)	15,03,349		355.75		15,98,791		346.58		15,72,389		338.58		1,209		0.30		25,193		7.70		
Grand Total: (A + B) (1971 to March 1990)	60,12,464		1,403.12		54,11,652		1,164.60		50,16,873		1,000.11		2,75,371		131.93		1,19,408		32.56	6,00,812	238.52
Break-up of pending claims																					
1. To be processed																					
															Number	Amount					
															2,82,174	72.29					
2. Processed and to be settled for want of clarification																					
															3,18,638	166.23					
															6,00,812	238.52					

ANNEXURE - X

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE SMALL LOANS (SMALL SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 MARCH 1990

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. Indian Bank
11. Indian Overseas Bank
12. New Bank of India
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab National Bank
15. Punjab & Sind Bank
16. Syndicate Bank
17. Union Bank of India
18. United Bank of India
19. UCO Bank
20. Vijaya Bank

Foreign Banks

1. Abu Dhabi Commercial Bank Limited
2. Algemene Bank Nederland N.V.
3. American Express Bank Limited
4. Bank of America National Trust and Savings Association
5. Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C.
6. Bank of Tokyo Limited
7. Banque Nationale De Paris
8. British Bank of the Middle East
9. Citibank N.A.
10. ANZ Grindlays Bank P.I.C.
11. Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
12. Mitsui Bank Limited

Other Indian Scheduled Commercial Banks

1. Bank of Madura Limited
2. Bank of Rajasthan Limited
3. Benares State Bank Limited
4. Bareilly Corporation Bank Limited
5. Bharat Overseas Bank Limited
6. Catholic Syrian Bank Limited
7. Dhanalakshmi Bank Limited
8. Federal Bank Limited
9. Jammu & Kashmir Bank Limited
10. Karnataka Bank Limited
11. Karur Vysya Bank Limited
12. Kumbakonam City Union Bank Limited
13. Lakshmi Vilas Bank Limited
14. Lord Krishna Bank Limited
15. Nainital Bank Limited
16. Nedungadi Bank Limited
17. Punjab Co-operative Bank Limited
18. Purbanchal Bank Limited
19. Ratnakar Bank Limited
20. Sangli Bank Limited
21. South Indian Bank Limited
22. Tamilnad Mercantile Bank Limited
23. United Western Bank Limited
24. Vysya Bank Limited

Non-Scheduled Commercial Banks

1. Kashi Nath Seth Bank Limited

Regional Rural Banks

1. Adhyanan Grama Bank
2. Akola Gramin Bank
3. Alaknanda Gramin Bank
4. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank
5. Aligarh Gramin Bank
6. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
7. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
8. Aravali Kshetriya Gramin Bank
9. Aurangabad Jalna Gramin Bank
10. Baitarani Gramya Bank
11. Balasore Gramya Bank
12. Barabanki Gramin Bank
13. Bardhaman Gramin Bank
14. Bareilly Kshetriya Gramin Bank
15. Bastar Kshetriya Gramin Bank
16. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
17. Bhagalpur Banka Kshetriya Gramin Bank

ANNEXURE—X (Contd.)

- | | |
|--|--|
| 18. Bhandara Gramin Bank | 70. Kanakdurga Grameena Bank |
| 19. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank | 71. Kanpur Kshetriya Gramin Bank |
| 20. Bhojpur Rohtas Gramin Bank | 72. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank |
| 21. Bijapur Grameena Bank | 73. Kashi Gramin Bank |
| 22. Bikaner Kshetriya Gramin Bank | 74. Khasi Jaintia Rural Bank |
| 23. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank | 75. Kisan Gramin Bank |
| 24. Bolangir Anchalik Gramya Bank | 76. Kolar Gramin Bank |
| 25. Buldhana Gramin Bank | 77. Koraput Panchabati Gramya Bank |
| 26. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank | 78. Kosi Kshetriya Gramin Bank |
| 27. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank | 79. Krishna Grameena Bank |
| 28. Cachar Gramin Bank | 80. Kshetriya Gramin Bank Hoshangabad |
| 29. Cauvery Grameena Bank | 81. Kutch Gramin Bank |
| 30. Chaitanya Grameena Bank | 82. Lakhimi Gaonlia Bank |
| 31. Chambal Kshetriya Gramin Bank | 83. Langpi Dehangi Rural Bank |
| 32. Chhatrasal Gramin Bank | 84. Magadh Gramin Bank |
| 33. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank | 85. Malaprabha Grameena Bank |
| 34. Chickmagalur Kodagu Grameena Bank | 86. Mallabhum Gramin Bank |
| 35. Chitradurga Gramin Bank | 87. Malwa Gramin Bank |
| 36. Cuttack Gramya Bank | 88. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank |
| 37. Damoh-Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank | 89. Manipur Rural Bank |
| 38. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank | 90. Manjira Grameena Bank |
| 39. Dewas Shajapur Kshetriya Gramin Bank | 91. Marathwada Gramin Bank |
| 40. Dhenkanal Gramya Bank | 92. Marwar Gramin Bank |
| 41. Dungarpur Banswara Kshetriya Gramin Bank | 93. Marudhar Kshetriya Gramin Bank |
| 42. Durg Rajnandgaon Gramin Bank | 94. Mayurakshi Gramin Bank |
| 43. Ellaquai Dehati Bank | 95. Mewar Anchalik Gramin Bank |
| 44. Etah Gramin Bank | 96. Mithila Kshetriya Gramin Bank |
| 45. Faridkot Bhatinda Kshetriya Gramin Bank | 97. Mizoram Rural Bank |
| 46. Faizabad Kshetriya Gramin Bank | 98. Monghyr Kshetriya Gramin Bank |
| 47. Farrukhabad Gramin Bank | 99. Murshidabad Gramin Bank |
| 48. Gaur Gramin Bank | 100. Nadia Gramin Bank |
| 49. Godavari Grameena Bank | 101. Nagaland Rural bank |
| 50. Golconda Grameena Bank | 102. Nagarjuna Grameena Bank |
| 51. Gomati Gramin Bank | 103. Nainital Almora Kshetriya Gramin Bank |
| 52. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank | 104. Nalanda Gramin Bank |
| 53. Gurgaon Gramin Bank | 105. Netravati Grameena Bank |
| 54. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank | 106. Nimar Kshetriya Gramin Bank |
| 55. Haryana Kshetriya Gramin Bank | 107. North Malabar Gramin Bank |
| 56. Hazaribagh Kshetriya Gramin Bank | 108. Palamau Kshetriya Gramin Bank |
| 57. Himachal Gramin Bank | 109. Panchmahal Gramin Bank |
| 58. Hissar Sirsa Kshetriya Gramin Bank | 110. Pandyan Grama Bank |
| 59. Howrah Gramin Bank | 111. Paravatiya Gramin Bank |
| 60. Indore Ujjain Kshetriya Gramin Bank | 112. Patliputra Gramin Bank |
| 61. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank | 113. Pithoragarph Kshetriya Gramin Bank |
| 62. Jamnagar Rajkor Gramin Bank | 114. Pragjyotish Gaonlia Bank |
| 63. Jamuna Gramin Bank | 115. Prathama Bank |
| 64. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank | 116. Puri Gramya Bank |
| 65. Junagadh Amreli Gramin Bank | 117. Raigarh Kshetriya Gramin Bank |
| 66. Kakathiya Grameena Bank | 118. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank |
| 67. Kalahandi Anchalik Gramya Bank | 119. Ranchi Kshetriya Gramin Bank |
| 68. Kalpatharu Grameena Bank | 120. Rani Lakshmbai Kshetriya Gramin Bank |
| 69. Kamraz Rural Bank | 121. Ratlam - Mandsaur Kshetriya Gramin Bank |

ANNEXURE—X (Contd.)

122. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
123. Rayalaseema Grameena Bank
124. Rewa Sidhi Gramin Bank
125. Rushikulya Gramya Bank
126. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
127. Sagar Gramin Bank
128. Sahyadri Gramin Bank
129. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
130. Samyut Kshetriya Gramin Bank
131. Sangameshwara Grameena Bank
132. Santhal Paraganas Gramin Bank
133. Saryu Gramin Bank
134. Sharda Gramin Bank
135. Shekhavati Gramin Bank
136. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
137. Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank
138. Siwan Kshetriya Gramin Bank
139. Solapur Gramin Bank
140. South Malbar Gramin Bank
141. Sravasthi Gramin Bank
142. Sree Anantha Grameena Bank
143. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
144. Sri Rama Grameena Bank
145. Sri Saraswathi Grameena Bank
146. Sri Sathavahana Grameena Bank
147. Sri Venkateswara Grameena Bank
148. Sri Visakha Grameena Bank
149. Subansiri Gaonlia Bank
150. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
151. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
152. Surguja Kshetriya Gramin Bank
153. Thane Gramin Bank
154. Thar Anchalik Gramin Bank
155. Tripura Gramin Bank
156. Tulsi Gramin Bank
157. Tungabhadra Gramin Bank
158. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
159. Valsad Dangs Gramin Bank
160. Vallar Grama Bank
161. Varada Grameena Bank
162. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
163. Vindhyaasini Gramin Bank
164. Visveshwaraya Grameena Bank
165. Yavatmal Gramin Bank

State Financial Corporations

1. Bihar State Financial Corporation
2. Delhi Financial Corporation
3. Gujarat State Financial Corporation
4. Haryana Financial Corporation
5. Himachal Pradesh Financial Corporation
6. Jammu & Kashmir State Financial Corporation

7. Karnataka State Financial Corporation
8. Kerala Financial Corporation
9. Maharashtra State Financial Corporation
10. Orissa State Financial Corporation
11. Punjab Financial Corporation
12. Rajasthan Financial Corporation
13. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.,
14. West Bengal Financial Corporation

Other Term Lending Institutions

1. Arunachal Pradesh Industrial Development and Financial Corporation Ltd.
2. Economic Development Corporation of Goa, Daman & Diu Ltd.
3. Manipur Industrial Development Corporation Ltd.
4. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
5. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.
6. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
7. Sikkim Industrial Development and Investment Corporation Ltd.
8. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

Co-operative Banks

State Co-operative Banks

1. Andhra Pradesh State Co-op. Bank Ltd.
2. Gujarat State Co-op. Bank Ltd.
3. Kerala State Co-op. Bank Ltd.
4. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit
5. Maharashtra State Co-op. Bank Ltd.
6. Pondicherry State Co-op. Bank Ltd.

Central Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Chittoor Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
2. District Co-op. Central Bank Ltd., Mahabubnagar
3. Guntur Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
4. Hyderabad Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
5. Prakasam Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
6. Nellore Dist. Co-op. Central Bank Ltd.

Bihar

1. Dhanbad Central Co-op. Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad Dist. Co-op. Bank Ltd.
2. Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank Ltd.
3. Banaskantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

ANNEXURE—X (Contd.)

4. Gujarat Industrial Co-op. Bank Ltd.
5. Jamnagar Dist. Co-op. Bank Ltd.
6. Junagadh Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
7. Kachchh Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
8. Kodinar Taluka Co-op. Banking Union Ltd.
9. Panchmahals Dist. Co-op. Bank Ltd.
10. Mehsana Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
11. Sabarkantha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
12. Valsad Zilla Sahakari Bank Ltd.

Haryana

1. Brayne Central Co-op. Bank Ltd.

Himachal Pradesh

1. Kangra Central Co-op. Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Jammu Central Co-op. Bank Ltd.

Karnataka

1. District Co-op. Central Bank Ltd., Bidar.
2. Kanara Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
3. Mysore Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
4. Shimoga Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
5. South Canara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

Kerala

1. Alleppey Dist. Co-op. Bank Ltd.
2. Cannanore Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
3. Ernakulam Dist. Co-op. Bank Ltd.
4. Idukki Dist. Co-op. Bank Ltd.
5. Kasargod Dist. Co-op. Central Bank Ltd.
6. Kottayam Dist. Co-op. Bank Ltd.
7. Malabar Co-op. Central Bank Ltd.
8. Malappuram Dist. Co-op. Bank Ltd.
9. Palghat Co-op. Central Bank Ltd.
10. Pathanamthitta Dist. Co-op. Bank Ltd.
11. Periyar Central Co-op. Bank Ltd.
12. Quilon Dist. Co-op. Bank Ltd.
13. Trichur Dist. Co-op. Bank Ltd.
14. Trivandrum Dist. Co-op. Bank Ltd.
15. Wynad Dist. Co-op. Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. Bhopal Co-operative Central Bank Ltd.
2. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Ambikapur
3. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur
4. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit Chhatarpur
5. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara

6. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Durg
7. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Jabalpur
8. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Kargone
9. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Khandwa
10. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Mandsaur
11. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Panna
12. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Raigarh
13. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Rewa
14. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Ujjain
15. Raipur Co-op. Central Bank Ltd.

Maharashtra

1. Ahmednagar Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
2. Akola Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
3. Amravati Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
4. Aurangabad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
5. Beed Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
6. Bhandara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
7. Bombay Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
8. Buldhana Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
9. Chandrapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
10. Dhule Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
11. Gadchiroli Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
12. Jalgaon Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
13. Kolhapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
14. Latur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
15. Nagpur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
16. Nanded Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
17. Nasik Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
18. Osmanabad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
19. Parbhani Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
20. Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit
21. Raigad Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
22. Ratnagiri Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
23. Sangli Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
24. Satara Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
25. Sholapur Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
26. Sindhudurg Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
27. Solapur Dist. Industrial Co-op. Bank Ltd.
28. Thane Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
29. Wardha Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
30. Yeotmal Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Central Co-op. Bank Ltd. Kumbakonam
2. Coimbatore Central Co-op. Bank Ltd.
3. Dharampuri Central Co-op. Bank Ltd.
4. Kancheepuram Central Co-op. Bank Ltd.
5. Kanyakumari Central Co-op. Bank Ltd.
6. Madras Central Co-op. Bank Ltd.
7. Madurai Dist. Central Co-op. Bank Ltd.

ANNEXURE—X (Contd.)

8. Nilgiris Co-op. Central Bank Ltd.
9. Pudukottai Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
10. Ramnathpuram Dist. Central Co-op. Bank Ltd.
11. Salem Central Co-op. Bank Ltd.
12. South Arcot Central Co-op. Bank Ltd.
13. Thanjavur Central Co-op. Bank Ltd.
14. Tiruchirapalli Central Co-op. Bank Ltd.
15. Tirunelveli Central Co-op. Bank Ltd.
16. Vellore Central Co-op. Bank Ltd.

West Bengal

1. Burdwan Central Co-op. Bank Ltd.

Primary urban Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-op. Urban Bank Ltd.
2. Bhimavaram Co-op. Urban Bank Ltd.
3. Guduwada Co-op. Urban Bank Ltd.
4. Vasavi Co-op. Urban Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Ahmedabad Mercantile Co-op. Bank Ltd.
3. Ahmedabad Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Anand Peoples Co-op. Bank Ltd.
5. Ankleshwar Nagarik Sahakari Bank Ltd.
6. Anyonya Sahayakari Mandli Co-op. Bank Ltd.
7. Banaskantha Mercantile Co-op. Bank Ltd.
8. Bavla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
9. Bharuch Nagarik Sahakari Bank Ltd.
10. Chanasma Commercial Co-op. Bank Ltd.
11. Charotar Nagarik Sahakari Bank Ltd.
12. Citizen Co-op. Bank Ltd. Rajkot
13. Co-operative Bank of Ahmedabad Ltd.
14. Commercial Co-operative Bank Ltd.
15. Dhinoj Nagrik Sahakari Bank Ltd.
16. Dahod Urban Co-operative Bank Ltd.
17. General Co-op. Bank Ltd., Ahmedabad
18. Himatnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.
19. Jhalod Urban Co-op. Bank Ltd.
20. Kalupur Commercial Co-op. Bank Ltd.
21. Kukarwada Nagrik Sahakari Bank Ltd.
22. Madhavpura Mercantile Co-op Bank Ltd.
23. Maneckchowk Co-operative Bank Ltd.
24. Nadiad Mercantile Co-op. Bank Ltd.
25. Natpur Co-operative Bank Ltd.
26. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
27. Nayaka Mercantile Co-op. Bank Ltd.
28. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
29. Patan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
30. Progressive Mercantile Co-op. Bank Ltd.

31. Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.
32. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
33. Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-op. Bank Ltd.
34. Sardargunj Mercantile Co-operative Bank Ltd., Patan.
35. Sarvodaya Commercial Co-op. Bank Ltd.
36. Sarvodaya Sahakari Bank Ltd., Surat.
37. Shree Mahalaxmi Mercantile Co-op. Bank Ltd.
38. Surendranagar People's Co-op. Bank Ltd.
39. Textile Traders Co-op. Bank Ltd.
40. Uma Co-operative Bank Ltd.
41. United Mercantile Co-op. Bank Ltd., Nadiad.
42. Unjha Nagarik Sahakari Bank Ltd.
43. Veraval Mercantile Co-op. Bank Ltd.
44. Veraval People's Co-operative Bank Ltd.
45. Vijay Co-operative Bank Ltd.
46. Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Citizen's Co-op. Bank Ltd., Jammu.
2. Urban Co-op. Bank Ltd., Anantnag.

Karnataka

1. Bijapur Shri Siddheshwar Urban Co-operative Bank Ltd.
2. City Co-op. Bank Ltd., Mysore.
3. Honavar Urban Co-op. Bank Ltd.
4. Karnataka Industrial Co-op. Bank Ltd.
5. Mysore Co-operative Bank Ltd.
6. Navodaya Sahakara Bank Ltd.
7. Sri Kanyakaparneswari Co-op. Bank Ltd.
8. Shri Gurusiddheshwar Co-op. Bank Ltd.
9. Shri Vijaya Mahantesh Co-op. Bank Ltd.
10. Tumkur Veerashaiva Co-op. Bank Ltd.

Kerala

1. Alwaye Urban Co-op. Bank Ltd.
2. Kaduthuruty Urban Co-op. Bank Ltd.
3. Kasargod Co-op. Town Bank Ltd.
4. Meenachil Co-op. Bank Ltd.
5. Palghat Co-op. Urban Bank Ltd.
6. Payangadi Urban Co-operative Bank Ltd.
7. Perintalmanna Co-op. Urban Bank Ltd.
8. Sultan's Battery Co-op. Urban Bank Ltd.
9. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.
10. Trichur Urban Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. Basoda Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Bhilai Nagarik Sahakari Bank Ltd.

ANNEXURE—X (Contd.)

3. Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh
4. Indore Cloth Market Co-op. Bank Ltd.
5. Ujjain Paraspar Sahakari Bank Maryadit.

Maharashtra

1. Abhyudaya Co-operative Bank Ltd.
2. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Alen Co-operative Bank Ltd.
4. Amalner Co-operative Urban Bank Ltd.
5. Apna Sahakari Bank Ltd.
6. Ashirwad Mahila Nagarik Sahakari Bank Ltd.
7. Baramati Urban Co-op. Bank Ltd.
8. Chopda Peoples Urban Co-operative Bank Ltd.
9. Cosmos Co-operative Urban Bank Ltd.
10. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
11. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd.
12. Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Ambarnath.
13. Jalna People's Co-operative Bank Ltd.
14. Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
15. Janata Commercial Co-op. Bank Ltd., Akola.
16. Janata Sahakari Bank Ltd., Nandurbar.
17. Janata Sahakari Bank Ltd., Pune.
18. Karad Janata Sahakari Bank Ltd.
19. Kokan Mercantile Co-op. Bank Ltd.
20. Kolhapur Maratha Co-op. Bank Ltd.
21. Kopergaon Taluka Merchant's Co-op. Bank Ltd.
22. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd.
23. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
24. Memon Co-operative Bank Ltd.
25. Merchants Co-operative Bank Ltd., Dhule.
26. Murgharajendra Sahakari Bank Ltd.
27. Muslim Co-operative Bank Ltd.
28. Nagar Urban Co-operative Bank Ltd.
29. Nagrik Sahakari Bank Ltd., Erandol.
30. Nandura Urban Co-operative Bank Ltd.
31. Nasik Merchants' Co-op Bank Ltd.
32. New India Co-operative Bank Ltd.
33. North Kanara Goud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd.
34. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd., Ichalkaranji.
35. Pachora People's Co-op. Bank Ltd.
36. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
37. Pravara Sahakari Bank Ltd.
38. Punjab & Maharashtra Co-op. Bank Ltd.
39. Raigad Sahakari Bank Ltd.
40. Rendal Sahakari Bank Ltd.
41. Rupee Co-operative Bank Ltd.
42. Sahyadri Sahakari Bank Ltd.
43. Sangamner Merchants Co-op. Bank Ltd.
44. Sangli Janata Sahakari Bank Ltd.
45. Sangli Urban Co-op. Bank Ltd.
46. Saraswat Co-operative Bank Ltd.

47. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
48. Shirpur Merchants' Co-op. Bank Ltd.
49. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
50. Shri Arihant Co-operative Bank Ltd.
51. Shri Mahalaxmi Co-operative Bank Ltd.
52. Shri Shivneri Sahakari Bank Ltd.
53. Sholapur Merchants Co-op. Bank Ltd.
54. Sholapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit.
55. Sholapur Janata Sahakari Bank Ltd.
56. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd.
57. Thane Janata Sahakari Bank Ltd.
58. Thane Peoples Co-operative Bank Ltd.
59. Udyam Vikas Sahakari Bank Ltd.
60. Vadgaon Urban Co-operative Bank Ltd.
61. Vaidyanath Co-operative Urban Bank Ltd.
62. Vita Merchant's Co-op. Bank Ltd.
63. Yashwant Sahakari Bank Ltd.
64. Yavatmal Urban Co-op. Bank Ltd.
65. Pratap Co-operative Bank Ltd.
66. Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd.

Manipur

1. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd.

Pondicherry

1. Pondicherry Co-operative Urban Bank Ltd.

Rajasthan

1. Alwar Urban Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Ammapet Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Arkonam Co-op. Urban Bank Ltd.
3. Arni Co-op. Town Bank Ltd.
4. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
5. Bhupathiraju Co-op Credit Bank Ltd.
6. Big kancheepuram Co-op. Town Bank Ltd.
7. Chintadripet Co-operative Bank Ltd.
8. Coimbatore City Co-op. Bank Ltd.
9. Coonoor Co-op. Urban Bank Ltd.
10. Dharampuri Co-op. Town Bank Ltd.
11. George Town Co-operative Bank Ltd.
12. Karuntattankudi Dravidian Co-op. Bank Ltd.
13. Krishnagiri Urban Co-operative Bank Ltd.
14. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
15. Mannargudi Co-operative Bank Ltd.
16. Mettupalayam Co-op. Urban Bank Ltd.
17. Namakkal Co-operative Urban Bank Ltd.
18. Nazareth Co-operative Bank Ltd.
19. Palani Co-operative Urban Bank Ltd.

ANNEXURE—X (Contd.)

20. Paramkudi Co-op. Urban Bank Ltd.
 21. Pattukottai Co-op. Urban Bank Ltd.
 22. Pollachi Co-operative Urban Bank Ltd.
 23. Purasawalkam Co-op. Bank Ltd.
 24. Rasipuram Co-operative Town Bank Ltd.
 25. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
 26. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
 27. Shevapet Urban Co-operative Bank Ltd.
 28. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
 29. Srivilliputtur Co-op. Urban Bank Ltd.
 30. Subramanianagar Co-op. Urban Bank Ltd.
 31. Thyagarayanagar Co-op. Bank Ltd.
 32. Tinnevely Junction Co-op. Bank Ltd.
 33. Tirukoilur Co-operative Urban Bank Ltd.
 34. Tirumangalam Co-op. Urban Bank Ltd.
 35. Tirupattur Town Co-operative Bank Ltd.
 36. Tiruppur Co-op. Urban Bank Ltd.
 37. Tiruchirapalli City Co-op. Bank Ltd.
 38. Tiruchirapalli Hirudayapuram Co-op. Bank Ltd.
 39. Tiruvannamalai Co-op. Urban Bank Ltd.
 40. Vaniyambadi Town Co-operative Bank Ltd.
 41. Villupuram Co-op. Urban Bank Ltd.
 42. Viravanallur Co-op. Urban Bank Ltd.
- Uttar Pradesh**
1. Bijnor Urban Co-op. Bank Ltd.
 2. United Mercantile Co-op. Bank Ltd., Kanpur.
- West Bengal**
1. Contai Co-operative Bank Ltd.

ANNEXURE — X (Concluded)

CATEGORY-WISE POSITION OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S SMALL LOANS (SSI) GUARANTEE SCHEME, 1981 AS ON 31 MARCH 1990

(1) Category of credit institution	(2) Credit institutions participating in the Government's Credit Corporation's Small Loans Scheme (SSI) for SSI (since cancelled) as on 31 March 1981	(3) Credit institutions participating in the Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 during 1989-90	(4) Credit institutions which have joined the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 during 1989-90	(5) Credit institutions which have withdrawn from the Scheme/whose names have been deleted by virtue of their merger with other bank/other reasons during 1989-90.	(6) Total No. of participants as on 31 March 1990 (3+4-5)
1. State Bank of India and its subsidiaries	8	8	—	—	8
2. Nationalised Banks	20	20	—	—	20
3. Other Scheduled Commercial Banks	44	40	—	4	36
4. Non-Scheduled Commercial Banks	2	1	—	—	1
5. Regional Rural Banks	34	163	2	—	165
6. State Financial Corporations	18	14	—	—	14
7. Other State Development Agencies	5	8	—	—	8
8. Co-operative Banks	197	290	11	—	301*
Total:	328	544	13	4	553

* State Co-operative Banks 6
 Central Co-operative Banks 104
 Primary Urban Co-op. Banks 191
301

STATEMENT SHOWING AMOUNT-WISE RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS DURING THE YEAR 1 APRIL 1989 TO 31 MARCH 1990 UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES.

(Amount in crores of rupees)

Claims for amount	Pending as on 31 March 1989		Receipt during the year 1 April 89 to 31 March 1990		Disposal during the year				Pending as on 31 March 90					
	No. Amount	No. Amount	No. Amount	No. Amount	Paid	Withdrawn	Rejected	Total Disposal	No. Amount	No. Amount				
(A) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981														
1. Upto Rs. 25,000	20,735	9.42	66,089	36.37	72,844	37.96	9,941	5.28	752	0.77	83,537	44.01	3,287	1.78
2. Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1.00 lakh	5,967	26.03	4,398	22.35	5,670	25.74	3,193	14.14	509	2.82	9,372	42.70	993	5.67
3. Above Rs. 1.00 lakh & upto Rs. 5.00 lakhs	4,362	99.74	3,671	69.93	3,044	67.72	3,285	62.05	731	17.94	7,060	147.71	973	21.96
4. Above Rs. 5.00 lakhs	1,478	122.34	736	63.93	488	38.54	552	45.38	570	49.74	1,610	133.66	604	52.62
Total:	32,542	257.53	74,894	192.58	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	1,01,579	368.08	5,957	82.03
(B) Government's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (since cancelled)														
1. Upto Rs. 25,000	2,669	0.97	668	0.36	2,476	0.85	354	0.22	366	0.12	3,196	1.19	141	0.14
2. Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1.00 lakh	758	3.93	216	1.08	342	1.61	193	1.01	175	0.99	710	3.61	264	1.40
3. Above Rs. 1.00 lakh & upto Rs. 5.00 lakhs	415	9.65	104	2.51	112	2.56	94	2.29	138	3.15	344	8.00	175	4.16
4. Above Rs. 5.00 lakhs	94	7.86	26	2.09	26	1.94	22	2.24	44	3.31	92	7.49	28	2.46
Total:	3,936	22.41	1,014	6.04	2,956	6.96	663	5.76	723	7.57	4,342	20.29	608	8.16

ANNEXURE — XII

STATEMENT SHOWING AGE-WISE AND AMOUNT-WISE CLASSIFICATION OF PENDING CLAIMS AS ON 31ST MARCH 1990 UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

(Amount in crores of rupees)

Claims for Amount	Claims pending for												Total			
	Upto 3 months		3 to 6 months		6 to 9 months		9 to 12 months		1 to 2 years		2 to 3 years			Over 3 years		
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount		No.	Amount	
(A) Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981																
1. Upto Rs. 25,000	3,074	1.57	62	0.05	21	0.02	22	0.03	63	0.05	30	0.03	15	0.03	3,287	1.78
2. Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1.00 lakh	653	3.98	56	0.24	39	0.17	91	0.45	50	0.26	44	0.24	60	0.33	983	5.87
3. Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 3.00 lakhs	432	7.11	46	0.71	14	0.20	27	0.28	36	0.52	30	0.42	31	0.41	616	9.65
4. Above Rs. 3.00 lakhs and upto Rs. 5.00 lakhs	151	5.76	18	0.64	14	0.57	35	1.10	42	1.28	54	1.60	43	1.38	357	12.34
5. Above Rs. 5.00 lakhs	190	17.71	78	6.67	49	4.03	95	6.95	73	6.76	82	4.97	57	5.53	604	52.82
Total:	4,500	36.13	260	8.31	137	4.99	270	8.81	264	8.67	220	7.26	206	7.65	5,857	82.03
(B) Government's Credit Guarantee Scheme for small scale industries (since cancelled).																
1. Upto Rs. 25,000	2	*	—	—	—	—	84	0.08	22	0.02	—	—	33	0.04	141	0.14
2. Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1.00 lakh	3	0.02	—	—	—	—	113	0.40	36	0.20	11	0.08	101	0.70	264	1.40
3. Above Rs. 1.00 lakh and upto Rs. 3.00 lakhs	1	0.03	—	—	1	0.01	27	0.45	26	0.46	3	0.07	42	0.62	100	1.64
4. Above Rs. 3.00 lakhs and upto Rs. 5.00 lakhs	1	0.04	—	—	—	—	18	0.58	4	0.16	7	0.23	45	1.51	75	2.52
5. Above Rs. 5.00 lakhs	3	0.26	2	0.20	—	—	4	0.30	6	0.64	3	0.28	8	0.80	28	2.46
Total:	10	0.35	2	0.20	1	0.01	246	1.81	96	1.48	24	0.84	229	3.67	608	8.16

* Rs. 0.06 lakh.

**STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES**

(Amount in crores of rupees)

Period (1)	Claims Received		Claims disposed of				Of the claims disposed of				Claims pending as at the end of the period	
	No. (2)	Amount (3)	No. (4)	Amount (5)	No. (6)	Amount (7)	Claims withdrawn No. (8)	Amount (9)	Claims rejected No. (10)	Amount (11)	No. (12)	Amount (13)
Part 'A' Corporation's Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981												
1 April 1981 to 31 December 1981	1,308	1.74	—	—	—	—	—	—	—	—	1,308	1.74
1 January 1982 to 31 December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13	1,542	0.37	1,537	1.72	26	0.04	2,216	9.01
1 January 1983 to 31 December 1983	9,325	32.58	7,328	12.93	5,184	3.43	2,066	9.00	78	0.50	4,213	28.66
1 January 1984 to 31 December 1984	18,300	53.98	9,522	13.73	7,855	9.91	1,610	2.92	57	0.90	12,991	68.91
1 January 1985 to 31 December 1985	22,048	71.99	22,791	25.08	18,264	12.06	4,116	11.61	411	1.41	12,248	115.82
1 January 1986 to 31 December 1986	33,723	104.92	30,299	67.07	19,695	24.10	10,261	40.30	343	2.67	15,672	153.67
1 January 1987 to 31 December 1987	44,711	131.68	40,206	88.16	38,099	69.09	1,580	8.26	527	10.81	20,177	197.19
1 January 1988 to 31 March 1989	93,716	216.90	81,351	156.56	67,002	92.78	13,542	48.54	807	15.24	32,542	257.53
1 April 1989 to 31 March 1990	74,894	192.58	1,01,579	368.08	82,046	169.96	16,971	126.85	2,562	71.27	5,857	82.03
Total:	3,02,038	815.77	2,96,181	733.74	2,39,687	381.70	51,683	249.20	4,811	102.84		

ANNEXURE — XIII (Contd.)

(Amount in crores of rupees)

Period (1)	Claims Received		Claims disposed of		Claims paid		Of the claims disposed of		Claims rejected		Claims pending as at the end of the period	
	No. (2)	Amount (3)	No. (4)	Amount (5)	No. (6)	Amount (7)	No. (8)	Amount (9)	No. (10)	Amount (11)	No. (12)	Amount (13)
Part 'B' Government's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (since cancelled)												
Claims pending as on												
1 April 1981 (taken over from Reserve Bank of India)	30,826	98.18										
1 April 1981 to 31 December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69	4,225	6.54	462	1.94	760	2.21	39,290	108.05
1 January 1982 to 31 December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43	16,936	14.62	2,309	5.57	1,200	4.24	29,292	104.15
1 January 1983 to 31 December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78	16,394	16.28	1,734	7.23	1,341	3.27	17,701	97.45
1 January 1984 to 31 December 1984	7,921	16.50	18,262	33.53	10,214	21.32	5,496	8.33	2,552	3.88	7,360	80.42
1 January 1985 to 31 December 1985	5,259	14.07	8,597	31.96	5,325	12.92	3,085	17.24	187	1.80	4,022	62.53
1 January 1986 to 31 December 1986	4,914	14.90	6,903	42.10	3,965	14.32	2,480	22.07	458	5.71	2,033	35.33
1 January 1987 to 31 December 1987	4,870	17.39	5,601	33.81	4,849	26.32	584	3.84	168	3.65	1,302	18.91
1 January 1988 to 31 March 1989	10,820	24.20	8,186	20.70	6,788	11.39	841	4.83	557	4.48	3,936	22.41
1 April 1989 to 31 March 1990	1,014	6.04	4,342	20.29	2,956	6.96	663	5.76	723	7.57	608	8.16
Sub Total:	67,034	154.27	97,252	244.29	71,652	130.67	17,654	76.81	7,946	36.81		
Total:	97,860	252.45	97,252	244.29	71,652	130.67	17,654	76.81	7,946	36.81		

Break-up of pending claims

	Corporation's Scheme		Government's Scheme	
	No.	Amount	No.	Amount
To be processed	4374	71.45	472	6.56
Processed and to be settled for want of clarification	1483	10.58	136	1.60
	5857	82.03	608	8.16

ANNEXURE — XIV

STATEMENT INDICATING THE SCHEME-WISE BREAK UP OF GUARANTEE FEE RECEIVED DURING THE YEARS 1981 TO 1989-90

(Amount in crores of rupees)

Scheme	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988/89 (15 months)	1989/90
1. Small Loans Guarantee Scheme, 1971	23.29	30.50	35.70	47.69	58.66	69.00	79.56	101.51	389.32
2. Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	0.05	0.08	0.25	0.36	0.46	0.55	0.39	0.33	0.12
3. Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	*	*	*	*	*	*	*	*	0.01
4. Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—	0.01	0.03	0.09	0.14	0.26	0.31
5. Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	16.87	27.09	35.22	39.85	46.51	57.61	65.08	89.79	204.07
TOTAL:	40.21	57.67	71.17	87.91	105.66	127.25	145.17	191.89	593.85

* 1981- Rs. 39,000/-
 1982- Rs. 73,000/-
 1983- Rs. 14,000/-
 1984- Rs. 25,000/-
 1985- Rs. 5,000/-
 1986- Rs. 1,000/-
 1987- Rs. 7,000/-
 1988-89 Rs. 58,000/-

ANNEXURE — XV

INVESTMENT OF DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON 31 MARCH 1990

(Amount in crores of rupees)

Particulars	DEPOSIT INSURANCE FUND						CREDIT GUARANTEE FUND				GENERAL FUND			
	Market rate%	Face value	Book value	Market value	% of market value to Book Value	Face value	Book value	Market value	% of market value to Book value	Face value	Book value	Market value	% of market value to Book value	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
(A) SECURITIES WHICH HAVE DEPRECIATED														
1. 5¼% Loan 2002	54.00	3.00	1.86	1.62	87.10	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 6½% Loan 2002	69.75	—	—	—	—	3.37	3.38	2.35	69.53	—	—	—	—	
3. 6½% Loan 2003	66.75	—	—	—	—	2.66	2.66	1.83	68.80	—	—	—	—	
4. 6½% Loan 2004	64.00	15.96	13.91	10.22	73.47	2.80	2.81	1.79	63.70	—	—	—	—	
5. 6½% Loan 2005	57.00	5.95	5.98	3.39	56.69	3.00	3.02	1.71	56.62	—	—	—	—	
6. 6¾% Loan 2006	62.00	14.29	14.28	8.86	62.04	2.42	2.43	1.50	61.73	2.15	2.15	1.33	61.86	
7. 6¾% Loan 2007	64.00	9.41	9.36	6.02	64.32	4.00	4.01	2.56	63.84	—	—	—	—	
8. 7% Loan 2009	62.00	34.63	34.66	21.47	61.94	6.00	6.01	3.72	61.90	0.05	0.05	0.03	60.00	
9. 7½% Loan 2010	66.00	41.29	39.50	27.25	68.99	11.28	11.13	7.45	66.94	5.88	5.84	3.88	66.44	
10. 8% Loan 2011	66.00	69.12	60.44	45.62	75.48	59.91	59.35	39.54	66.62	6.80	6.24	4.49	71.96	
11. 8¾% Loan 2010	78.00	0.78	0.78	0.61	78.21	3.00	3.00	2.34	78.00	—	—	—	—	
12. 9% Loan 2013	76.00	39.48	38.48	30.00	77.98	61.65	60.76	46.85	77.11	15.00	15.02	11.40	75.90	
13. 9½% Loan 2008	80.00	6.02	5.92	4.82	81.42	17.17	17.04	13.74	80.63	0.65	0.65	0.52	80.00	
14. 10% Loan 2014	86.00	45.77	45.62	39.36	86.28	33.05	33.06	28.42	86.96	12.00	12.02	10.32	85.86	
15. 10¼% Loan 2012	87.50	13.41	13.42	11.73	87.41	26.17	26.20	22.90	87.40	10.26	10.28	8.98	87.35	
16. 10½% Loan 1986	100.00*	9.11	9.16	9.11	99.45	—	—	—	—	—	—	—	—	
17. 10½% Loan 2014	91.75	21.52	21.51	19.75	91.82	34.45	34.45	31.61	91.76	7.39	7.38	6.78	91.87	
18. 11½% Loan 2008 (IV)	98.90	3.85	3.85	3.81	98.96	—	—	—	—	2.00	2.00	1.98	99.00	
19. 11½% Loan 2009 (II)	100.00	53.00	53.00	53.00	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
20. 11½% Loan 2009 (III)	100.00	22.00	22.00	22.00	100.00	—	—	—	—	—	—	—	—	
21. 11½% Loan 2009 (IV)	100.00*	—	—	—	—	100.00	100.00	100.00	100.00	—	—	—	—	
22. 11½% Loan 2015	99.50	87.12	87.14	86.68	99.47	—	—	—	—	11.10	11.12	11.04	99.28	
Total 'A':		495.71	480.87	405.32	84.29	370.93	369.31	308.31	83.48	73.28	72.75	60.75	83.51	
(B) SECURITIES WHICH HAVE APPRECIATED														
1. 6½% Loan 2001	79.35	2.50	1.72	1.98	115.12	—	—	—	—	—	—	—	—	
2. 6½% Loan 2002	69.75	10.20	6.84	7.11	103.95	—	—	—	—	—	—	—	—	
3. 6¾% Loan 1984	90.80	0.14	0.12	0.13	108.33	—	—	—	—	—	—	—	—	
4. 7½% Loan 2001	80.50	11.00	8.34	8.86	106.24	—	—	—	—	—	—	—	—	
5. 11½% Loan 2006	101.75	85.28	86.47	86.77	100.35	20.57	20.57	20.93	101.75	2.00	2.00	2.04	102.00	
6. 11½% Loan 2007	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.03	0.03	0.03	100.00	
7. 11½% Loan 2009	100.95	17.00	17.00	17.16	100.94	—	—	—	—	—	—	—	—	
Total 'B':		126.12	120.49	122.02	101.26	20.57	20.57	20.93	101.75	2.03	2.03	2.07	101.97	

ANNEXURE—XV (Contd.)

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
(C) INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES UNDER "BUY-BACK ARRANGEMENT" @														
1. 8¼% Loan 1995	92.70	0.13	0.12	0.12	0.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 8¼% Loan 1995	92.80	0.61	0.56	0.56	0.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 8¼% Loan 1995	92.95	9.74	9.05	9.05	9.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 8¼% Loan 2005	76.80	—	—	—	—	1.00	0.77	0.77	0.77	—	—	—	—	—
5. 9¼% Loan 1992	99.30	0.16	0.16	0.16	0.16	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6. 9¼% Loan 1992	99.35	0.44	0.44	0.44	0.44	—	9.00	8.94	8.94	—	0.25	0.22	0.22	—
7. 10¼% Loan 2012	90.05	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. 10½% Loan 1997	101.15	—	—	—	—	—	3.00	3.04	3.04	—	—	—	—	—
9. 10½% Loan 1998	101.60	—	—	—	—	—	50.00	50.80	50.80	—	—	—	—	—
10. 10½% Loan 2005	93.05	—	—	—	—	—	4.69	4.36	4.36	—	—	—	—	—
11. 11% Loan 2002	101.20	—	—	—	—	—	0.55	0.56	0.56	—	—	—	—	—
12. 11.30% Loan 2004	101.60	—	—	—	—	—	5.00	5.08	5.08	—	—	—	—	—
13. 11½% Loan 2006	101.95	—	—	—	—	—	0.17	0.17	0.17	—	0.11	0.11	0.11	—
14. 11½% Loan 2007	100.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Total 'C':	11.08	10.33	10.33	10.33	10.33	—	73.41	73.72	73.72	—	0.36	0.33	0.33	—
Total A + B + C:	632.91	611.69	537.66	87.90	464.91	463.60	402.96	86.92	75.67	75.11	63.15	84.08	—	—

(Amount in crores of rupees)

	Depreciation in the market value of investment	Existing Provision
Deposit Insurance Fund	55.92	75.55
Credit Guarantee Fund	44.00	61.00
General Fund	8.61	12.00

Market rates are as per stock exchange quotation as on 30th March 1990 indicating the rates at which business was last done.

@ Under the "Buy-Back" arrangement which has been extended by the RBI to the Corporation, as a special case the Reserve Bank sells to the Corporation Central Government Securities and purchases the same from it at the same rates at which the securities were sold, as and when the Corporation needs liquid cash to meet claims and other payments.

* Issue price, as there have been no transactions since issue of the securities.

DEPOSIT INSURANCE AND
(Established under the Deposit Insurance and Credit
Regulation 18
Balance Sheet as at the close of
I — DEPOSIT INSURANCE FUND

Previous period		LIABILITIES	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs					
NIL	26047.00	1. Fund (Balance at the end of the year)		NIL		40549.00
7185.49	—	2. Surplus (Balance as per Revenue Account Annexed)		27111.79		—
5592.13	4379.27	3. Investment Reserve:				
—	21.00	Balance at the beginning of the year	5592.13		4400.27	
5592.13	4400.27	Add: Amount provided for during the year	1962.48		1699.97	
—	17.52	Balance at the end of the year		7554.61		6100.24
654.16	42855.25	4. Claims intimated and claims admitted but not paid		—		15.16
21.84	—	5. Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted		1027.97		28633.84
1634.56	3494.66	6. Insured deposits remaining unclaimed		37.04		—
41371.02	—	7. OTHER LIABILITIES				
—	—	i) Sundry Creditors	1982.25		685.42	
		ii) Amount due to Credit Guarantee Fund	22506.92		—	
		iii) Provision for Income-Tax	6180.00		—	
				30649.17		685.42
<u>56459.20</u>	<u>76814.70</u>	TOTAL :		<u>66380.58</u>		<u>75983.66</u>

NOTES: 1. As on the date of the Balance Sheet, in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs. 9,141.67 lakhs (Previous period Rs. 6,290.53 lakhs). The recovery against the same will be accounted for, as per Corporation's past practice in the year it is received.

2. Previous years figures have been regrouped wherever considered necessary.

As per our report of even date attached.

FOR N.B. SHETTY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(R. JANAKIRAMAN)
CHAIRMAN

(Ms. I.T. VAZ)
DIRECTOR

(DINESH CHANDRA)
DIRECTOR

(N.B. SHETTY)
PARTNER

(S.S. NADKARNI)
DIRECTOR

(P. KRISHNAMURTHY)
GENERAL MANAGER

(N.R. IRANI)
CHIEF ACCOUNTANT

BOMBAY.
DATED THE 25TH JUNE 1990

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
Guarantee Corporation Act, 1961)
— Form 'A'
business on 31 March 1990
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous period		ASSETS	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
Rs. in lakhs	Rs. in lakhs					
25.35	274.10	1. Balance with the Reserve Bank of India		3.25		203.11
52813.86	31924.83	2. Investments in Central Government Securities (at cost)		61169.36		46359.87
			Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund		
			Rs. in lakhs	Rs. in lakhs		
		Face Value :	63290.97	46491.29		
		Market Value:	53767.06	40295.63		
1894.88	1102.17	3. Interest accrued on Investments		2211.89		1405.73
		4. OTHER ASSETS				
		i) Outstanding Premium Guarantee Fees and excess claims paid due from Banks/Credit Institutions	32.15		328.31	
11.70	76.01	ii) Outstanding interest on overdue premium and guarantee fees	2.30		44.09	
0.57	3.35	iii) Amount paid towards claims remaining undisbursed with the liquidator of a bank	0.06		—	
0.06	—	iv) Government of India Credit Guarantee Scheme (Old) for Small Scale Industries	—		209.23	
—	326.75	v) Amount due from Deposit Insurance Fund	—		22506.92	
—	41371.02	vi) Income Tax deducted at source	2961.57		4928.40	
1712.75	1736.47	vii) Sundry Debtors	—		—	
0.03	—			2996.08		28014.95
56459.20	76814.70	TOTAL :	66380.58			75983.66

(B.D. SHAH)
DIRECTOR

(R.L. WADHWA)
DIRECTOR

(J.P. KUNDRA)
DIRECTOR

(H.K. SAMAL)
DIRECTOR

**DEPOSIT INSURANCE AND
(Form
Revenue Account for the year 1 April 1989
I — DEPOSIT INSURANCE FUND**

Previous period		EXPENDITURE	Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund	
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund					
(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)		(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)
		To Claims				
2515.44	34353.84	(a) Paid during the year	3141.89		48760.72	
—	17.52	(b) Admitted but not paid	—		15.16	
		Add:				
654.16	42855.25	Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year	1027.97		28633.84	
3169.60	77226.61	Less:	4169.86		77409.72	
		Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year at the end of the previous year	654.16		42855.25	
(-) 130.75	47047.27	Add:	3515.70		34554.47	
130.75	—	Excess provision written back (Per contra)	—		—	
—	47047.27	Net claims		3515.70		34554.47
Nil	21.00	To Provision for depreciation in the value of investment		1962.48		1699.97
		To Balance of Fund at the end of the year (as per actuarial valuation)		—		40549.00
Nil	26047.00	To Net surplus carried down		7222.20		18864.10
13671.94	—			12700.38		95667.54
13671.94	73115.27			—		—
Nil	14899.38	To Net Deficit brought down		—		—
14899.38	—	To Transfer to Credit Guarantee Fund (per contra)		—		—
—	—	To Transfer to Deposit Insurance Fund (per contra)		—		18864.10
—	—	To Provision for Income Tax		6160.00		—
7185.49	—	To Balance carried to Balance Sheet		27111.79		—
22084.87	14899.38	TOTAL:		33271.79		18864.10

- NOTES: 1. Estimated liability for claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small Borrowers) Guarantee Scheme, 1971, a sum equal to 2.32 per cent and in respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 a sum equal to 34.82 per cent (previous year 2.56% and 10.97% respectively) on account of usual rejections/withdrawals.
2. In cases where statements of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the ad-hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
3. In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision has not been made either in respect of non-receipt of guarantee fee or in respect of ad-hoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.

As per our report of even date attached.

FOR N.B. SHETTY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(R. JANAKIRAMAN)
CHAIRMAN

(Ms. I.T. VAZ)
DIRECTOR

(DINESH CHANDRA)
DIRECTOR

(N.B. SHETTY)
PARTNER

(S.S. NADKARNI)
DIRECTOR

(P. KRISHNAMURTHY)
GENERAL MANAGER

(N.R. IRANI)
CHIEF ACCOUNTANT

BOMBAY.
DATED THE 25TH JUNE 1990

CREDIT GUARANTEE CORPORATION
— 'B'
to 31 March 1990
AND CREDIT GUARANTEE FUND

Previous period		INCOME	Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund
Deposit Insurance Fund	Credit Guarantee Fund			
(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)		(Rs. in lakhs)	(Rs. in lakhs)
Nil	30599.00	By Balance of Fund at the beginning of the year	Nil	26047.00
7656.07	—	By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premia)	6653.88	—
—	19189.73	By Guarantee Fee (including interest on overdue guarantee fees)	—	59382.73
450.82	3698.56	By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/guarantee claims paid	287.14	4270.02
130.75	—	By Excess provision for Deposit Insurance claims written back (per contra)	—	—
5434.30	4728.60	By Income from Investments (Gross)	5759.36	5967.79
		Deposit Insurance Fund		Credit Guarantee Fund
		(Rs in lakhs)		(Rs in lakhs)
		(Tax deducted at source	1248.82	1366.93
		Previous period	966.03	915.67
—	14899.38	By Net Deficit carried down	—	—
13671.94	73115.27		12700.38	95667.54
13671.94	—	By Net Surplus brought down	7222.20	18864.10
8412.93	—	By Balance brought forward from last year	7185.49	—
—	14899.38	By Transfer from Deposit Insurance Fund (per contra)	—	—
—	—	By Transfer from the Credit Guarantee Fund (per contra)	18864.10	—
22084.87	14899.38	TOTAL :-	33271.79	18864.10

- As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.
- The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year, it is received.
- The Corporation has made necessary provision towards actuarial liability as worked out by an approved Actuary towards Credit Guarantee Fund and Deposit Insurance Fund, on the fund balances at the close of the financial year ended 31 March 1990.
- This year figures are not strictly comparable with previous year, since the previous year's figures are for fifteen months.
- Fund-wise allocation of Income-tax provision for current year has been made after taking into account the previous years' deficit/surpluses in the respective Fund Accounts.

(B.D. SHAH)
DIRECTOR

(R.L. WADHWA)
DIRECTOR

(J.P. KUNDRA)
DIRECTOR

(H.K. SAMAL)
DIRECTOR

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
(Established under the Deposit Insurance
Regulation 18
Balance Sheet as at the close of
II GENERAL

Previous period (Rs. in lakhs)	LIABILITIES	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1. CAPITAL:			
	Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation Act, 1961			5,000.00
5,000.00				
	2. RESERVES			
	A. General Reserve			
1,941.96	Balance at the beginning of the year	2,215.49		
273.53	Add: Surplus transferred from Revenue Account	—		
—	Less:			
	Deficit transferred from Revenue Account	395.27		
2,215.49	Balance at the end of the year		1,820.22	
	B. Investment Reserve			
860.88	Balance at the beginning of the year	860.88		
—	Add:			
	Amount provided during the year	338.82		
860.88	Balance at the end of the year		1,199.70	
22.51	C. Capital Reserve		22.51	
3,098.88				3,042.43
	3. CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS			
174.25	Outstanding expenses		267.64	
3.52	Sundry Creditors		4.36	
—	Provision for Income Tax		40.00	
177.77				312.00
8,276.65	TOTAL:			8,354.43

NOTES: 1. As per past practice provision for depreciation in investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.

2. Previous period's figures have been re-grouped wherever necessary.

As per our report of even date attached.

FOR N.B. SHETTY & CO.
CHARTERED ACCOUNTANTS

(R. JANAKIRAMAN)
CHAIRMAN

(Ms. I.T. VAZ)
DIRECTOR

(DINESH CHANDRA)
DIRECTOR

(N.B. SHETTY)
PARTNER

(S.S. NADKARNI)
DIRECTOR

(P. KRISHNAMURTHY)
GENERAL MANAGER

(N.R. IRANI)
CHIEF ACCOUNTANT

BOMBAY.
DATED THE 25TH JUNE 1990

GUARANTEE CORPORATION
and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)
— Form 'A'
business on 31 March 1990
FUND

Previous period (Rs. in lakhs)	ASSETS	Rs. in lakhs	Rs. in lakhs
	1. CASH		
0.08	i) in Hand	0.13	
4.11	ii) With Reserve Bank of India	7.67	
4.19			7.80
7,609.94	2. INVESTMENT IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST)		7,511.28
	Rs. in lakhs		
	(Face Value 7,566.49)		
	(Market Value 6,315.09)		
268.78	3. INTEREST ACCRUED ON INVESTMENT		267.16
	4. OTHER ASSETS		
24.39	a) Furniture, Fixtures & Equipment less depreciation	22.89	
1.23	b) Stock of stationery	2.14	
2.83	c) Prepaid Expenses	0.27	
42.01	d) Advances for expenses, Staff Allowances recoverable from RBI etc. and other deposits	45.56	
323.28	e) Income tax deducted at source	497.33	
393.74			568.19
8,276.65	TOTAL:		8,354.43

(R.L. WADHWA)
DIRECTOR

(B.D. SHAH)
DIRECTOR

(J.P. KUNDRA)
DIRECTOR

(H.K. SAMAL)
DIRECTOR

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
(Form
Revenue Account for the year
II — GENERAL

Previous period (Rs. in lakhs)	EXPENDITURE	Rs. in lakhs
556.83	To Salaries & Allowances and contribution to Staff Provident Fund	658.33
12.45	To contribution to Staff Gratuity Fund	30.36
0.02	To Directors' & Committee Members' Fees	0.01
0.29	To Directors' & Committee Members' travelling and other allowances	0.19
37.19	To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	25.85
8.54	To Establishment, Travelling and Halting Allowances	7.29
5.02	To Printing & Stationery	6.16
5.22	To Postage, Telegrams and Telephones	4.79
0.38	To Auditors' Fees	0.35
0.73	To Legal Charges	0.27
29.55	To Miscellaneous Expenses	32.45
6.92	To Depreciation	4.86
—	To Provision for Depreciation on Investment	338.82
—	To Provision for Income Tax	40.00
273.53	To Balance being excess of Income over Expenditure transferred to General Reserve	—
936.67	TOTAL :	1,149.73

NOTES: 1. Consequent on Government of India's decision permitting the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid accounts under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) received/to be received upto 31 March 1986, the amount of Rs. 0.05 lakh received during the year 1 April 1989 to 31 March 1990 has been accounted for in the Revenue Account of General Fund under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

As per our report of even date attached.

FOR N.B. SHETTY & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

(R. JANAKIRAMAN)
CHAIRMAN

(Ms. I.T. VAZ)
DIRECTOR

(DINESH CHANDRA)
DIRECTOR

(N.B. SHETTY)
PARTNER

(S.S. NADKARNI)
DIRECTOR

(P. KRISHNAMURTHY)
GENERAL MANAGER

(N.R. IRANI)
CHIEF ACCOUNTANT

BOMBAY.
DATED THE 25TH JUNE 1990

GUARANTEE CORPORATION
— 'B'
1 April 1989 to 31 March 1990
FUND

Previous period (Rs. in lakhs)	INCOME	Rs. in lakhs
935.71	By Income from Investment (Gross) (Tax deducted at source Rs. 174.05 lakhs) (Previous year - Rs. 167.45 lakhs)	753.31
0.09	By Recoveries in Claims paid Accounts in Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old)	0.05
0.87	By Miscellaneous Receipts	1.10
—	By Balance being excess of Expenditure over Income transferred to General Reserve	395.27
<u>936.67</u>	TOTAL :	<u>1,149.73</u>

2. Employees' cost such as Salaries, Allowances, Contribution to Provident Fund and Gratuity Fund have been made in accordance with an arrangement with Reserve Bank of India since all the staff of the Corporation are on duty from Reserve Bank of India.

3. This year's figures are not strictly comparable with previous period since previous period's figures are for fifteen months.

(B.D. SHAH)
DIRECTOR

(R.L. WADHWA)
DIRECTOR

(J.P. KUNDRA)
DIRECTOR

(H.K. SAMAL)
DIRECTOR

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheets of (i) The Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) The General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation at 31 March 1990 and also the Revenue Accounts of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report that:

- i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- ii) The said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Accounts read with the notes thereon gives the information required by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 in the manner so required and exhibit a true and fair view;

- (a) In the case of the Balance Sheets of (i) Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) The General Fund of the state of affairs of the said funds of the Corporation as at 31 March 1990 and,
- (b) In the case of Revenue Accounts (i) of the surplus, in the case of Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) of the deficit, in the case of General Fund of the Corporation for the year ended on that date.

for N.B. SHETTY & CO.,
CHARTERED ACCOUNTANTS

sd/-
(N.B. SHETTY)
PARTNER

BOMBAY
DATED 25TH JUNE 1990

AN OUTLINE OF FUNCTIONS AND ACTIVITIES

Introduction :

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly the smaller depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public contributes to the growth of the banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly the weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of the credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions, the two organisations were merged in July, 1978 and the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

Deposit Insurance Scheme :

Institutional Coverage

2. The Deposit Insurance Scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits with all commercial banks (including Regional Rural Banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar cover-

age is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 80 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits held by him in the same right and capacity in all branches of that bank upto a monetary ceiling of Rs. 30,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium at the rate of 4 paise per annum per hundred rupees. The premium is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost.

Payment of Insurance Claims

5.1 When a bank goes into liquidation, the Corporation pays to every depositor through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 30,000/-. When a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the full amount of his deposit, the Corporation pays for each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 30,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of reconstruction / amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of the rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank liquidation / amalgamation.

Credit Guarantee Schemes —

Extension of Guarantee Support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to certain specified categories of

small borrowers and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. and are continued by the Corporation are intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending need based credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July, 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation. Accordingly, this scheme was cancelled by the Government of India in March, 1981 and the Corporation, in its place, introduced a new scheme with effect from 1 April, 1981 covering advances to small-scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as agent of the Government. With the integration of the credit guarantee functions relating to small-scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted to the priority sectors. Effective from 1 April, 1989 and pursuant to the recommendations of the Expert Committee, 1987 the scope of the credit guarantee schemes has been enlarged to cover the entire gamut of priority sector advances as defined by the Reserve Bank of India.

6.3 The Corporation has also formulated and offered the facility of guarantee support on a selective basis to the credit provided by certain co-operative credit institutions at the primary level for agriculture and allied activities and by urban co-operative banks to small borrowers for non-agricultural advances which has now been extended to cover the latter's advances for activities allied to agriculture also with effect from 1 April, 1989.

Aims, Description and Coverage

7.1 Corporation's various credit guarantee schemes in operation are as indicated below:

- (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971

- (iv) Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981
- (v) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.2 The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on 1 April 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including Regional Rural Banks to the priority sector as defined by Reserve Bank and this includes farmers and agriculturists, transport operators, retail traders, small business enterprises and professional and self-employed persons.

7.3 The Small Loans (Financial Corporation) Guarantee Scheme, 1971 was introduced on 1 July 1971 and it covers credit facilities granted by State Financial Corporations to transport operators and hoteliers and other business enterprises engaged in generation or distribution of electricity or other power or in the development or management of an industrial estate or a transport undertaking.

7.4 The Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 is in force from 1 October 1971 and it covers credit facilities granted by all scheduled commercial banks and state and central co-operative banks covered by the Deposit Insurance Scheme to service co-operative societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials, the display and marketing of finished goods or any other similar assistance in connection with the manufacture, display, presentation and processing of goods and marketing of such goods.

7.5 The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by Commercial Banks, Regional Rural Banks, Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

7.6 The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 offers from 1 July 1984 onwards, guarantee support to non-agricultural advances granted by primary (urban) co-operative banks to small borrowers (e.g. transport operators, retail traders, business enterprises and professional and self-employed persons). All licensed primary (urban) co-operative banks which are recommended by the Reserve Bank of India for the purpose are eligible to participate in the Scheme from 1 July, 1984 onwards.

7.7 Besides, the Corporation has also offered the Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee

Scheme, 1982 providing guarantee cover to credit facilities granted by select primary agricultural credit societies (PACSS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs), to their farmers/agriculturists members (including share croppers and landless labourers) for agriculture and allied activities, as also for consumption and housing finance, from 1 January 1983 or from the date of joining the Scheme, whichever date is later. The agricultural and allied activities covered by the Scheme include seasonal agricultural operations, reclamation or improvement of land, construction or deepening of irrigation wells, installation of pumpsets, purchase of cattle or acquisition of other capital assets (e.g., farm houses, cattle sheds, gobar gas plants etc.) or repairs to these assets, sericulture, animal husbandry, poultry farming, dairy farming, pisciculture, housing finance, consumption finance etc., as explained in the Scheme.

7.8 The salient features of the various schemes are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee :

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee at the stipulated rates calculated on the balances outstanding under the 'priority sector' advances and paid yearly in advance by the credit institutions. The fee rate is 1.50 per cent per annum with effect from 1 April 1989. The Regional Rural Banks are, however, allowed to pay the fee at half the normal rate (i.e. @ 0.75 per cent per annum) for first five years from the date of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971. The fee is required to be paid regularly and in advance, on an annual basis in order to keep the guarantee in force.

Guarantee Cover - Key Characteristics

(a) automatic bulk coverage

9.1 The guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The Schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

(b) Benefit confined to 'Priority Sector' borrowers

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers in the priority sector who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on amount of credit as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises, and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

Invocation of Guarantee

10. Five conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) minimum period of 3 years has elapsed after grant of an eligible advance; (ii) the guarantee fee due has been paid on the entire priority sector advances outstanding as and when they became due; (iii) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (iv) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (v) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institutions to take effective steps against the borrowers, sureties and the securities wherever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 60% or 50% of the 'Amount in default', as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the Schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to continue effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the right of subrogation. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write-off in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

ANNEXURE

CREDIT GUARANTEE SCHEMES - SALIENT FEATURES

Extent of guarantee cover provided and rate of guarantee fee prescribed effective from 1 April, 1989

Schemes	Eligible participants	Category of Borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. SMALL BORROWERS (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971	Commercial Banks (including Regional Rural Banks)	(i) Transport Operators	1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 0.75% p.a. for first five years of their joining this Scheme)	60% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.
		(ii) Retail Traders	— do —	60% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.
		(iii) Professional & self employed persons & Business Enterprises	— do —	60% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.
		(iv) Farmers & Agriculturists - Direct Finance		
		1) For raising crops	— do —	60% of the amount in default or Rs.10,000/- whichever is lower.
		2) For developmental activities	— do —	60% of the amount in default or Rs.20,000/- whichever is lower.
		3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	— do —	60% of the amount in default or Rs.30,000/- (i.e. Rs.10,000x3) whichever is lower.
		4) For allied activities		
		i) Pisciculture	— do —	60% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	— do —	60% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	— do —	60% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	— do —	60% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	— do —	60% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		(With overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity).		

ANNEXURE - (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(v)	<p>Indirect Finance to agriculture (As per RBI definition of 'priority sector' except advances for construction and running of cold storage and to custom service units which will be covered under Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981)</p>	<p>1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March every year and collected annually (in case of RRBs the rate of guarantee fee is 0.75% p.a. for first five years of their joining this Scheme)</p>		<p>60% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.</p>
(vi)	<p>Education Credit facilities to individuals for educational purposes granted by eligible credit institutions under special schemes introduced by them for the purpose.</p>	<p>— do —</p>		<p>60% of the amount in default.</p>
(vii)	<p>State Sponsored Organisations for SCs/STs Advances sanctioned to State Sponsored Organisations for SC/ST for the specific purpose of purchase and supply of inputs to and/or the marketing of the outputs of the beneficiaries of these organisations.</p>	<p>— do —</p>		<p>60% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).</p>
(viii)	<p>Housing-Direct Finance Loans upto Rs.5,000/- for construction of houses granted to SC/ST and the weaker sections of the society.</p>	<p>— do —</p>		<p>60% of the amount in default.</p>
(ix)	<p>Housing-Indirect Finance i) Assistance given to any governmental agency for the purpose of constructing houses exclusively for the benefit of SC/ST and low-income groups and where loan component does not exceed Rs.5,000/- per unit. ii) Assistance to any government agency for slum clearance and rehabilitation of slum dwellers subject to other conditions specified.</p>	<p>— do —</p>		<p>60% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower (per borrowing constituent/institution).</p>
(x)	<p>Consumption Pure consumption loans granted under the Consumption Credit Scheme.</p>	<p>— do —</p>		<p>60% of the amount in default.</p>

ANNEXURE - (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
II) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	State Financial Corporations	(i) Transport Operators	1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and collected annually,	60% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.
		(ii) Business Enterprises	— do —	60% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.
III) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	Scheduled Commercial Banks (including RRBs) and State and Central Co-operative Banks.	Co-operative Societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials and marketing of products.	— do —	60% of the amount in default or Rs.30,000/- whichever is lower.
IV) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	Primary Urban Co-operative Banks	i) Transport Operators	— do —	60% of the amount in default or Rs.1,50,000/- whichever is lower.
		ii) Retail Traders	— do —	60% of the amount in default or Rs.25,000/- whichever is lower.
		iii) Business Enterprises & Professional & Self-employed persons	— do —	60% of the amount in default or Rs.50,000/- whichever is lower.
		iv) Educational Loans	— do —	60% of the amount in default
		v) Consumption Loans to individuals upto Rs.500/-	— do —	- do -
		vi) Housing Loans not exceeding Rs.25,000/- to		
		a) Individuals	— do —	60% of the amount in default.
		b) Government Agency	— do —	60% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower per borrowing constituent/institution.
		vii) Activities allied to Agriculture		
		i) Pisciculture	— do —	60% of the amount in default or Rs.37,500/- whichever is lower.
		ii) Sericulture	— do —	60% of the amount in default or Rs.18,750/- whichever is lower.
		iii) Animal Husbandry	— do —	60% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		iv) Poultry Farming	— do —	60% of the amount in default or Rs.22,500/- whichever is lower.
		v) Dairy Farming	— do —	60% of the amount in default or Rs.15,000/- whichever is lower.
		vi) Purchase of bullock carts, Camel carts, pack animals etc.	— do —	60% of the amount in default or Rs.10,000/- whichever is lower.
		(Overall ceiling of Rs.60,000/- for more than one activity)		

ANNEXURE - (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
B SMALL SCALE INDUSTRIES				
(i) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981	Commercial Banks (including FRBs), Co-operative Banks, State Financial Corporations and State Development Agencies.	i) Small Scale Industrial units (including ancillary units) to whom credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate extended.	1.5 per cent uniformly to be calculated on outstanding priority sector advances as on 31 March, every year and collected annually.	60% of the amount in default or Rs.20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		ii) Small Scale Industrial units in backward areas with credit facilities without any limit.	— do —	— do —
		iii) Small Scale Industrial units (including ancillary units) in other than backward areas having total credit facilities exceeding Rs.2.00 lakhs.	— do —	50% of the amount in default or Rs.20 lakhs (apportioned separately and equally viz. Rs.10 lakhs for term loans and Rs.10 lakhs for working capital) whichever is lower.
		Indirect Finance to SSI		
		i) Agencies involved in assisting the decentralised sector in the supply of inputs and marketing of outputs of artisans, village and cottage industries	— do —	(a) 60% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities not exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate. (b) 50% of the amount in default or Rs.60,000/- whichever is lower in respect of credit facilities exceeding Rs.2 lakhs per borrowing constituent in the aggregate.
		ii) Government sponsored Corporations/organisations providing funds to the weaker sections in the priority sector (provided they are not covered by Government or any other guarantee)	— do —	— do —
		iii) Loans for construction and running of cold storage.	— do —	60%/50% (as stated above) of the amount in default or Rs.20 lakhs (Rs.10 lakhs each for working capital and term loans) whichever is lower.
		iv) Advances to custom service units managed by individuals, institutions or organisations who maintain a fleet of tractors, bulldozers, well boring equipment, threshers, combines etc. and undertake work from farmers on contract basis	— do —	— do —
		v) Industrial Estates Loans for setting up industrial estates.	— do —	— do —



